32वीं वार्षिक रिपोर्ट
32ND ANNUAL REPORT
2019-20

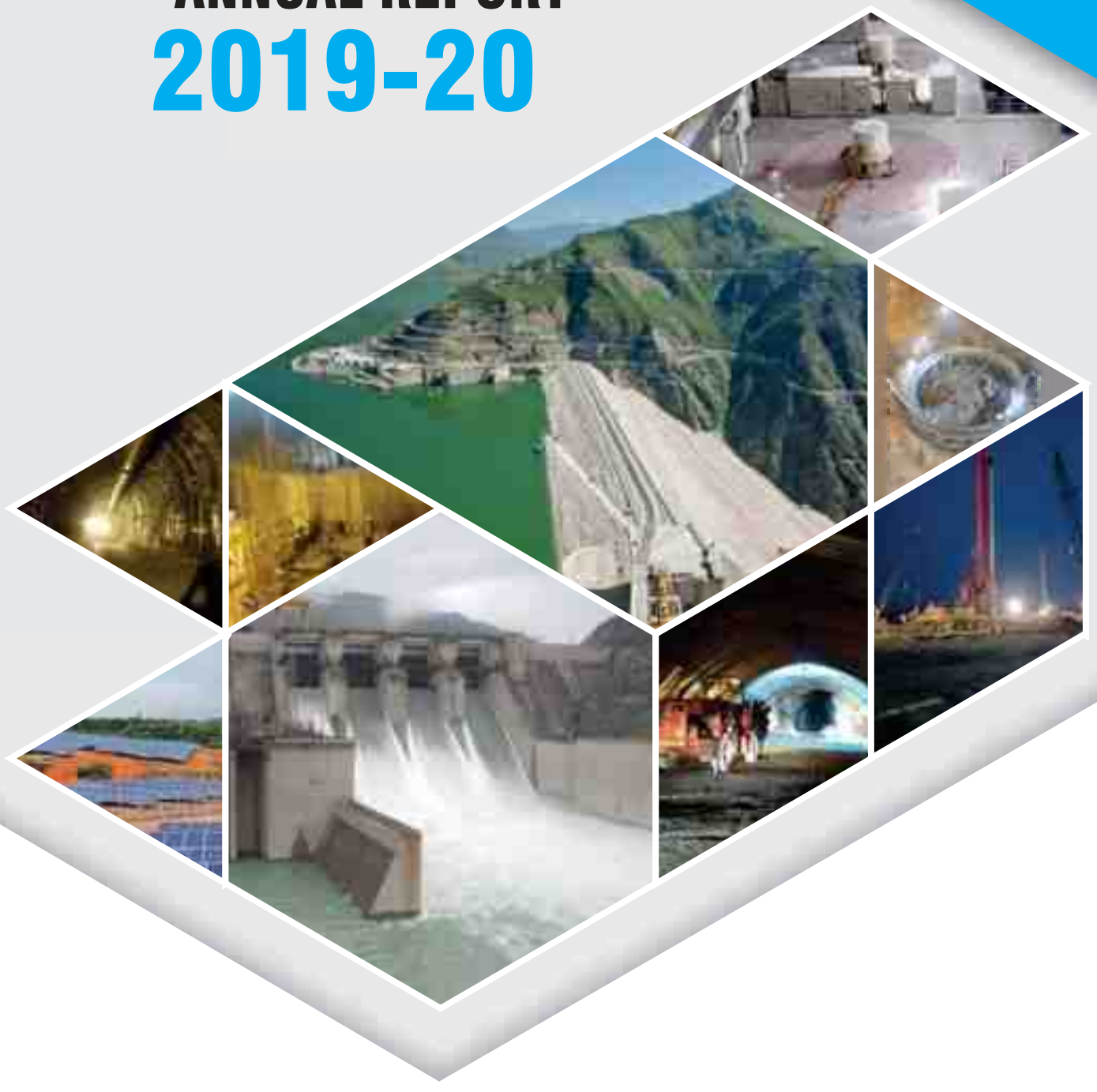

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विजन/VISION

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।

A world class energy entity with commitment to environment and social values.

मिशन/MISSION

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास एवं प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ मूल्य आधारित सतत संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

विषय सूची

कारपोरेट सिंहावलोकन

निदेशक मंडल 04
संदर्भ सूचना 05
प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाईट्स 06
अध्यक्ष का अभिभाषण 12
निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल 17
व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट – सतत तरीके से पूंजी निर्माण 2019–20 20

निदेशको की रिपोर्ट 2019–20 और अनुलग्नक

निदेशकों की रिपोर्ट 2019–20 34
अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट 64
अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 83
अनुलग्नक–III प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट 101
अनुलग्नक–IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण, समावेश एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय 107
अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 111
अनुलग्नक–VI प्रपत्र सं. एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार 133
अनुलग्नक–VII सचिवालीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 141

वित्तीय विवरण 2019–20

तुलन–पत्र 146
लाभ एवं हानि का विवरण 148
नगदी प्रवाह विवरण 150
लेखा संबंधी टिप्पणियां 154
वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 209
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां 223

कारपोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- संदर्भ सूचना
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाईट्स
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल
- व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट –
  सतत तरीके से पूंजी निर्माण 2019–20

निदेशक मंडल

22 सितंबर, 2020 के अनुसार

श्री डी.वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री टी. वेंकटेश
अपर मुख्य सचिव (सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग), उ. प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)

श्री जे. बेहरा
निदेशक (वित्त)

श्री आर.के. विश्नोई
निदेशक (तकनीकी)

श्री आनंद कुमार गुप्ता
नामित निदेशक, एनटीपीसी लि.
(31.07.2020 तक)

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य
नामित निदेशक, एनटीपीसी लि.

श्री अनिल कुमार गौतम
नामित निदेशक, एनटीपीसी लि.

संदर्भ सूचनाएं

पंजीकृत कार्यालय
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
फैक्स : (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : www.thdc.co.in

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201
संपर्क नं. (0135) 2439309 एवं 2473403
फैक्स : (0135) 2439442
इमेल : rashmi@thdc.co.in/
csrksh@thdc.co.in

कारपोरेट कार्यालय
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड,
ऋषिकेश–249201,
उत्तराखंड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31–32 गाछीबाउली,
फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकर्मगुडा, हैदराबाद–500032
दूरभाष : 91–40–33211000
ई मेल : rakesh.jamwal@karvy.com

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
अजय सेठ, 1मैत्री विहार, बाइपास रोड, हरिद्वार

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मेसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मेसर्स एस.सी. मोहन्ती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

डिबेंचर ट्रस्टी
विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामाह मार्ग,
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024

शेयर सूचीबद्ध
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज

डिपोजिटरी
सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालयः 17 वां तल, पीजे टावर्स,
दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई – 400001

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि.
ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड
लोअर पैरेल, मुंबई – 400013

बैंकर्स / वित्तीय संस्थाएं
1. पंजाब नेशनल बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. विश्व बैंक
4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
5. पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
7. एक्सिस बैंक

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि.)
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
आईसीआरए लिमिटेड

सचिवालयी लेखापरीक्षक
मैसर्स पी.एस.आर. मूर्ति
178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेज–1,
नई दिल्ली – 110017

प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

(राशि लाख ₹ में)

			2019-20	2018-19*	2017-18	2016-17	2015-16
क. राजस्व							
	1	परिचालन से राजस्व	212310	244926	218510	209474	246649
	2	अन्य आय	28226	39409	3809	14123	1481
	3	सिंचाई घटक के कारण अस्थगित राजस्व	6374	6915	6822		
	4	घटाएः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	6374	6915	6822		
	5	**कुल राजस्व**	**240536**	**284335**	**222319**	**223597**	**248130**
ख. व्यय							
	6	कर्मचारी लाभ व्यय	36030	41183	30649	25425	22857
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	23933	20978	20342	19513	18003
	8	प्रावधान	0	4985	0	445	9
	9	असाधारण मदें				16146	34830
	10	**कुल व्यय**	**59963**	**67146**	**50991**	**61529**	**75699**
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)**	**180573**	**217189**	**171328**	**162068**	**172431**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	57610	55500	57452	52557	49663
	13	**सकल लाभ (पीबीडीआईटी) (11–12)**	**122963**	**161689**	**113876**	**109511**	**122768**
	14	वित्त लागत	24034	19954	22787	29106	32887
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13–14)**	**98929**	**141735**	**91089**	**80405**	**89881**
	16	आय कर	16312	30659	19056	17154	24252
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	-5302	-6676	-5083	-8142	-16269
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15–16–17)**	**87919**	**117752**	**77116**	**71393**	**81898**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	4106	1239			
	20	**सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)**	**92025**	**118991**	**77116**	**71393**	**81898**
	21	अन्य सर्वग्राही आय	-1247	-299	563	-414	-301
	22	ओसीआई पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति	-435	-104	195	144	104
	23	**कुल सर्वग्राही आय (20+21+22)**	**90343**	**118588**	**77874**	**71123**	**81701**
ग. परिसंपत्तियां							
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक)	659219	683099	732801	780687	752460
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	498980	454434	395027	303529	239099
	26	परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	38071				
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	3890	4079	4483	4694	4702
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	93971	89104	82532	70941	62655
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	2455	6785			
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	158289	120942	71547	93795	63999

	31	चालू परिसंपत्तियां	281365	190559	159640	227149	232220
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	18622	8781			
	33	**कुल परिसंपत्तियां**	**1754862**	**1557783**	**1446030**	**1480795**	**1355135**
घ. देनदारियां							
	34	इक्विटी शेयर पूंजी	366588	365488	362743	359888	355888
		अन्य इक्विटी					
	35	आरक्षित और अधिशेष	586659	511906	488384	450193	415528
	36	सिंचाई घटक के लिए योगदान	0	0	0	83458	89989
	37	कुल अन्य इक्विटी	586659	511906	488384	533651	505517
	38	लंबी अवधि के उधार	395696	265201	241530	404185	349792
	39	लंबी अवधि की अन्य देनदारियां और प्रावधान	120968	132517	135478	61395	54666
	40	लघु अवधि के उधार	111506	121840	64663	38724	3677
	41	दीर्घ अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	60077	54437	101283	37503	38431
	42	अन्य चालू देनदारियां	51505	49397	45636	45449	47164
	43	विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	61863	56997	6313		
	44	**कुल देनदारियां**	**1754862**	**1557783**	**1446030**	**1480795**	**1355135**
			-	-	-	-	-
	45	शुद्ध कीमत (34+35)	953247	877394	851127	810081	771416
	46	नियोजित पूंजी (45+38+25)	849963	688161	697630	910737	882109
	47	वर्ष के लिए लाभांश	12600	42312	33521	30389	14000
	48	मूल्य वर्धित (11)	180573	217189	171328	162068	172431
	49	कर्मचारियों की संख्या	1835	1891	1922	1936	1990
	50	शेयरों की संख्या (राशि लाख रू. में) (प्रति शेयर 1000/– रू. के सममूल्य पर)	366.59	365.49	362.74	359.89	355.89
ङ. अनुपात							
		प्रति शेयर अर्जन (रू. 11000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन शामिल है। (रू. में)	251.22	326.35	213.14	198.85	230.52
		चालू अनुपात [31/(40+41+42)]	1.26	0.84	0.75	1.87	2.60
		इक्विटी पर ऋण (38+41/45)	0.48	0.36	0.40	0.55	0.50
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (13/46)	14.47%	23.50%	16.32%	12.02%	13.92%
		निवल मूल्य पर प्रतिफल (23/45)	9.48%	13.52%	9.15%	8.78%	10.59%
		प्रचालनों से राजस्व को शुद्ध लाभ (23/1)	42.55%	48.42%	35.64%	33.95%	33.12%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू. में) (45/50)	2600.32	2400.61	2346.36	2250.93	2167.58
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (लाख रू. में) (48/49)	98.40	114.85	89.14	83.71	86.65
		प्रति शेयर लाभांश (रू. में) (प्रत्येक 1000 रू. का शेयर)	34.37	115.77	92.41	84.44	39.34
च. प्रचालन निष्पादन							
		उत्पादन (एम. यू.)	4526.85	4687.18	4540.94	4430.00	4348.29

नोट :– आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों के आधार पर है ।

प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट

निवल मूल्य बनाम उधार

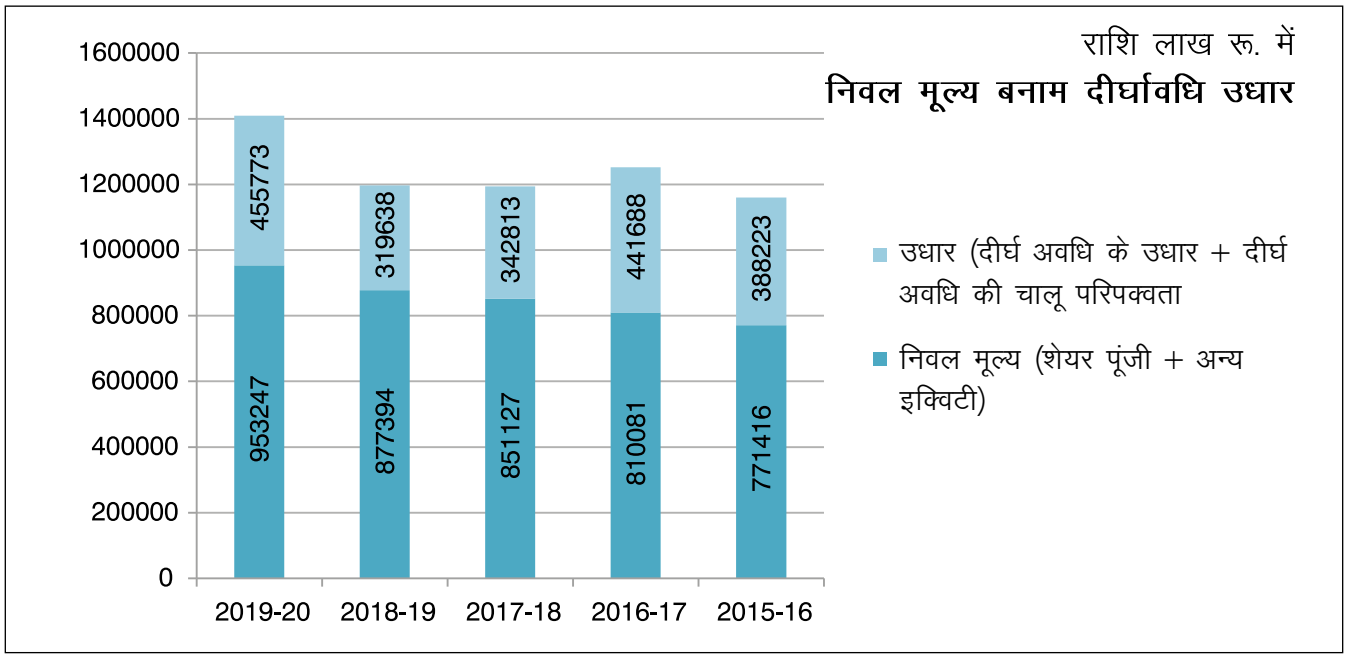

कुल राजस्व बनाम कुल व्यापक आय

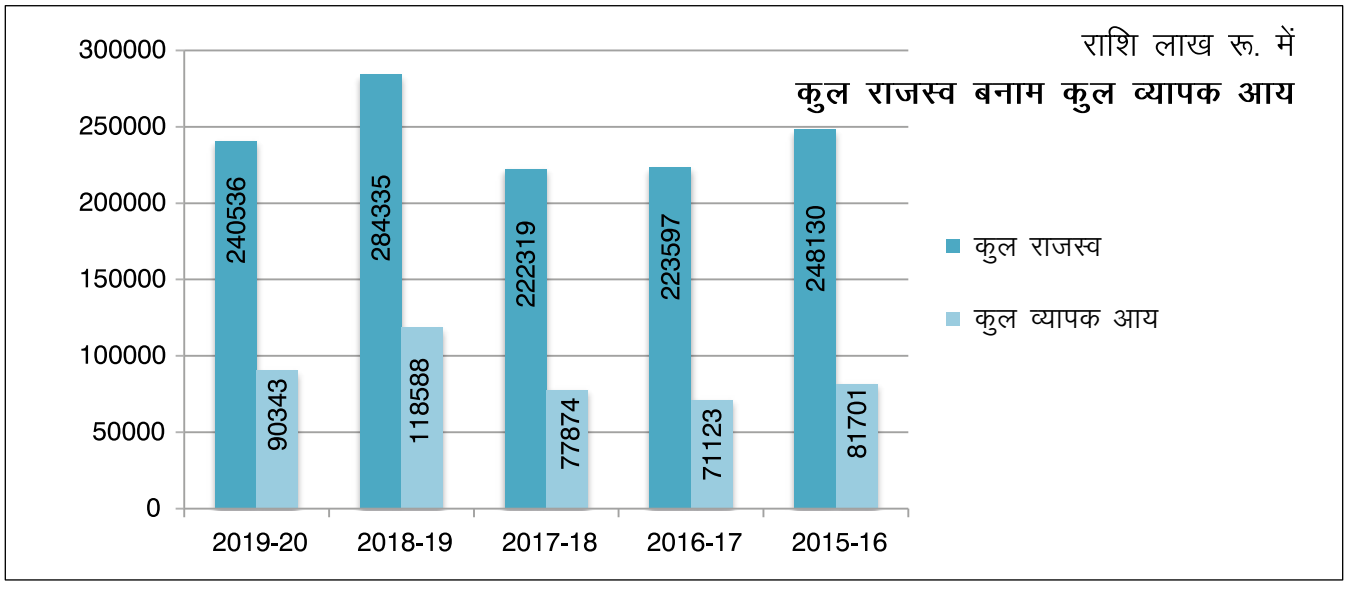

लाभांश का भुगतान

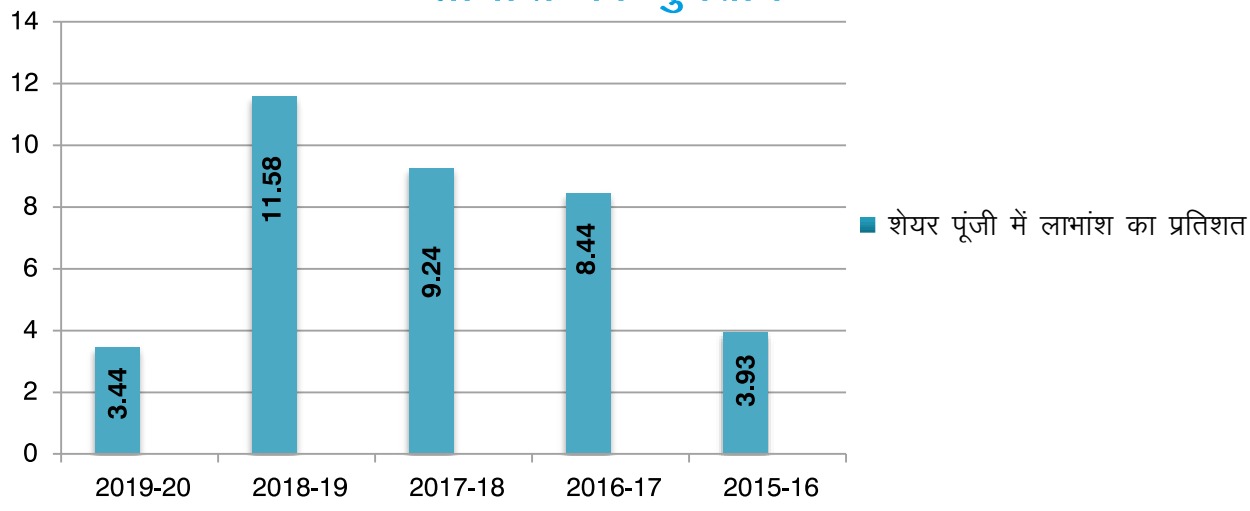

राजस्व का ब्रेकअप

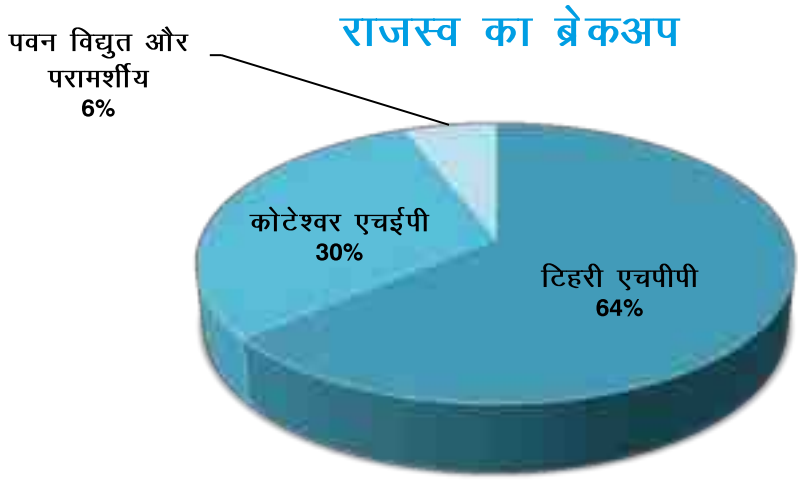

राजस्व का वितरण

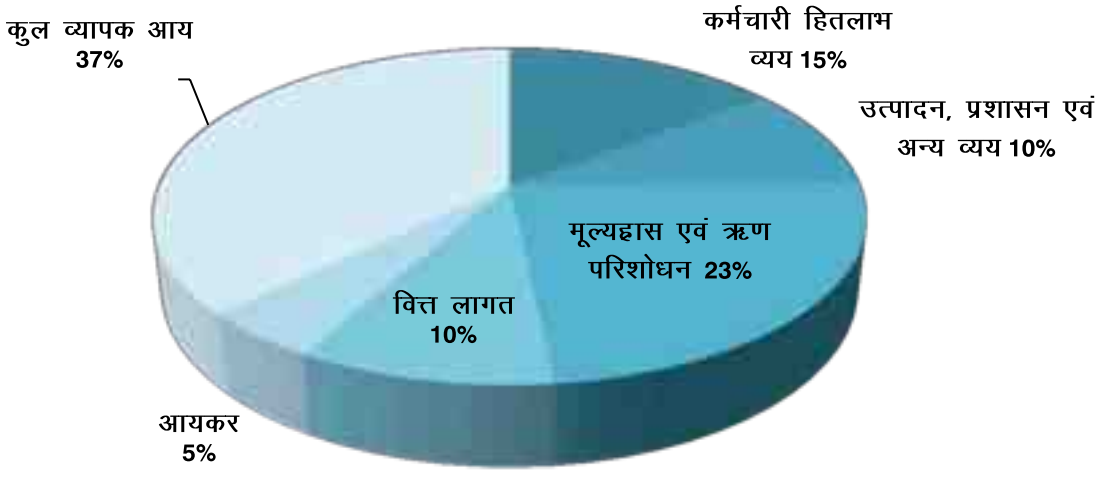

सीबीआईपी द्वारा प्रकाशित 'जल एवं ऊर्जा इंटरनेशनल' में ''कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट'' पर विशेष अंक का विचोचन समारोह

श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.के. विश्नोई, निदेशक (तकनीकी) एवं अन्य वरि. अधिकारियों के साथ स्कोप सम्मेलन केंद्र, नई दिल्ली में माननीय राज्यमंत्री (जल संसाधन), भारत सरकार, श्री आर.एल. कटारिया के कर कमलों से टिहरी बांध परियोजना के लिए सीबीआईपी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर) बेस्ट परफार्मिंग यूटिलिटी अवार्ड प्राप्त करते हुए

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्यगण,

मैं आपकी कंपनी की 32वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करता हूं और मुझे वर्ष 2019–20 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इन्हें पढ़ने के लिए अनुमति चाहूँगा।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, एनटीपीसी ने टीएचडीसी आईएल में भारत सरकार के पूरे 74.496 प्रतिशत स्टेक की खरीद करने के लिए 25 मार्च, 20 को साझेदार खरीद करार पर हस्ताक्षर किए और स्टेक के अधिग्रहण का कार्य 27 मार्च, 20 को पूरा हुआ। हालांकि, कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण विद्युत मंत्रालय के पास है और यह विद्युत मंत्रालय के माध्यम से ही जारी रहेगा। हम एनटीपीसी के दो नामित कार्यात्मक निदेशकों का भी टीएचडीसीआईएल बोर्ड में स्वागत करते हैं।

तीन दशक के लगातार कठिन परिश्रम और उत्कृष्टता ने आपकी कंपनी को विद्युत क्षेत्र की अपनी समकक्ष कंपनियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने योग्य बना दिया है। केवल निष्पादन और कार्यान्वयन के माध्यम से टीएचडीसीआईएल एकल परियोजना से बड़ी विविधीकृत विद्युत कंपनी में परिवर्तित हो गई है जिसकी उपस्थिति पांच राज्यों में है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने 24 मेगावाट की ढुकवां एसएचपी की कमीशनिंग कर दी है और इससे 13 जनवरी, 20 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरु हो गया है। इसके साथ आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता बढ़ कर 1537 मेगावाट हो गई है।

यह सूचित करते हुए मैं पुनः सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि टीएचडीसीआईएल के दो प्रचालनात्मक जल विद्युत स्टेशनों ने 05 अप्रैल–20 को रात 9.00 बजे ''प्रधानमंत्री के 09 मिनट के स्विच ऑफ लाइट्स कॉल'' के दौरान ग्रिड स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने बहुत कम समय में उत्पादन में उतार–चढ़ाव में अनुकूलता उपलब्ध कराई। इस कार्यक्रम के दौरान अखिल भारत में बिजली की मांग में कुल 31,089 मेगावाट की कमी हुई।

- हमारी टिहरी जल विद्युत परियोजना (एचपीपी)में 20:50 बजे कुल स्टेशन लोड 760 मेगावाट और ग्रिड फ्रीक्वेंसी 49.90 एच जेड बनाए रखी गयी। 20.58 बजे एनआरएलडीसी के साथ समन्वय कर और ग्रिड फ्रीक्वेंसी की मानीटरिंग कर कुल स्टेशन लोड में ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार धीरे–धीरे कमी लाकर 98 मेगावाट, ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50.10 एचजेड तक लाई। एनआरएलडीसी के साथ समन्वय कर ग्रिड फ्रीक्वेंसी के बीच 21:35 बजे स्टेशन लोड में धीरे–धीरे वृद्धि कर 595 मेगावाट तक पहुंचा दिया गया।
- कोटेश्वर में एचईपी में इस घटना के दौरान ग्रिड फ्रीक्वेंसी की मानीटरिंग करते हुए स्टेशन लोड को 211 मेगावाट से कम कर 37 मेगावाट तक लाया गया। घटना के बाद एनआरएलडीसी से परामर्श कर स्टेशन लोड को धीरे–धीरे 190 मेगावाट तक बढ़ाया गया।
- हमारी दोनों परियोजनाओं ने बहुत कम समय में रैंप अप और रैंप डाउन की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा किया।

कोविड–19 महामारी ने वर्तमान में पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। विश्व की लगभग सभी गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। कोविड–19 लाकडाउन के दौरान ऊर्जा की मांग में बड़ी कमी आई जो धीरे–धीरे किए जाने वाले अनलॉक के साथ गति पकड़ रही है। संकट के इस नाजुक मोड़ पर जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल ने स्थानीय समुदायों को अन्य राहत उपाय देने के अलावा पी एम केयर्स फंड में 10.00 करोड़ रू. और उत्तराखंड सरकार के मुख्य मंत्री राहत फंड में 2.00 करोड़ रू. का योगदान दिया जिसमें कर्मचारियों का एक दिन का वेतन शामिल है।

भारत सरकार का वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू संचयी नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता हासिल करने का महात्वाकांक्षी लक्ष्य है। वर्ष 2020–21 के लिए परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1330 बिलियन यूनिट (बीयू) निर्धारित किया गया है जो पिछले (वर्ष 2019–20) के लिए वास्तविक परंपरागत उत्पादन 1250.784 बी यू की तुलना में लगभग 6.33 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019–20 के दौरान परंपरागत उत्पादन 12850.784 बी यू हुआ जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान 1249.337 बी यू था जो 0.12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सीईए के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्ष 2021–22 में कुल विद्युत मांग का लगभग 21 प्रतिशत और वर्ष 2026–27 तक 24 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत सरकार द्वारा मार्च–19 में नई जल नीति (न्यू हाइड्रो पालिसी का कार्यान्वयन निश्चित रूप से ही हाइड्रो सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त कोविड–19 लाकडाउन के दौरान सरकार द्वारा की गई पहलों/प्रेरणा से निश्चित रूप से उत्पादकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ग्रिड में उल्लेखनीय मात्रा में पवन और सौर विद्युत के समेकन के लिए पंप स्टोरेज स्कीम (पीएसएस) के माध्यम से संतुलित रणनीतियों और भंडारण विकल्पों की आवश्यकता पड़ती है। हाइड्रो सेक्टर विशेषकर पंप स्टोरेज संयंत्रों को प्रोत्साहित करना समय की मांग है क्योंकि वे मांग एवं आपूर्ति के उतार–चढ़ाव के लिए ग्रिड को संतुलित करते हैं।

मार्च 2019 में पहली ताप विद्युत परियोजना, 1320 मेगावाट के खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला, खान परियोजना को निवेश अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद वित्त वर्ष 2019–20 में तीन बड़े पैकेज अवार्ड किए गए थे और कोविड–19 शुरू होने के पहले तक कार्य सही दिशा में प्रगति कर रहा था। तथापि, लाकडाउन में ढील दिए जाने पर पहले ही दिन अर्थात 20 अप्रैल, 20 को ही सीमित उपलब्ध संसाधनों के साथ कोविड–19 के विरूद्ध सभी निर्धारित सुरक्षा उपाय और एहतियात बरतते हुए निर्माण कार्य पुनः शुरु किए गए और इसके बाद निर्माण कार्य धीरे–धीरे गति पकड़ रहा है।

आपकी कंपनी ने 300 करोड़ रू. के बेस इश्यू साइज के 800 करोड़ रू. के कारपोरेट बांड श्रृंखला–3 और 500 करोड़ के ग्रीन शू आप्शन जारी किए हैं। 22 जुलाई, 2020 को बोली लगाई गई थी। इलेक्ट्रानिक बिडिंग प्लेटफार्म (ईबीएफ) के माध्यम से पता लगाई गई कूपन दर 7.19 प्रतिशत है। ये कारपोरेट बांड 10 वर्षों की अवधि के लिए है और इन बांडों से प्राप्त आय का प्रयोग चल रही परियोजनाओं की ऋण आवश्यकता को पूरा करने तथा पहले से ही उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति और ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा।

अति उत्कृष्टता लाने की दिशा में हमारे सतत प्रयासों तथा राष्ट्र को उत्कृष्ट योगदान देने के लिए आपके 1000 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो विद्युत संयंत्र को फरवरी, 2020 में सीबीआईपी से जल विद्युत सेक्टर में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाली यूटिलिटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

पिछले वित्त वर्ष 2019–20 की समीक्षा

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के सभी प्रचालनात्मक संयंत्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सभी संयंत्रों का संचयी उत्पादन 4527 एम यू था जो 4500 एम यू के लक्ष्य से अधिक था। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) क्रमशः 82.73 प्रतिशत और 76.31 प्रतिशत प्राप्त की गई जबकि संशोधित नियामक आंकड़े 80 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थे। पाटन और द्वारका पवन विद्युत संयंत्रों के लिए क्रमशः 24.91 प्रतिशत और 26.26 प्रतिशत के क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) की तुलना में क्रमशः 23.70 प्रतिशत और 32.13 प्रतिशत का क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) प्राप्त किया गया ।

वर्ष 2019–20 के दौरान सकल बिक्री 2123.10 करोड़ रही। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल वसूली 1973.09 करोड़ रू. रही। निवल लाभ 903.43 करोड़ रू. रहा। वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी की एमओयू रेटिंग के उत्कृष्ट होने की संभावना है।

परियोजनाएं

विद्युत मंत्रालय की सहमति से मार्च, 19 में वित्तीय प्रबंधन की शुरूआत किए जाने के उपरांत दोनों परियोजनाओं (1000 मेगावाट के टिहरी पीएसपी तथा 444 मेगावाट के

विष्णुगाड पीपलाकोटी एचईपी में गति प्राप्त हुए और टिहरी पीएसपी पूरी तरह से पटरी पर आ चुकी थी जबकि वीपीएचईपी की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार आया। वीपीएचईपी में नवम्बर, 2019 में टीबीएम का आरंभण किया गया है और लांचिंग चैम्बर को आगे बढ़ाने का कार्य भी फरवरी, 2020 में पूरा हो गया।

परंतु अचानक कोविड–19 महामारी के फैलने के कारण टीएचडीसी परियोजनाओं पर सभी निर्माण कार्य ''लाकडाउन दिशानिर्देशों'' के अनुपालन में 22 मार्च, 20 तक रूके रहे। हालांकि, टीएचडीसीआईएल के दोनों प्रचालनरत हाइड्रो संयंत्र और पवन संयंत्र कोविड–19 के विरूद्ध सभी निर्धारित सुरक्षा उपाय कर और एहतियात बरत कर लाकडाउन के दौरान लगातार प्रचालित किए जाते रहे। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सीमित संसाधनों के साथ और कोविड–19 के विरूद्ध सभी सुरक्षा उपाय करते हुए और एहतियात बरतते हुए सभी निर्माणधीन परियोजनओं में पुनः निर्माण कार्य शुरू किए गए। पूरे देश में देखी गई प्रवृत्ति के अनुसार प्रवासी मजदूरों के पलायन के कारण हमारी परियोजनाओं में कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा। तथापि, टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों से सभी निर्माण परियोजनाओं पर स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसके परिणामस्वरुप, 50 मेगावाट के कासरगॉड सौर विद्युत परियोजनाओं के अब दिसम्बर, 2020 तक प्रारंभ हो जाने का अनुमान है। इसकी कमीशनिंग के साथ आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 1587 मेगावाट हो जाएगी।

1320 मेगावाट के खुर्जा एसटीपीपी के मुख्य कार्य के लिए तीन पैकज नामतः स्टीम जनरेटर (एस जी) और सम्बद्ध पैकेज, टर्बाइन जनरेटर (टी जी) और सम्बद्ध पैकेज और स्विचयार्ड पैकेज अवार्ड किए गए हैं, जबकि शेष पैकेज दिसम्बर, 2020 तक अवार्ड किए जाने हैं। अमेलिया कोयला खदान में कुल 1412.37 हेक्टेअर भूमि अधिग्रहण का कार्य अनुमति प्राप्त किए जाने के विभिन्न चरणों में है। खनन योजना को कोयला मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। खान विकासकर्ता और प्रचालक (एमडीओ) के चयन के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं और एमडीओ को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सततता

आपकी कंपनी ने कंपनी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी सेवा–'टीएचडीसी' के माध्यम से कंपनी के प्रचालनात्मक क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व की दिशा में व्यापक गतिविधियां चलाना जारी रखा।

टीएचडीसीआईएल का प्रचालन क्षेत्र काफी बड़ा है और कंपनी की अनिवार्य सीएसआर निधि हितधारकों की बुनियादी आवश्यक जरुरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति पर विजय पाने के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/एजेंसियों के साथ साझेदारी परियोजनाओं के लिए समझौता किया और लक्षित समुदायों के जीवन में समग्र और सतत सुधार लाने के लिए कृषि, बागवानी, वाटरशेड विकास, ग्रामीण विकास स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों आदि में 8.00 करोड़ रू. से अधिक अतिरिक्त निधियां जुटाईं।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी वर्ष 2019–20 की सीएसआर थीम ''स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण'' पर सीएसआर बजट के 60 प्रतिशत को उपयोग में लाने में सफल रही है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी कंपनी ने राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त परियोजना के अंतर्गत हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार टिहरी गढ़वाल जिले के दुर्गम क्षेत्र में 20 नए स्थानों (कुल 40 केन्द्र) में टेलीमेडिसिन परियोजना शुरु की है जो अब लगभग 200 ग्राम सभाओं की लगभग एक लाख जनसंख्या की जरुरतें पूरी कर सकते हैं।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को बल प्रदान करने के लिए टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार जिले में अब तक कुल 83 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं ताकि स्व–सहायता समूह के माध्यम से पावर टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि जैसे आधुनिक उपकरणों से किसानों की सहायता कर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने से लेकर कार्यान्वयन तक लोगों वरीयतः महिलाओं की सहभागिता से सी एस आर परियोजनाओं की परिकल्पना करने के लिए प्रयास किए गए। इन प्रयासों के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान लाभर्थियों के लिए 100 से अधिक स्व–सहायता समूहों और 2 सहकारी समितियों का सृजन किया गया।

आपको सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने 9 मई, 2019 को प्रथम सीएसआर दिवस मनाने में अग्रणी भूमिका निभाई और इसे आयोजित करने वाला पहला संस्थान बना। अपर सचिव, लोक उद्यम विभाग ने भी इस समारोह में भाग लिया और टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों और आजीविका, टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य देखभाल और फार्म मशीनरी बैंक में अभिसारी परियोजनाओं की प्रशंसा की। टीएचडीसीआईएल के अतुल्य कार्यों से युक्त

सीएसआर दिवस पर ''10 इयर्स आफ इनलाइटेनिंग लाइव्ज'' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसे अपर सचिव ने न केवल उपलब्धियों का दस्तावेज बताया बल्कि आजमाई गई सीएसआर की परियोजनाओं का ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज भी बताया जो केन्द्रीय उपक्रमों को सर्वोत्तम परिपाटियों को कार्यान्वित करने का विकल्प देती हैं।

टीएचडीसीआईएल, कोरोना महामारी के विरूद्ध लड़ाई में सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। कंपनी के कर्मचारियों ने स्थानीय प्रशासन की सहायता से परियोजना क्षेत्र और आस–पास की बस्तियों में संरक्षण राहत अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

हम सभी के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी को अलग–अलग क्षेत्रों से विभिन्न अवार्ड नामतः ''ग्रामीण स्वास्थ्य पहल श्रेणी के अंतर्गत आईएचडब्ल्यू काउंसिल द्वारा सीएसआर हेल्थ इंपैक्ट अवार्ड– 2019 '' स्वास्थ्य के लिए चिंता'' श्रेणी के अंतर्गत जी बिजनेस द्वारा नेशनल सीएसआर लीडरशिप एवार्ड–2019, ''ग्रामीण विकास और अवसंरचना'' श्रेणी के अंतर्गत नेशनल सीएसआर समिति द्वारा सीएसआर टाइम्स एवार्ड–2019 और ''स्वास्थ्य के लिए चिंता'' श्रेणी के अंतर्गत ईटी द्वारा वर्ड सीएसआर डे कांग्रेस एवार्ड्स 2020 प्रदान किए गए।

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ऐसे तरीके से व्यापार चलाना चाहती है जो कारपोरेट सुशासन के दर्शन के अनुरूप हो, हमारी प्रत्येक मूल मान्यता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हो, हितधारकों के सतत मूल्य संवर्धन करने योग्य स्थिति में लाता हो, हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम देता हो और हमारे कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध करवाता हो, आपूर्तिकताओं को हमारी तरक्की में साझेदार बनाता हो तथा समाज को समृद्ध करता हो। आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की गई आवश्यक बातों तथा कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करती रही है। आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हो रही है।

कंपनी की निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक सुशासन पद्धतियों की सुदृढ़ विरासत है। इस दिशा में अनैतिक आचरण के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आपकी कंपनी ने अलग से सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। ऐसे सतर्कता तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में आपकी कंपनी में सूचना प्रदाता नीति (व्हिसिल ब्लोअर पालिसी) है। सूचना प्रदाता नीति से संबंधित सभी सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निवेशकों की सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए आपकी कंपनी सेबी स्कोर्स के शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल करती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली है।

आपकी कंपनी का कारपोरेट सुशासन का दर्शन इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुशासन की भावना पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक व्यापार पद्धति, पूर्ण रूप से कानून के पालन पर्याप्त प्रकटन, कारपोरेट निष्पक्षता, सामाजिक अनुक्रियाशीलता और संगठन के लिए प्रतिबद्धता के उच्च मानकों के पालन में निहित होती है।

आपकी कंपनी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट संस्था है जो सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं संचालित कर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ''पर्यावरण बचाने'' में सहायता देने के कार्य में आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से वेब आधारित ई–ऑफिस, कार्य प्रणाली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने पारदर्शिता और सुशासन के लिए बहुत वर्ष पहले कागज रहित बोर्ड को अपनाया है। इससे कागज के प्रयोग में काफी कमी आई है और इससे जवाबदेही में वृद्धि आई है तथा फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई करना संभव हुआ है।

भावी दृष्टिकोण

देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समय की जरूरत है कि हमारी निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रारंभण में तेजी लाई जाए। कंपनी के सतत विकास के लिए नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करना मुख्य एजेंडा हैं। मुझे विश्वास है कि कोविड–19 महामारी की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरत कर और सुरक्षा उपाय अपना कर कंपनी के समर्पित और अनुभवी कर्मचारी वृंद उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

आपकी कंपनी उत्तराखंड तथा देश के अन्य जल से संपन्न राज्यों में और हाइड्रो परियोजनाएं ले जाने के प्रति पूरी तरह से केन्द्रित है। कंपनी की सतत आर्थिक वृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी मुख्य एजेंडा है।

यह सूचित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से 2000

22 सितंबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से आयोजित हुई 32वीं वार्षिक आम सभा का स्क्रीनशॉट

मेगावाट यूएमआरईईपीपी विकसित करने तथा राजस्थान में 1500 मेगावाट विकसित करने के लिए एमएनआरई ने टीएचडीसीआईएल को आबंटित किया है। यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन पहले ही किया जा चुका है। टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीयूपीएनईडी सोलर कारपोरेशन लिमिटेड) का गठन टी एच डी सी और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी साझेदारी के साथ किया गया है।

आभार

सज्जनों, पिछले एक वर्ष के दौरान सभी कर्मचारी बल अपने समर्पित प्रयासों से टिहरी पीएसपी को वापस पटरी पर लाने में सफल रहा और वीपीएचईपी ने भली–भांति प्रगति आरंभ किया। परंतु अभी वीपीएचईपी को और अधिक प्रबंधन हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो इसमें पूरी तरह से पूर्व स्थिति में लाने के जरुरी होगा। खुर्जा एसटीपीपी, अमेलिया कोयला खदान की गतिविधियां परिकल्पना के अनुसार सही दिशा में बढ़ रही है। संपूर्ण टीएचडीसीआईएल परिवार द्वारा वास्तव में किए गए प्रशंसनीय प्रयासों के लिए सराहना की जानी चाहिए। आपकी ओर से भविष्य में भी उसी उत्साह के साथ मैं उनके सतत सहयोग की कामना करता हूं। मान्यता स्वरूप भविष्य में उनके प्रयासों को उचित ढंग से पुरस्कृत किया जाएगा।

कंपनी की ओर से मैं भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। पूरे वर्ष के दौरान भरपूर समर्थन और सहयोग के लिए सीईए, सीडब्ल्यूसी, सीआईआरसी, डीपीई,सेबी, बीएसई, एनएसई तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों तथा गैर सरकारी एजेंसियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं अपने हितधारकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हममें विश्वास और समर्थन जताया है। मैं आपकी कंपनी के विकास में योगदान और सहयोग देने के लिए हमारे ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं, बैंको और वित्तीय संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इससे पूर्व कि मैं अपने शब्दों को विराम दूं जिनको आप धैर्य से सुन रहे हैं, मैं बोर्ड के सम्मानित सहकर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं।

शुभकामनाओं सहित।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 22.09.2020

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह ने 01.12.2016 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण किया। श्री सिंह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राऊरकेला से (1983 बैच) सिविल अभियांत्रिकी स्नातक हैं तथा आपको भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास और भारी सिविल निर्माण में तीन दशक से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने लार्सन एंड टूब्रो में कार्य किया था।

श्री सिंह ने टिहरी विद्युत गृह के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई और आप इसकी योजना बनाने तथा निर्माण कार्य के प्रभारी रहे। आप टिहरी परियोजना की स्पिलवे प्रणाली के निर्माण और नियोजन तथा इससे जुड़े कार्यों जैसे संविदा और सामग्री प्रबंधन, भवनों और सड़कों के निर्माण से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। आप परियोजना द्वारा विस्थापित किए गए लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से भी गहराई से जुड़े थे।

श्री सिंह को उनके नेतृत्व में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने का श्रेय भी जाता है जबकि देरी के कारण यह पटरी से उतर चुकी थी। उन्होंने कार्यान्वयन में अनेक नवाचारी पद्धतियों की शुरूआत की जिनसे टीएचडीसीआईएल को चार वर्षों के रिकार्ड समय में परियोजना की कमीशनिंग करने में मदद मिली। श्री सिंह को वर्ष 2012 में आईआईटी, रुड़की "इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स" (इंडिया) के राष्ट्रीय कन्वेंशन में "एमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनलिटी अवार्ड" से भी सम्मानित किया गया। आपको इस परियोजना के लिए "इंस्टीट्यूशन्स आफ इंजीनियर्स" (भारत) "चार्टर्ड इंजीनियर" का सम्मान भी प्रदान किया गया है।

श्री राज पाल

श्री राज पाल 30 अगस्त, 2017 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आप विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं तथा आप इंडियन इकॉनोमिक सर्विस से हैं। आपने इकॉनोमिक्स में मास्टर्स एवं एम. फिल किया है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकॉनोमिक्स, टोकियो, जापान से डेवलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है। इंडियन इकॉनोमिक सर्विस के सदस्य के रूप में श्री राज पाल को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में लगभग 29 वर्ष का कार्यानुभव है। विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पूर्व टेलीफोन रेग्युलेटरी एथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपने सलाहकार, आर्थिक विनिमय के रूप में कार्य किया है।

श्री टी. वेंकटेश

श्री टी वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव (सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग), उ.प्र. को 14 मई, 2018 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने मेकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. एवं एम.ई. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। श्री टी. वेंकटेश ने अपना कैरियर सहायक कलेक्टर के रूप में शुरु किया और इसके बाद आपने परियोजना निदेशक, अलीगढ़, सीडीओ और विभिन्न जिला प्रशासनों में प्रमुख अधिकारी, गोंडा,अल्मोड़ा और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, उ.प्र. सरकार में विशेष सचिव, जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक गोरखपुर डिवीजन में कमीशनर सहित उ.प्र. में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप अगस्त, 2005 से अगस्त, 2012 तक तथा मार्च, 2017 से नवम्बर, 2017 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए और वहां पर संयुक्त सचिव, सीवीओ इत्यादि का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।

श्री विजय गोयल

श्री विजय गोयल ने 26.03.2018 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन में 35 वर्षो से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। इससे पूर्व श्री गोयल टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 01.06.2015 से महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.) पद पर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे। साथ ही, आप कारपोरेट संचार, विधि एवं माध्यस्थम प्रकार्यों के प्रभारी भी थे। उनके हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र नीति निर्माण मानवशक्ति नियोजन स्थापना एवं संपदा प्रकार्य, कर्मचारी संबंध, श्रम कानूनों का अनुपालन और नीतियों का समग्र निर्माण और कार्यान्वयन है। आपने एनएचपीसी से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 1990 में वरि. कार्मिक अधिकारी (एसपीओ) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जुलाई, 1988 में निगम की स्थापना के तत्काल बाद आपने शुरुआती मानव संसाधन प्रणालियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। श्री गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) हैं।

श्री जे.बेहरा

श्री जे. बेहरा ने 16.08.2019 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया। आप कॉमर्स में स्नातक हैं और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त एवं लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपको कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना स्थलों में भी कार्य का लंबा अनुभव है। आप गत दो वर्ष से टीएचडीसी के प्रमुख वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित एवं कार्यान्वित हुई तथा आपने वित्त एवं लेखा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने टीएचडीसीआईएल के पहली बार बांड जारी करने एवं पवन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने दिनांक 01.09.2019 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। श्री विश्नोई 'बिट्स' पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में आनर्स ग्रेजुएट हैं। आपको हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 33 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। आपने एएससीआई, हैदराबाद एवं एसडीए बेकानी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित लीडिंग स्ट्रेटजिक चेंज में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य करते हुए आपने अनेक प्रतिष्ठित उपलब्धियां अर्जित की हैं। आपने विश्व बैंक के विशेषज्ञों से प्राप्त निरंतर सहायता से बहुप्रशंसित पीपलकोटी परियोजना की अवधारणा विकसित की एवं इसे अंतिम रूप दिया तथा उसके संविदा दस्तावेज में रिस्क शेयरिंग तंत्र को शामिल किया। आपने विश्व बैंक विशेषज्ञ ग्रुप के सदस्य के रूप में ईपीसी बनाम यूनिट दर संविदाओं के संदर्भ में विचार–विमर्श करने एवं दिशा–निर्देश बनाने के लिए वाशिंगटन डीसी, यूएसए में उनके निमंत्रण पर प्रतिभागिता की। आप इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आई. सी.ओ.एल.डी) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री आनंद कुमार गुप्ता

श्री आनंद कुमार गुप्ता की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 23.04.2020 से नियुक्ति हुई। आप मोती लाल नेहरु नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। एनटीपीसी में आपका 38 वर्षों का शानदार केरियर रहा है जिसमें विद्युत उत्पादन के सभी क्षेत्र अर्थात विद्युत परियोजनाओं की अभियांत्रिकी और डिजाइन, संयत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण, विपणन और व्यापार विकास तथा वाणिज्यिक और विनियामक मामले आते हैं। आपने विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय विद्युत संयंत्रों, उप केंद्र संस्थापनाओं और उपस्कर विनिर्माण संयंत्रों का दौरा किया है और आप सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों से भली–भांति परिचित हैं। आपने विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं के प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्तमान में आप एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर श्री गुप्ता दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हुए।

श्री अनिल कुमार गौतम

श्री अनिल कुमार गौतम की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 23.04.2020 से नियुक्ति हुई। आप वाणिज्य में स्नातक हैं तथा इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। आप विधि में स्नातक भी हैं। आपको विद्युत क्षेत्र, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाना, दीर्घकालिक वित्तीय योजना, कराधान, बजटिंग, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशक सेवाएं और नियामक मामले शामिल हैं, में वित्त और लेखाओं के विभिन्न पक्षों में 34 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में आप एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं।

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य की नियुक्ति दिनांक 26.08.2020 को हुई। आप जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आपने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में परा स्नातक डिप्लोमा भी कया है। श्री भट्टाचार्य ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के नौंवें बैच में वर्ष 1984 में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और आपकी शुरूआती तैनाती कोरबा में हुई। आपने अपने केरियर की शुरूआत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में की। इसके बाद आपने 1600 मेगावाट के फरक्का एसटीटीपी विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, जीणोद्धार और आधुनिकीकरण, पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। आपने एनटीपीसी के उर्ध्वाकार और क्षैतिज व्यवसाय विविधीकरण तथा अजैविक मार्ग से विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में एनटीपीसी के व्यापार विकास कार्य में आपका शानदार केरियर रहा है जिसमें मुख्य बल कोलडैम का अधिग्रहण कर जल–विद्युत में एनटीपीसी के विविधीकरण तथा विद्युत वितरण के व्यापार के लिए सहायक कंपनी एनईएससीएल स्थापित करने पर रहा है। आप बंगलादेश स्थित 1320 मेगावाट की मैत्री विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने और परियोजना की अवधारणा तैयार करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही। एनटीपीसी में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व आपने प्रबंध निदेशक और सीईओ (बंगलादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी लिमिटेड), कार्यकारी निदेशक (व्यापार विकास) और कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) एनटीपीसी के रूप में काम किया है।

व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट–
सतत तरीके से पूँजी निर्माण 2019–2020

वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीएआईल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्त्व देता है और न केवल सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यक सामाजिक दायित्व पूरा करता है बल्कि लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।

दिनांक 31.03.2020 को टीएचडीसीआईएल साम्या पूंजी 3665.88 करोड़ रु है, 31.03.2019 तक आरक्षिती 5866.59 करोड़ रु है और दीर्घकालिक ऋण 4557.73 करोड़ है।

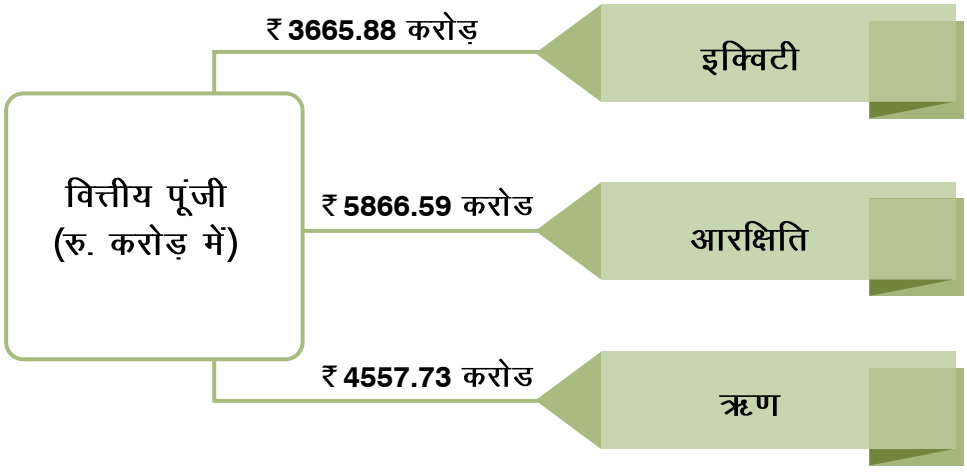

वाणिज्यिक प्रचालन के बाद लाभ के संचयन के माध्यम से उत्पादित वित्तीय पूँजी दिनांक 31.03.2020 तक 8306.00 करोड़ रु. है, इसमें से दिनांक 31.03.2020 तक कर सहित वितरित लाभांश 2439.41 करोड़ रु. है और प्लो बैंक के लिए आरक्षित 5866.59 करोड़ रु. है।

तुलन पत्र का आकार

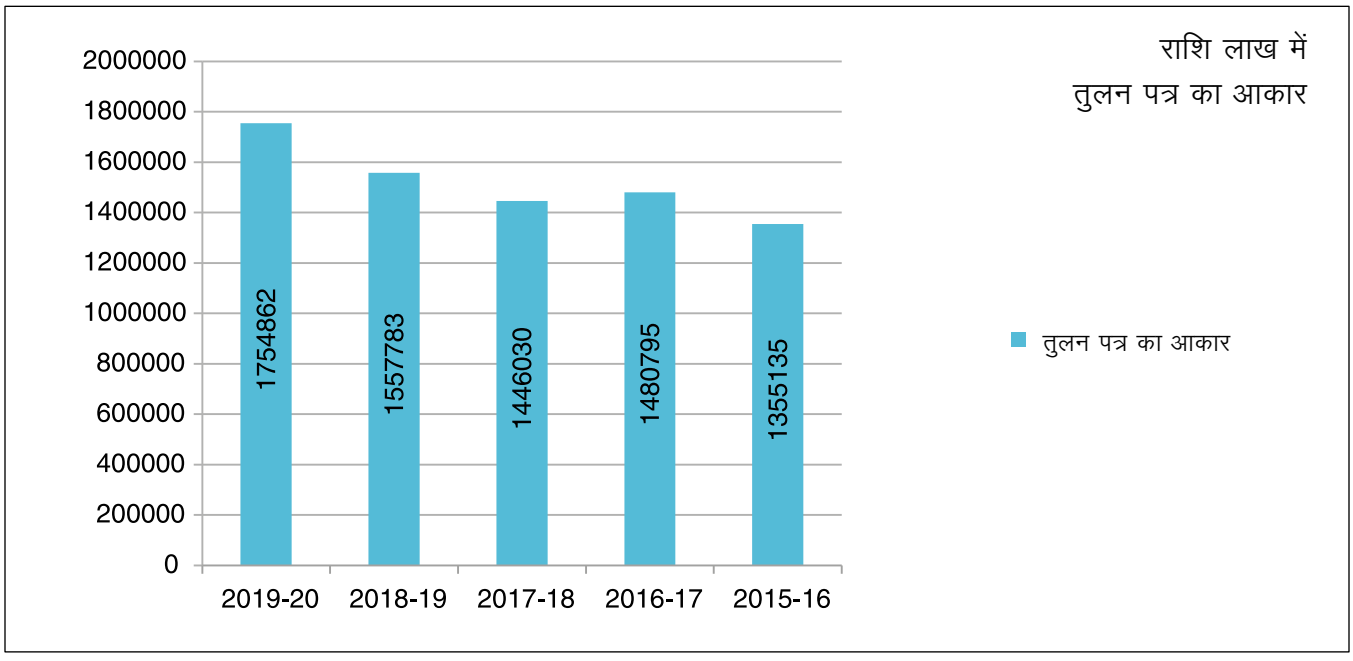

लाभांश का भुगतान

कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग के अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति पर अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है। कंपनी के वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 1260 मिलियन रू. के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16.09.2020 के पत्र एफ सं. 8/16/2019– टीएच–आई के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 4027.1 मिलियन के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कुल व्यापक आय का 44.58 प्रतिशत है।

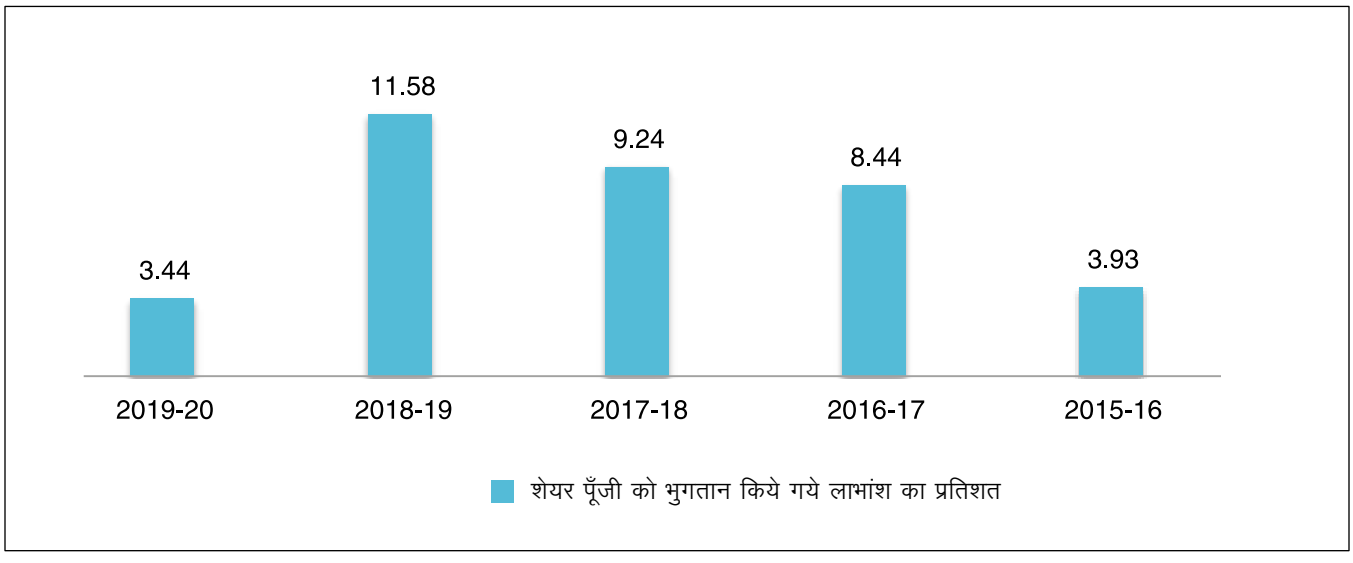

योजना बनाना और बजट उपलब्ध करवाना

टीएचडीसीआईएल का विश्वास है कि कंपनी की सफलता और वृद्धि पर कंपनी द्वारा विश्वसनीय और यथार्थपरक वित्तीय पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तदनुसार दीर्घकालिक कॉर्पोरेट योजना के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन में वित्तीय पूर्वानुमान तैयार किये गए हैं ताकि रणनीतिक निवेश निर्णय और पारिश्रमिक राजस्व धारा सुनिश्चित की जा सके। वार्षिक योजनाओं का प्रबंधन और उसकी निगरानी वार्षिक वित्तीय बजटिंग द्वारा की जाती है।

महत्त्वपूर्ण पहलें:

ऑटोमेशन

- त्वरित और दक्ष निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधन के पास वास्तविक समय की वित्तीय सूचना उपलब्ध हो। इस दिशा में टीएचडीसीआईएल के पास एक कार्यकुशल वेब आधारित प्रबंधन है। मानवीय हस्तक्षेप से बचने तथा हितधारकों को समय से भुगतान करने के लिए टीएचडीसीआईएल ने ई–भुगतान प्रणाली अपनाई है। आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और कर्मचारियों को सभी भुगतान ई–भुगतान द्वारा किया जाता है।
- कागज़ रहित बनने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए टीएचडीसीआईएल ने अपने कर्मचारियों को टेलीफोन, वाहन भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न फार्मों के स्थान पर ऑनलाइन फॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिससे 100% पारदर्शिता और परिशुद्धता सुनिश्चित होती है। इससे न केवल कागज़ के खर्च में कमी आती है बल्कि जनशक्ति के खर्च में भी कमी आती है।

कठोर आंतरिक नियंत्रण मानक

आंतरिक वित्तीय प्रणाली निगम के वित्तीय जोखिम को कम से कम करने के साथ इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थापित की गयी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, निर्णय लेने की कुशलता और गति को कम किए बिना कंपनी की सीमित वित्तीय पूँजी के कुशल उपयोग पर ध्यान देती है। वित्तीय प्रबंधन मैन्युअल और अन्य नियंत्रण प्रणालियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें परिवर्तित होती पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए संगत बनाया जा सके।

क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल की वित्तीय रेटिंग की वार्षिक निगरानी मेसर्स केयर और इंडिया रेटिंग द्वारा की जाती है। यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी व्यय दरों पर ऋण पूँजी उठाने में मदद करती है। साथ ही हमारे पणधारियों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। **टीएचडीसीआईएल की वर्तमान रेटिंग, इंडियन रेटिंग द्वारा एए + दी गई है और 'केयर' और आईसीआरए द्वारा एए स्टेबल स्टेबल दी गई है।**

नई पहलें 2019–20

टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला–2 जारी करना: टीएचडीसीआईएल ने 8.75 प्रतिशत की कूपन दर पर 1500 करोड़ रू. की टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला–2 जारी की है जिस पर निवेशकों से भरपूर प्रत्युत्तर मिला है। यह टीएचडीसीआईएल में हमारे हितधारकों के विश्वास और भरोसे को व्यक्त करता है–

लिखतों का कैलीब्रेशन: टीएचडीसीआईएल में सुदृढ़ आईएसओ सिस्टम का कार्यान्वयन करने के लिए एक आनलाइन सिस्टम विकसित करने की पहल की गई है जो उन परियोजनाओं के लिए अग्रिम जानकारी उपलब्ध करवाती है जिनके लिए ऐसा कैलीब्रेशन नियत किया जाएगा जिससे लिखतों द्वारा परीक्षण की प्रमाणिकता सिद्ध होगी जिससे गतिविधियों के पूरा होने की समय सीमा के संबंध में आईएसओ की आवश्यकता का पालन होगा।

औषधालय का कंप्यूटरीकरण: टीएचडीसीआईएल को डिजिटल रूप में समर्थ बनाने के लिए टीएचडीसीआईएल के डिजिटलाइजेशन की श्रृंखला में एक नई पहल की गई है जिसमें टीएचडीसीआईएल निरामय स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन शामिल है। इससे न केवल डिजिटलाइजेशन के लाभ जैसे लागत की बचत होगी बल्कि एक ही स्थान पर कर्मचारियों का पूरा चिकित्सा विवरण भी उपलब्ध होगा।

गतिविधियों को समय से पूरा करना: कोविड–19 के कारण लाकडाउन की अवधि में हम लोगों के द्वारा अतीत में की गई पहलें घर से काम पूरा करने में अधिक सहायक सिद्ध हुई हैं और हमें डिजिटालाइजेशन की दिशा में बढ़ने को प्रेरित करती हैं और डिजिटल मोड में हितधारकों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। हमारी लेखा–परीक्षा आनलाइन की जाने से टीएचडीसीआईएल को समय से अपने खातों को बंद करने में मदद मिली है जिसमें पूंजी और वित्तीय पूंजी में कार्यकुशलता प्राप्त करने में मदद मिली है।

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में टीएचडीसीआईएल ने दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम जिसमें सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली शामिल है, कार्यान्वित कर समग्र विकास दृष्टिकोण से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों को हमेशा ही अपनाया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकीय विकास और लक्षित समुदाय के जीवन में सतत परिवर्तन क्षेत्रों पर विचार कर किए गए थे। सीएसआर से जुड़े 7 चिन्हित क्षेत्रों में मोटे तौर पर वे गतिविधियां शामिल हैं जो अधिनियम की अनुसूची–7 में सूचीबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:

टीचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)	• पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं
टीएचडीसी जागृति (उज्जवल भविष्य के लिए पहलें)	• शिक्षा संबंधी पहलें
टीएचडीसी दक्ष (कौशल)	• आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें
टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)	• ग्रामीण विकास
टीएचडीसी समर्थ (सशक्तिकरण)	• सशक्तता से जुड़ी पहलें
टीएचडीसी सशक्त (सक्षम)	• बुजुर्गों और भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल
टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)	• पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें

विभिन्न समग्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए शहीद भगत सिंह सायं कालीन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और दो गैर लाभग्राही संगठन, कंपनी प्रायोजित, स्थापित पंजीकृत सोसाइटी सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से संलग्न थे। सीएसआर तथा सततता गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संचार रणनीति भी उपलब्ध है।

हमारा सीएसआर पर खर्च

सांविधिक अनुपालन के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ (पीबीटी) का दो प्रतिशत है

01

पूर्ववर्ती 03 वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ 1075.52 करोड़ रू. है।

02

वित्त वर्ष 2019–20 का सीएसआर बजट 21.51 करोड़ रू. है।

03

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय 21.62 करोड़ रू. है।

भिन्न–भिन्न क्षेत्र की प्रमुख पहलें

स्वास्थ्य

टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थाओं के साथ विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों तथा जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार समाधान और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल के समुदायोन्मुख कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

क. दीनगांव, टिहरी में एलौपैथिक औषधालय:

- टीएचडीसीआईएल ने दीनगांव, टिहरी में एक एलोपैथिक औषधालय स्थापित किया है जिसे शहीद भगत सिंह (सायंकालीन) कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय संचालन करता है। इस पर होने वाला वार्षिक व्यय लगभग 30 लाख रू. है।
- यहां निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं (अर्थात एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टाफ और बुनियादी पैथालॉजिकल परीक्षण, एक्सरे ईसीजी ऑन काल एम्बुलेंस सुविधा तथा माइनर ओ टी।
- आसपास स्थित क्षेत्रों के 40 गांवों के लगभग 15000 लोगों की जरुरतों को पूरा करता है।

ख. बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर

- सेवा–टीएचडीसी प्रत्येक वर्ष टिहरी जिले में नेत्र शिविर सहित 10–15 बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर तथा सीमा डेंटल कालेज, ऋषिकेश के साथ मिलकर दंत चिकित्सा शिविर आयोजित करता है।
- एक अन्य प्रतिष्ठित एनजीओ रोटरी इंटरनेशनल को राज्य के विभागों से परामर्श पर टिहरी जिले के दूरदराज के गांवों में और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगाया जा रहा है।

ग. टेली मेडीसन सेंटर:

- टेली मेडीसन स्कीम में, दूर स्थित स्थान से चिकित्सकीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है जिसे दिसम्बर, 2017 में शुरु किया गया था। जिला प्रशासन, टिहरी के साथ समन्वय कर टिहरी जिले में 40 टेलीमेडिसन केन्द्र प्रचालनरत हैं और 200 ग्राम सभाओं के लगभग 01 लाख लोगों की जरुरतें पूरी कर रहा है।

घ. कोविड–19

- ➢ टीएचडीसीआईएल ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रू. तथा उत्तराखंड राज्य राहत कोष में 2 करोड़ रू. का अंशदान किया जिसमें कर्मचारियों के वेतन से आंशिक योगदान किया गया है।
- ➢ टीएचडीसीआईएल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 5.00 लाख रू. जमा किए हैं।
- ➢ इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी को 25 लाख रू. भी अवमुक्त किए हैं और चिकित्सीय उपस्करों की खरीद के लिए टिहरी गढ़वाल के सी.एम.ओ. को 8 लाख रू. अवमुक्त किए हैं।

शिक्षा सफलता की कुंजी है

वंचित अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों को शिक्षा प्रदान करने उच्च और तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए कारगर हस्तक्षेप किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख हस्तक्षेप इस प्रकार है:–

- **वंचित/कम सुविधा प्राप्त समुदायों के लिए स्कूलों का संचालन:**
  - ➢ टीएचडीसीआईएल, टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में तथा देहरादून जिले के ऋषिकेश में तीन स्कूल चला रही है।
  - ➢ इन स्कूलों में लगभग 900 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जिन्हें निःशुल्क यूनिफार्म, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा आदि तथा ''नैवेद्यम'' स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है जिस पर 6 करोड़ रू. वार्षिक व्यय होता है।
- **विशिष्ट कक्षाएं– शैक्षिक सहायता का कार्यक्रम:**
  - ➢ छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु समर्पित शिक्षकों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, रिजनिंग और गणित की शिक्षा देने के लिए ।
  - ➢ इस परियोजना से कुल 287 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

ग्रामीण विकास

- आसान खेती, अधिक पैदावार, समय की बचत और पलायन रोकने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंकों को प्रोत्साहित करना।
- उत्तराखंड के टिहरी और हरिद्वार जिले के विभिन्न स्थानों पर अब तक कुल 83 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। कृषि संबंधी गतिविधियों को बल देने के लिए लगभग 350 स्व–सहायता समूह बनाए गए हैं तथा छोटे–छोटे संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से कृषि पैदावार एकत्र करने के लिए 3 सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

प्राकृतिक पूंजी

विश्व में प्राकृतिक सम्पतियों के भंडार को प्राकृतिक पूंजी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी जीवित वस्तुएं शामिल हैं। इससे तात्पर्य हमारे द्वारा सुरक्षित और सृजित किए जाने वाले मूल्यों से होता है जो हम अपने बाहरी और आंतरिक हितधारक और समुदाय के लिए सृजित करते हैं या वे कदम हैं जो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/पर्यावरण उपशमन के लिए उठाते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने अपनी स्थापना के समय से ही प्राकृतिक पूंजी को अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। कंपनी द्वारा किए गए निम्न प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हर पक्ष पर बल दिया जाता है:–

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान

➢ प्रचालन के पहले वर्ष अर्थात 2006–07 से 2019–20 तक टीएचडीसीआईएल देश को बिजली उपलब्ध करवाता रहा है और 53,138.863 मि. यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया है। इसके द्वारा टीएचडीसीआईएल ने कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बचाने में देश की मदद की है जिनका उपयोग इतनी ही मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया गया होता। टीएचडीसीआईएल के प्रचालन से कुल 27632208.76 मीट्रिक टन कोयले की 581635444.7 एमसीएफ प्राकृतिक गैस की और 99754568.18 बैरल पेट्रोलियम की बचत हुई है।

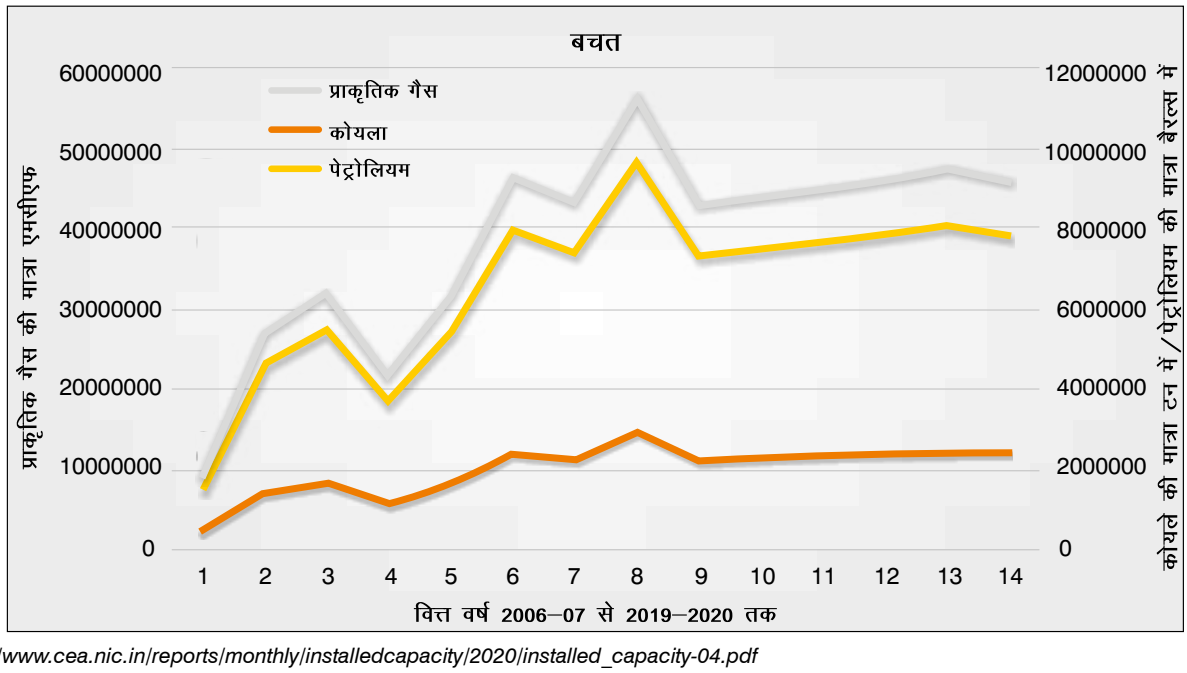

1: http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2020/installed_capacity-04.pdf

2: यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 01 किलो वाट के उत्पादन के लिए: कोयला–0.00052 शार्ट टन या 1.04 पौंड या प्रकृतिक गैस–0.01011 एमसीएफ (एकएमसीएफ में 1000 क्यूबिक फीट शामिल होता है) या पेट्रोलियम –0.00173 बैरल (या 0.07 गैलन) (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=667&t=2)

लक्ष्य और उपलब्धियां

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी

- टीएचडीसीआईएल ने अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से 4,75,62,888 टन कार्बन डाई आक्साइड पवन विद्युत परियोजनाओं से लगभग 8,19,170 टन कार्बन डाई आक्साइड का उत्पादन होने से बचाया जो वर्ष 2006–07 से 2019–20 तक 53138.863 मि.यू. बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला जलाने से उत्पादित हुई होती।

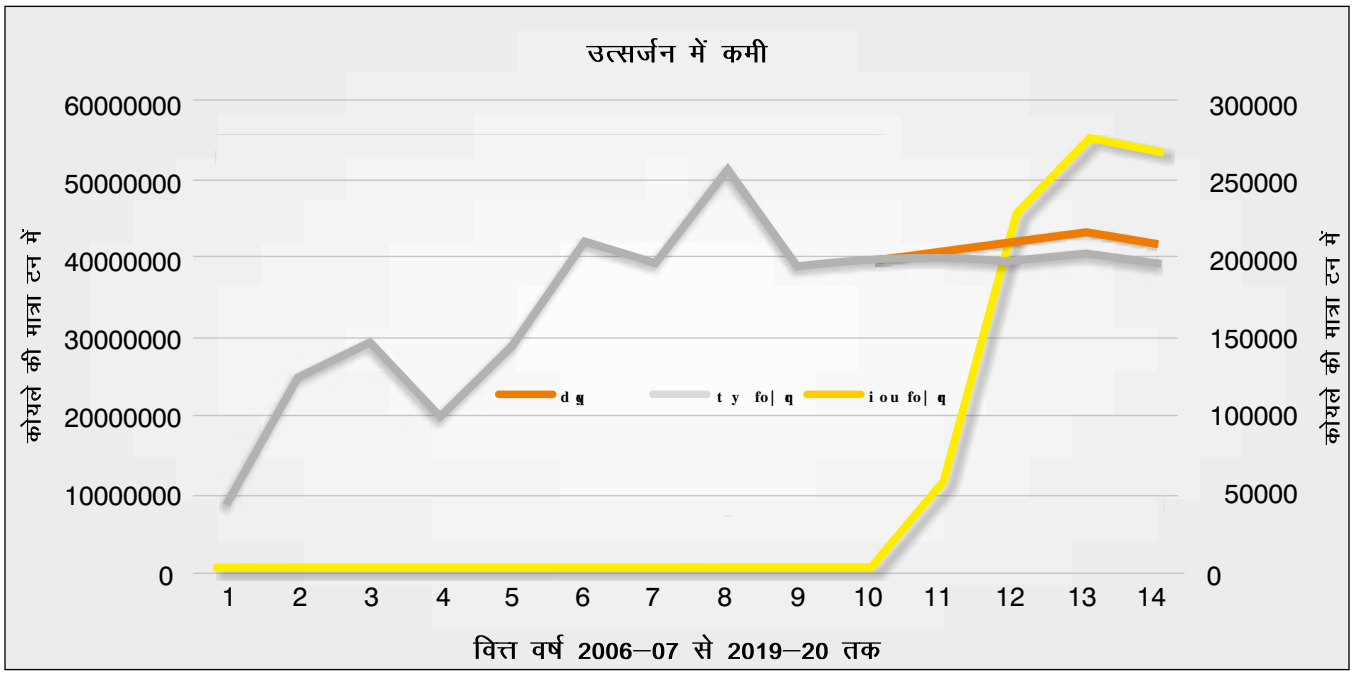

3: CO_2 बेसलाइन डेटा: http://www.cea.nic.in/reports/others/thermal/tpece/cdm_co2/user_guide_ver14.pdf

4: टीएचडीसीआईएल परियोजना की स्थिति: https://www.thdc.co.in/project-list

कार्बन सिंक का सृजनः हरित पट्टी

- टीएचडीसीआईएल, वन सुरक्षा (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वानिकी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।
- जलग्रहण क्षेत्र उपचारः टीएचडीसीआईएल ने संपूण सीएटी क्षेत्र अर्थात 52204 हेक्टेयर के टिहरी जलाशय का उपचार किया है जिसमें 44157 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 8047 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र शामिल है।
- टिहरी जलाशय के रिम क्षेत्र को और हरा भरा बनाने के लिए टिहरी जलाशय के किनारे–किनारे हरित पट्टी विकसित की गई है।
- प्रतिपूरक वनीकरणः टीएचडीसीआईएल ने टिहरी और उत्तरकाशी में टिहरी बांध के निर्माण के लिए प्रयुक्त 4193.44 हेक्टेयर वन भूमि (इसमें कोटेश्वर परियोजना की 338.932 हेक्टेयर भूमि शामिल है) के एवज में उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिलों में 4586 हेक्टेयर गैर–वन भूमि क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य किया है।
- केएसटीपीपी के आस–पास की 400 एकड़ भूमि में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रति हेक्टेयर और 2000–2500 पेड़ मल्टी लेयर में लगाए जाएंगे और रोपे जाने के समय पौधे की ऊंचाई 6–10 फीट होगी। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और कार्बन सिंक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन

- टिहरी परियोजना के औषधीय उद्यान के अतिरिक्त, वीपीएचईपी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान के विकास और अनुरक्षण कार्यों में मार्च, 2020 तक 15.32 लाख रू. का व्यय किया गया है।
- 'स्नो ट्राउट' मछलियों के संरक्षण के लिए वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला का निर्माण किया जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2019–20 में सीएसआर के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में 18538 पौधे रोपे गए हैं (इसमें उच्च पैदावार देने वाले फलों के 12500 पौधे शामिल हैं जो ग्रामीणों को वितरित किए गए थे)

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान

- ब्यूरो आफ एनर्जी इफीसिएंसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के अंतर्गत, उत्तराखंड के लिए नोडल एजेंसी के रूप में टीएचडीसीआईएल प्रति वर्ष स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करता है।

पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी

- कचरा प्रबंधन प्रथाएं:
  - ➢ टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए तृतीय पक्ष ई–कचरा हैंडलर को सूचीबद्ध किया है जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
  - ➢ कैंटीन और बागवानी से ऋषिकेश नगर में पैदा हो रहे कचरे का इस्तेमाल बायो गैस संयंत्र में हो रहा है।
- गंदगी का प्रबंधन:
  - ➢ चिन्हित क्षेत्र और ऊंचे बाढ़ स्तर से ऊपर स्थित स्थानों पर गंदगी पाटी जाती है। वीपीएचईपी में डंपिंग यार्ड में ढाल स्थिरीकरण उपाय के रूप में वेटीवार (क्रिसोपोगोन जिजानीओड्स) घास लगाने का कार्य सितंबर, 2018 से शुरू कर दिया है।
  - ➢ पर्यावरण की निगरानी:
  - ➢ हवा, जल और शोर की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी की जा रही है।
- वन्य जीव संरक्षण:
  - ➢ टीएचडीसीआईएल सभी कामगार शिविरों में एलपीजी गैस और मेस सुविधा उपलब्ध करवाती है ताकि ईंधन के लिए जंगल की लकड़ी और जंगली जानवरों के शिकार पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना स्थल पर वन्य जीवन संरक्षण से सम्बद्ध नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख शेयर धारकों में मूल्य जोड़कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए नए कदम

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी

वित्त वर्ष 2019–20 में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी की गई और परीक्षण के परिणामों ने उपस्कर की स्थिति अच्छी होने की पुष्टि की है।

किया गया। इन हाउस परीक्षण में कंपन सीमा में बदलाव को पहचाना जाता है एवं समय से सुधार हेतु आवश्यक कार्य किए जाते हैं।

सूक्ष्म भूंकपीय नेटवर्क

टीएचडीसीआईएल ने सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का 12 से 18 स्टेशनों तक विस्तार कर उसका स्तरोन्नयन किया है। 18 स्टेशनों का स्तरोन्नत नेटवर्क दिनांक 08.08.2019 को चालू हो गया है और दोनों सीआरएस नामतः न्यू टिहरी स्टेशन और डीईक्यू, आईआईटी, रूड़की पर आनलाइन आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूंकपीय नेटवर्क स्थापित करने का बांध स्थल के आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकम्पीय

एनएलडीसी द्वारा परियोजना का स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी)

सीईआरसी के अनुसार टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्थित एससीएडीए के संबंधित ओईएम से संपर्क किया गया और जरूरी आवश्यकता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया। तदनुसार, दोनों विद्युत संयंत्रों में एजीसी प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कंपन मापन उपकरण

घूमने वाली मशीनों में कंपन की निगरानी करने के लिए कंपन विश्लेषक (वाइब्रेशन एनलाइजर) की शुरुआत कर इन–हाउस परीक्षण सुविधा/प्रयोगशाला के स्तर में सुधार

गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालिक आंकड़े एकत्र करना तथा टिहरी जलाशय में पानी बढ़ने के दौरान और उसके बाद अभियांत्रिकी दृष्टि से भूकम्प के बारे में आंकड़े एकत्र करना है।

अनुसंधान और विकास

प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए इन हाउस अनुसंधान और विकास गतिविधियां कार्यान्वित की गईं। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में अलग से एक अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। चल रही अनुसंधान और विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क. टिहरी जलग्रहण क्षेत्र के सेडीमेंट यील्ड का मूल्यांकन

ख. टिहरी क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूंकपीय नेटवर्क का विस्तार और स्तरोन्नयन (दीर्घकालिक)

ग. जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान की स्थिरता के लिए व्यापक समाधान

घ. टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय प्रवाह में सुधार के लिए परामर्श

(क) परामर्शी सेवाओं के लिए और

(ख) संस्थापन और प्रारंभण के लिए

ड. बहतोगी नाला के लिए व्यापक उपचार स्कीम

च. टिहरी और केएचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी (वित्त वर्ष 2019–20 के लिए)

छ. हाइड्रो जनरेटर से चलने वाली पारेषण लाइनों में घट–बढ़ का विश्लेषण और उपशमन

सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क

आंतरिक ज्ञान सूचना, प्रमुख शिक्षण, सफलता की कहानियों आदि के आदान–प्रदान को आसान बनाने के लिए टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर एक सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क शुरु किया है जिसमें कर्मचारी अपना लॉगइन कर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं जिससे प्रक्रिया सुधार और ज्ञान का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

क्वालिटी सर्किल

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को क्वालिटी सर्किल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह संकल्पना है जहां कर्मचारीगण अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करते हैं और स्वयं द्वारा समाधान का प्रस्ताव कर उनका कार्यान्वयन भी करते हैं। वार्षिक गुणवत्ता सर्किल मीट का आयोजन किया जाता है और चुने गए क्वालिटी सर्किल बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वालिटी सर्किल फोरम आफ इंडिया द्वारा आईआईटी, बीएचयू, उत्तर प्रदेश में आयोजित एनसीक्यूसी, 2019 में 09 टीमों में से 03 टीमें अति उत्कृष्ट थीं, 02 टीमें उत्कृष्ट थीं और 04 टीमें विशिष्ट थीं।

मूर्त पूंजी

आज की तारीख में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1537 मेगावाट है जिसमें तीन जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात 1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, 24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी और पवन ऊर्जा परियोजनाएं अर्थात 50 मेगावाट पाटन विंड फार्म और गुजरात में 63 मेगावाट देवभूमि विंड फार्म शामिल हैं।

टिहरी विद्युत परिसर (2400 मेगावाट)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टिहरी बांध के निचले हिस्से में कोटेश्वर एचईपी का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में हैं। टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जिसके लिए टिहरी ओर कोटेश्वर जलाशय ऊपरी जलाशय और निचले जलाशय के रूप में काम करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी परिसर की ये तीनों समेकित परियोजनाएं बहुत कठिन कार्य हैं क्योंकि इन्हें एक ओर सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करनी होती है और दूसरी ओर उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ ग्रिड को भी आपूर्ति करनी होती है।

टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट)

- भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उतरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी के मशीनों के सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए) ग्रिड को उपलब्ध करवायी जा सके।

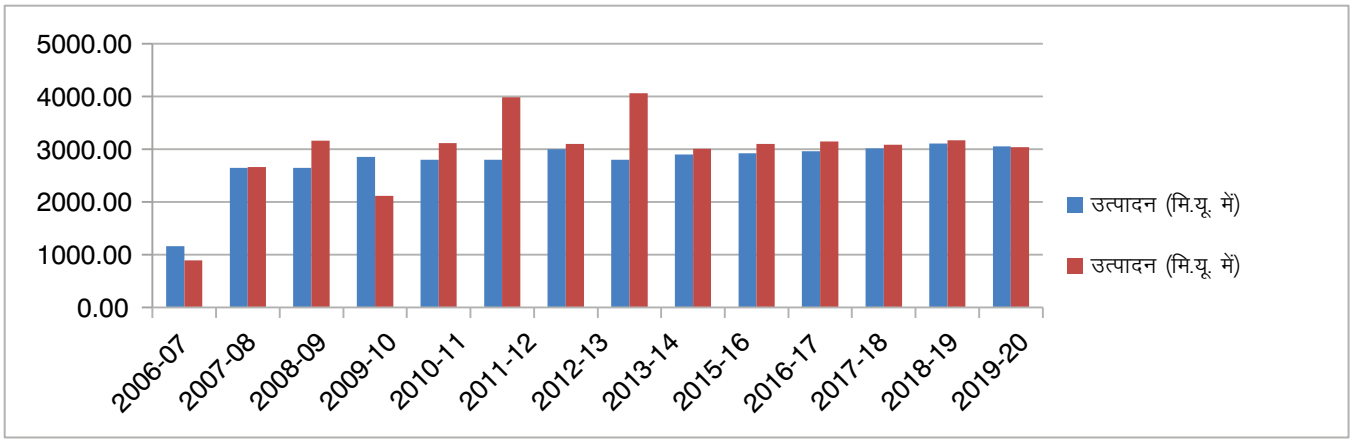

कोटेश्वर एचईपी (4x100 मेगावाट)

400 मेगावाट का कोटेश्वर पावर हाउस टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित हैं। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है जिसके द्वारा ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केएचईपी का उत्पादन निम्नानुसार है:–

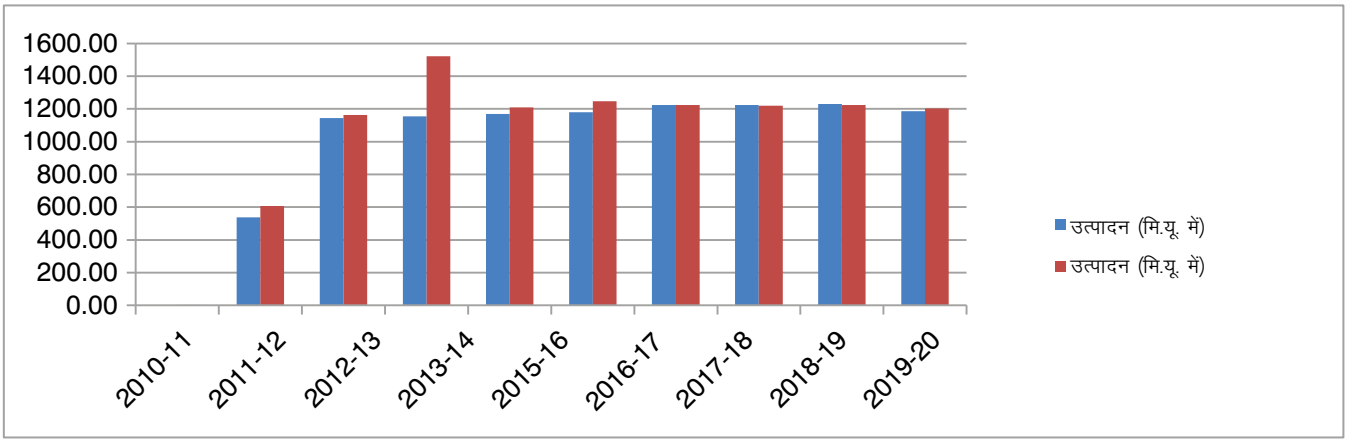

ढुकवां एसएचईपी (3x8 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर 24 मेगावाट की ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना दिनांक 20.12.2019 को चालू हुई। यूपीपीसीएल के साथ हस्ताक्षरित ढुकवां परियोजना के पीपीए को दिनांक 13.05.2020 को हुई आनलाइन सुनवाई के दौरान माननीय यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यूपीपीसीएल ने दिनांक 05.06.2020 के पत्र सं. 112/सीई/पीपीए–आर द्वारा दिनांक 13.01.2020 को 00.00 बजे ढुकवां एसएचईपी के सीओडी को सहमति दी है।

ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण

पवन ऊर्जा

29 जून, 2016 को 2–2 मेगावाट के 25 टर्बाइन अर्थात 50 मेगावाट जिसे मेसर्स गामेसा द्वारा गुजरात के पाटन जिले में संस्थापित किया गया था, निर्धारित समय से पूर्व दिनांक 29.06.2016 को कमीशन हुआ और तब से प्रचालन में है।

प्रत्येक 2.1 मेगावाट की 30 विंड टरबाईन अर्थात 63 मेगावाट को 31 मार्च, 2017 को मेसर्स सुजलोन द्वारा देवभूमि, द्वारका में कमीशन किया गया। यह परियोजना लगातार अपने निर्धारित सीयूएफ से अधिक विद्युत का उत्पादन कर रही है।

वर्ष	पाटन पवन विद्युत परियोजना		देवभूमि द्वारका पवन विद्युत परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)	सीयूएफ (प्रतिशत)	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2016-17	59.04	13.48%	0.139	0.03%
2017-18	90.22	20.60%	149.44	27.08%
2018-19	108.32	24.73%	183.51	33.25%
2019-20	104.07	23.70%	177.83	32.13%

सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल, सौर ऊर्जा में विविधीकरण कर रही है और केरल के कासरगाड जिले में सौर ऊर्जा के विकास के लिए एसईसीआई, केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना कासरगाड में निर्माणाधीन है और दिसम्बर, 2020 तक इसके चालू होने की आशा है। इसका प्रारंभण हो जाने पर संस्थापित क्षमता में 50 मेगावाट की वृद्धि होगी।

- **मेगा सोलर पार्कों का विकासः**
  टीएचडीसीआईएल उत्तर प्रदेश राज्य में एसपीवी के माध्यम से यूएमआरईपीपीएस विकसित करने की प्रक्रिया में है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी टीएचडीसी यूपीएनईडीए सोलर पावर लिमिटेड (टस्को लिमिटेड) के गठन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की साम्या भागीदारी 74:26 के अनुपात में है और उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट की यूएमआरईपीपी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल राजस्थान में 1500 मेगावाट के यूएमआरईपीपी के विकास के लिए राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरसीईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम के गठन की प्रक्रिया में है।

ताप ऊर्जा (खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट –1320 मेगावाट)

यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो विद्युत उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) के 85 प्रतिशत के समनुरुप होगा। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने इस परियोजना तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सम्बद्ध अमेलिया कोयला खदान परियोजना के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू. और 1587.16 करोड़ (दिसम्बर, 2017 मूल्य स्तर) की लागत पर 07.03.2019 को निवेश अनुमोदन दिया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधार शिला रखी। तीन प्रमुख पैकेजों को अवार्ड किए जाने के बाद खुर्जा एसटीपीपी में काम चल रहा है।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (2x250 मेगावाट)

- भारत में पीएसपी का सबसे बड़ा 4x250 मेगावाट का टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट पूरा हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में 1000 मेगावाट क्षमता उत्पादन की वृद्धि करेगा। यह ऊपरी जलाशय और निचले जलाशय (रिजर्वायर) के बीच छोड़े गए पानी के पुनः चक्रण की अवधारणा पर आधारित है। टिहरी बांध जलाशय अपर जलाशय के रूप में और कोटेश्वर जलाशय निचले संतुलन जलाशय के रूप में काम करेगा। विद्युत गृहों के निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है। सर्विस वे पर ई.एम. उपस्करों की एसेम्बली और यूनिट क्षेत्र में ई.एम. उपस्कर का उत्थापन प्रगति पर है। परियोजना की पहली इकाई को जून, 2022 तक कमीशन किया जाना प्रत्याशित है।

2. विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

- वीपीएचईपी 'रन आफ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मी. के सकल शीर्ष के साथ तेजी लाएगा। यह 1674 मि.यू. यूनिट (90 प्रतिशत आश्रित वर्ष) का उत्पादन करेगा। सिविल और एचएम निर्माण कार्यों तथा ई. एम. कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई को जून, 2023 में कमीशन किया जाना प्रत्याशित है।

मानव पूंजी

मानव पूंजी मूलतः किसी व्यक्ति या लोगों के कौशल, ज्ञान और अनुभव को कहते हैं जिसे किसी संगठन के मूल्य और लागत के रूप में देखा जाता है। ज्ञान, कौशल, आदतें और सामाजिक, वैयक्तिक गुण मानव पूंजी का भाग बनते हैं।

टीएचडीसीआईएल, क्षमता में निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने मानव समूह में युवाओं को स्थान देता है। कंपनी अखिल भारतीय परीक्षा 'गेट', यूजीसी नेट, कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों अर्थात एचआर, इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जनसंचार और पर्यावरण में कार्यपालकों को हायर करती है।

31.03.2020 को कर्मचारियों की संख्या अर्थात् 1835 ''नए भर्ती 16 कार्यपालक''

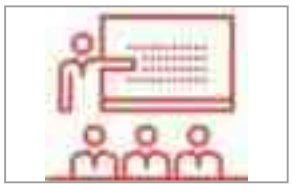

5767 प्रशिक्षण मानव दिवस

कार्यबल का 6.05 प्रतिशत महिलाएं

हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण

- दिनांक 31.03.20 को टीएचडीआईएल की मानव पूंजी 1835 है जिसमें 845 कार्यपालक, 101 पर्यवेक्षक, 889 कामगार शामिल हैं। वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल ने इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में 16 कार्यपालक प्रशिक्षुओं की भर्ती की है।
- ऋषिकेश में स्थित एक उन्नत समर्पित मा.स.वि. केन्द्र कंपनी की प्रशिक्षण जरुरतों को पूरा करता है। हमारे कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमता, योग्यता और कौशल में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल में आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण और पेपर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम भिन्न–भिन्न एजेंसियों को परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी को इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े अनेक विषयों अर्थात हाइड्रोलोजी, विद्युत, सिविल और जियोटेक्नीकल डिजाइन में आंतरिक विशेषज्ञता प्राप्त है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल नेतृत्व करने वाले और भावी नेतृत्वकर्ताओं के महत्व पर दृढ़ विश्वास रखती है। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट जरुरतों का समाधान किया है। कारपोरेट सुशासन, कंपनी विधि और नए अधिनियमों पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों (प्लेटफॉर्मों) के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

कारपोरेट ब्रांडिंग बढ़ाने और हितधारकों की संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसीआईएल में एक समर्पित जन संपर्क विभाग है जो पेशेवर तरीके से जिम्मेदारी के साथ रोजमर्रा के जनसंपर्क मामलों को संभालता है। टीएचडीसीआईएल के पास एक सक्रिय और समर्पित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है जो विद्युत मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के फेस बुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफार्मों का प्रयोग हमारे हितधारक कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है जो इन डिजिटल मंचों पर लगातार अपने विचारों को साझा करते हैं और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देते हैं। इस प्रकार ये सोशल मीडिया हैंडल,ज्ञान और सूचना को साझा करने के लिए दोतरफा संचार और प्रवेश द्वार उपलब्ध करवाते हैं।

टीएचडीसीआईएल का भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वस्थता में दृढ़ विश्वास है इसलिए कंपनी ने कार्यजीवन में संतुलन लाकर आंतरिक संचार को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक संवाद के अनेक मंच तैयार किए हैं। **टीएचडीसी आफिसर्स क्लब, टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।** समग्र स्वस्थता में स्त्री शक्ति का योगदान सुनिश्चित करने के लिए यहां एक महिला मंडल दल भी है। इन क्लबों में व्यायाम की सुविधा, पुस्तकालय और कैंटीन की सुविधाएं हैं। निगम कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य नियमित सामाजिक संवाद के लिए इन मंचों का प्रयोग करते हैं।

नीतिगत ढांचा

टीएचडीसीआईएल कारपोरेट कार्यों को विनियमित करने और उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित करने में नीतिगत ढांचे के महत्व को स्वीकार करता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल अपने हितधारकों के मध्य सूचनाओं के प्रवाह में विश्वास रखता है। यहां एक जीवंत और विविधतायुक्त नीतिगत ढांचा मौजूद है।

निदेशकों की रिपोर्ट

- निदेशकों की रिपोर्ट 2019–20
- अनुलग्नक – I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
- अनुलग्नक – II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक – III प्रबंधन विचार– विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट
- अनुलग्नक – IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अंगीकरण एवं आमेलन एवं विदेशी विनिमय अर्जन तथा व्यय
- अनुलग्नक – V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक – VI प्रपत्र सं. एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार
- अनुलग्नक – VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट 2019–20

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी के निष्पादन पर 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत उत्पादन 4527 मि.यू. रहा।
- वर्ष 2019–20 के दौरान डिस्काम्स से राजस्व वसूली का आंकड़ा 1973.09 करोड़ रहा।
- वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी ''उत्कृष्ट'' एमओयू रेटिंग की अपेक्षा कर रही है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 1480. 19 करोड़ था।
- उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित ढुकवाँ जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) 20 दिसम्बर, 2019 को पूरी तरह से कमीशन की गई है और संयंत्र ने दिनांक 13.01.2020 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरु कर दिया है।
- वर्ष 2019–20 में लाभ 903.43 करोड़ रु. था।
- कंपनी ने अपनी भावी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 7.19 प्रतिशत की दर से 800 करोड़ रू. के कारपोरेट बांड सफलतापूर्वक जारी किए हैं।

खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट)

1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना के मुख्य निर्माण कार्यों के लिए 5774 करोड़ के 03 मुख्य पैकेज (एसजी, टीजी और स्विचयार्ड) अवार्ड किए गए है और कार्यस्थल (साइट) पर कार्य प्रगति पर है।

सौर विद्युत परियोजना (50 मेगावाट)

कासरगाड, केरल में 50 मेगावाट पी वी परियोजना को स्थापित करने का कार्य, जिसे मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को अवार्ड किया गया, पूरा होने के अग्रिम चरण में है। परियोजना के दिसम्बर, 2020 तक कमीशन किए जाने की आशा है।

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपीएस)

एमएनआरई ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपीएस) विकास करने के लिए टीएचडीसीआईएल को आबंटित किया है। उत्तर प्रदेश में विकसित की जाने वाली यूएमआरईपीपी की क्षमता 2000 मेगावाट तथा राजस्थान में विकसित की जाने वाली क्षमता 1500 मेगावाट है।

टिहरी एचपीपी (100 मे.वा.) के भूमिगत विद्युत गृह का विहंगम दृश्य

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	21231	24492*
अन्य आय	2822	3941
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	637	691
घटाएं : सिंचाई पर मूल्य ह्रास	637	691
सकल आय (क)	**24053**	**28433**
व्यय		
कर्मचारियों के हितार्थ व्यय	3603	4118
वित्तीय लागत	2403	1995
मूल्यह्रास	5761	5550
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	2393	2098
संदिग्ध ऋण, प्राप्य, बट्टे खाते हेतु प्रावधान	0	499
कुल व्यय (ख)	**14160**	**14260**
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन पूर्व लाभ और कर (पीबीटी)(ग = क–ख)	**9893**	**14173**
कर (घ)	1101	2398
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन अवधि के लिए लाभ (ड.= ग–घ)	**8792**	**11775**
विनियामक, आस्थगित लेखा शेष में आय/व्यय में निवल संचलन (च)	410	124
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (ण= घ+च)	**9202**	**11899**
II अन्य वृहत आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	-125	-30
आयकर से संबंधित अन्य मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं हो सकेंगी–आस्थगित कर संपत्तियां	-43	-10
अन्य वृहत आय (II)	**-168**	**-40**
कुल वृहत आय (I+II)	**9034**	**11859**

** आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।*

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व और लाभ

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ मिलियन में)

विवरण	2019–20	2018–19	ह्रास
प्रचालनों से प्राप्त आय	21231	24492*	3261
सकल राजस्व	24053	28433	4380
कुल व्यापक आय	9034	11859	2825
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	37.56%	41.71%	

** आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।*

उपरोक्त ह्रास मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचालनों से प्राप्त आय पर प्रशुल्क आदेश के प्रभाव के कारण है।

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय की चित्रमय प्रस्तुति नीचे दी जा रही है।

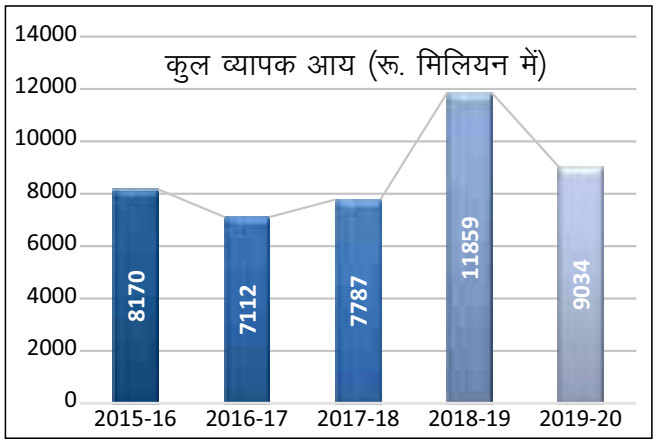

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2019–20 में वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 1260 मिलियन के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16.09.2020 के पत्र संख्या एफ नं./18/16/2019–टीएच.आई के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 40271 लाख रू. के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कुल व्यापक आय का 44.58 प्रतिशत है।

पूंजी संरचना और निवल पूंजी (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रू. है। वर्ष के दौरान कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के इक्विटी घटक के लिए भारत सरकार के 110 मिलियन रू. के इक्विटी शेयर आबंटित किये हैं। इसमें 2018–19 में दर्शाए गए और 2019–20 में आबंटित किए गए 40 मिलियन रू. के आबंटन के लिए लंबित शेयर भी शामिल हैं।

इस प्रकार दिनांक 31.03.2020 को प्रदत्त शेयर पूंजी और नेटवर्थ क्रमशः 36658.8 मिलियन रू. और 95324.70 मिलियन रू. है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की इक्विटी शेयर होल्डिंग, टीएचडीसीआईएल की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया के अंतर्गत 27 मार्च, 2020 को एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित की गई। भारत के राष्ट्रपति और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 25.03.2020 को एक शेयर क्रय करार किया गया। 2,73,09,406 (दो करोड़ तिहत्तर लाख नौ हजार चार सौ छह रु.) शेयरों और छह नामित शेयरों के अधिग्रहण का कुल प्रतिफल 7500,00,00,000 रू. (सात हजार पांच सौ करोड़ रू.) था जिसका परिकलन प्रति बिक्री शेयर 2746.31 रू. की दर पर किया गया था।

इसके अतिरिक्त, मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, वीपीएचईपी परियोजना के संबंध में 92.30 करोड़ रू. की निवेश प्रतिबद्धता को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है जिस संबंध में भारत सरकार पहले ही प्रतिबद्ध है।

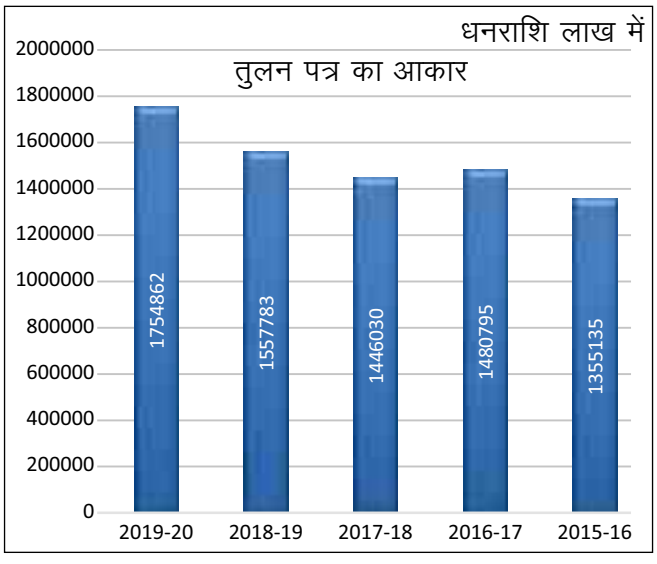

प्रचालनात्मक निष्पादन 2019–20

विद्युत उत्पादन

वर्ष 2019–20 के दौरान जल और पवन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 4500 मि.यू. के स्थान पर 4527 मि.यू. था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल और पवन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन तथा संयंत्र कार्यकुशलता के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं–

संयंत्र का नाम	उत्पादन (मि.यू. में)		भारित औसत पीएएफ/सीयूएफ (प्रतिशत)	
	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)	कुल उत्पादन	एमओयू लक्ष्य बहुत अच्छा	उपलब्धि
जल विद्युत संयंत्र	4246	4245	79.82	80.89
पवन ऊर्जा संयंत्र	254	282	25.66*	28.40
कुल	4500	4527		

*डिजाइन के अनुसार सीयूएफ, एमओयू लक्ष्य का भाग नहीं था।

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन इस प्रकार है:–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रचालनों से राजस्व	21231	24492*
राजस्व की वसूली (%)	81.94%	86.43%

**आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों के आधार पर हैं।*

वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए वास्तविक (ट्रयू अप) प्रशुल्क और 2019–24 तक की अवधि के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिकाएं भी दायर की हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय सीईआरसी ने वर्ष 2011–14 और 2014–19 के लिए कोटेश्वर एचईपी की पुनरीक्षण प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है और क्रमशः दिनांक 16.04.2019 और 04.06.2019 के आदेशों द्वारा संशोधित प्रशुल्क को अनुमति प्रदान की है। इस प्रशुल्क आदेश के प्रभाव पर वित्त वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र में विचार किया गया है।

परियोजना वित्त पोषण

टिहरी पीएसपी परियोजना:

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में 15000 मिलियन रू. दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय तालमेल स्थापित किया था। उपरोक्त मंजूरी की तुलना में 31 मार्च, 2018 तक 12276.50 मिलियन रू. की राशि प्राप्त की गई है। कंपनी ने मई, 2018 तक 12276.50 मिलियन रू. चुका दिए हैं।
2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से 700 मिलियन रू. का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। इस मध्यावधि ऋण को मार्च, 2024 तक 20 तिमाही किश्तों में चुका दिया जाएगा। 31 मार्च, 2020 को निवल बकाया ऋण 5950 मिलियन रू. है।
3. टीएचडीसीआईएल ने 15000 मिलियन रू. के लिए बांड श्रृखंला–2 में जारी किए गए हैं जिसमें से 14200 मिलियन का उपयोग टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए किया गया है।
4. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए 83.87 मिलियन यूरो प्राप्त करने के लिए सोसाइटे जनरेल के साथ वित्तीय तालमेल किया है और अभी ऋण आहरित किया जाना है।
5. शेष ऋण आवश्यकता को अवधिक ऋण/बांडों से प्राप्त आगम से पूरा किया जाएगा।

वीपीएचईपी परियोजना

कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन डालर प्राप्त करने के लिए वित्तीय तालमेल किया था। इसमें से टीएचडीसीआईएल ने डालर परिवर्तन दर में बदलाव के कारण 100 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण घटक को वापस कर दिया है जिसे विश्व बैंक ने दिनांक 20.08.2019 के पत्र द्वारा स्वीकार कर लिया था। वर्ष 2019–20 के दौरान 39.97 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि आहरित कर ली गई है और दिनांक 31.03.2020 तक कुल 140.95 मिलियन अमेरिकी डालर का आहरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 4.93 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि चुका दी गई है अभी दिनांक 31.03.2020 तक कुल 11.20 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि चुका दी गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2020 तक निवल शेष ऋण 129.75 मिलियन अमेरिकी डालर है जो 9781 मिलियन रू. के बराबर है।

कारपोरेट बांड जारी करना

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने निर्माणाधीन चालू परियोजनाओं के पूंजी खर्च को वहन करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 8.75 प्रतिशत की कूपन दर से रू.15000 मिलियन के सुरक्षित प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय बांड जारी किए जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पहले ही खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति शामिल है। बांड 10 वर्ष पश्चात प्रतिदेय होंगे तथा वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा। इसमें से 14200 मिलियन रू. की राशि का उपयोग टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए किया गया है तथा 800 मिलियन रू. ढुकवां परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया है। इन बांडों को इंडिया रेटिंग द्वारा एए तथा आईसीआरए द्वारा एए स्टेबिल माना गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े इस प्रकार है:

ऋणदाता का नाम	ऋण राशि	01.04.2019 को ऋण का शेष	वर्ष 2019–20 के दौरान आहरित राशि	चुकाया गया ऋण	31.03.2020 को बकाया ऋण
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस डॉलर 648 मिलियन	₹ 6551 मिलियन	₹ 3578 मिलियन*	₹ 348 मिलियन	₹ 9781 मिलियन
पीएनबी से आवधिक ऋण	₹ 7000 मिलियन	₹ 7000 मिलियन	शून्य	₹ 1050 मिलियन	₹ 5950 मिलियन
सोसाइटे जनरेल	यूरो 83.87 मिलियन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कारपोरेट बांड्स श्रृंखला–1	₹ 6000 मिलियन	₹ 6000 मिलियन	शून्य	शून्य	₹ 6000 मिलियन
कारपोरेट बांड्स श्रृंखला–2	₹ 15000 मिलियन	शून्य	₹ 15000 मिलियन	शून्य	₹ 15000 मिलियन

* ₹ 712 मिलियन का विनिमय दर में परिवर्तन शामिल है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट)

पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 04 रिवर्सिबल इकाइयाँ, ऑफ पीक ऊर्जा को पीक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। ऑफ पीक घंटों के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी जिसमें पीक घंटों के दौरान यह टर्बाइन मोड पर कार्य करके 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग विद्युत का उत्पादन करेगा। कंपनी के नए विद्युत परिदृश्य में पंप स्टोरेज संयंत्र का महत्व बढ़ जाएगा जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र शामिल कर लगातार समृद्ध किया जा रहा है। पंप स्टोरेज संयंत्र ग्रिड स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। माननीय विद्युत मंत्री ने अपनी अनेक बैठकों में भारत में पीएसपी के तीव्र विकास को अधिक महत्व दिया है। इसलिए विद्युत मंत्रालय के निदेश के अनुसार टीएचडीसीआईएल द्वारा भारत में पीएसपी के संस्थापन के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से जीवंत कार्यरत मॉडल

टिहरी पीएसपी (4x250 मे.वा.) के यूनिट 5 में उत्थापन कार्य प्रगति पर

विकसित करने के लिए एनएचपीसी, नीपको और एसजेवीएन के सहयोग से ''विश्व में पीएसपी के विकास और भारत सरकार के लिए विकास मॉडल के प्रारूप की डिजाइन पर अध्ययन'' किया जा रहा है।

शुरू–शुरू में आने वाली सभी समस्याएं जैसे प्रतिकूल भौगोलिक स्थितियां, डिजाइन संबंधी मुद्दे, सांविधिक अनुमति मिलने में देरी और मुख्य सिविल ठेकेदार मेसर्स एचसीसी की धन की तरलता के संकट समाप्त हो गए हैं। ठेकेदार की आर्थिक परेशानी दूर करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के अच्छे परिणाम निकले हैं और टिहरी पीएसपी अब पूरी तरह से पटरी पर है और आत्मनिर्भर मोड में है।

परियोजना की सभी प्रमुख भूमिगत कैविटी का उत्खनन कार्य या तो पूरा हो चुका है या अग्रिम चरण में है। मशीन हाल उत्खनन पूरा किया जा चुका है और सभी चारों इकाइयों में ईएम उपस्कर के उत्थापन के लिए निर्माण पूरा हो चुका है। यूनिट–5 और यूनिट–6 के ड्राफ्ट ट्यूब एल्बो लाइनरों का उत्थापन क्रमशः दिनांक 16.01.2020 और दिनांक 19.03.2020 को पूरा किया गया और यूनिट–7 और यूनिट–8 में कार्य प्रगति पर है। यूनिट–5 के स्टेटर की असेम्बली का कार्य पूरा हो गया है और यूनिट–6 के स्टेटर की असेम्बली तथा यूनिट–5 और 6 के रोटर की असेम्बली सर्विस बे में प्रगति पर है। नियंत्रण कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चारों सर्ज शाफ्ट के उत्खनन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूगर्भीय दृष्टि से कमजोर ढांचों जैसे बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर और पेनस्टॉक असेम्बली चैम्बर का उत्खनन सफलतापूर्वक

विष्णुगाड पीपलकोटी (वीपीएचईपी) (4x111 मे.वा.) में टीबीएम पुशिंग प्रगति पर

पूरा कर लिया गया है और वर्टिकल पेनस्टॉक चौड़ा करने का कार्य शुरु किया जा रहा है। टीआरटी में 2406 मीटर की कुल लंबाई में हेडिंग और बेंचिंग में उत्खनन अग्रिम चरण में है और कंक्रीट लाइनिंग तेजी से प्रगति पर है। टीआरटी आउटलेट स्ट्रक्चर ढाल स्थिरीकरण का कार्य भी अग्रिम चरण में है।

एचएम कार्यों में सभी पेनस्टॉक स्टील लाइनरों का फैब्रिकेशन पूरा कर लिया गया है। 951 करोड़ रू. के लगभग 90 प्रतिशत ईएम उपस्कर कार्यस्थल पर पहुंचाए जा चुके हैं। सभी चार जनरेटर स्टेप अप (जीएसयू) ट्रांसफार्मरों की परीक्षण और प्रारंभण पूर्व गतिविधियां मार्च, 2020 में पूरी की जा चुकी हैं और जीआईएस–जीआईबी का उत्थापन कार्य भी अक्टूबर, 2019 में पूरा किया जा चुका है।

सीसीईए द्वारा जुलाई, 2006 में परियोजना को 1657.6 करोड़ की लागत पर निवेश अनुमोदन दिया गया जिसमें, दिसम्बर, 05 मूल्य स्तर पर 81.64 करोड़ रू. की आईडीसी शामिल है। अप्रैल 10 मूल्य स्तर 2978.86 करोड़ रू. के आरसीई–1 को नवम्बर,11 में अनुमोदन दिया गया। 4835.60 करोड़ रू. (1089.80 रू. के आईडीसी और एफसी सहित) की आरसीई–2 की सीईए द्वारा 29.11.19 को जांच की गई और आरसीई–2 को अनुमोदन देने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

अगस्त, 2020 तक टिहरी पीएसपी पर हुआ व्यय 3583.91 करोड़ रू. है और परियोजना की प्रथम इकाई के जून, 2022 तक कमीशन हो जाना प्रत्याशित है।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी एक रन आफ दि रिवर परियोजना है। इसके 1657.09 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन करने के लिए अलकनंदा नदी पर कुल शीर्ष 237 मी. का दोहन करने के लिए 65 मीटर ऊंचे बांध की परिकल्पना की गई है।

डायवर्जन सुरंग के माध्यम से अलकनंदा नदी के डायवर्जन के बाद काफर डैम का निर्माण दिनांक 31.07.2019 को पूरा किया गया है। इनटेक सुरंग–2 और 3 में उत्खनन पूरा कर लिया गया है। टीबीएम की कमीशनिंग हो गई है और ऊपर तक टीबीएम लांचिंग एडिट के भीतर तक इसे पुस कर दिया गया है डि–सिल्टिंग चेम्बरों में उत्खनन, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट, रिब के सपोर्ट से मशीन हाल के क्राउन का स्थिरीकरण और पेनस्टाक स्टील लाइनरों का फैब्रीकेशन प्रगति पर है।

टर्बाइन की मॉडल टेस्टिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। पावर हाऊस के स्टेशन के ले आउट और लोंगिट्यूड नल सेक्शन, बीएफवी चैम्बर योजना और सेक्शन ब्यू, जनरेटर की डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज, एक्साइटेशन योजना के डिजाइन दस्तावेजों, पावर हाऊस ग्राउंडिंग सिस्टम तथा अनुषंगी ट्रासफार्मरों को अनुमोदित कर दिया गया है। टर्बाइन अर्थात रनर शाफ्ट, सर्वोमोटर, गाइड बियरिंग और टर्बाइन के कंट्रोल गियर गवर्नर आदि से जुड़े दस्तावेज, ड्राइंग को अनुमोदित किया जा चुका है।

परियोजना की प्रगति मुख्य रूप से मैसर्स एचसीसी मुख्य सिविल और एचएम ठेकेदार के साथ नकदी के प्रवाह की समस्या से बाधित हो रही है। मेसर्स एचसीसी वित्तीय संकट में होने के कारण गैप फंडिंग के लिए बैंक गारंटी भी नही दे पा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों द्वारा बीच बीच में काम रोकने/काम में बाधा पहुंचाने, ठेकेदार द्वारा पर्याप्त साधन उपलब्ध न करवाने, भूगर्भीय स्थितियों में परिवर्तन और कोविड–19 के प्रभाव के कारण इस वित्तीय वर्ष में परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सीसीईए द्वारा अगस्त, 2008 में 2491.58 करोड़ रू. (मार्च, 2008 मूल्य स्तर) का निवेश अनुमोदन दिया गया। फरवरी, 2019 मूल्य स्तर पर 3860.37 करोड़ रू. की आरसीई की जांच सीईए द्वारा 20.03.2020 को की गई है।

अगस्त, 2020 तक परियोजना पर उपगत व्यय 2021.39 करोड़ रू. है। परियोजना की प्रथम इकाई को जून, 2023 तक कमीशन किया जाना प्रत्याशित है।

ढुकवां एसएचईपी (24 मे.वा.) का मशीन हॉल

कोटेश्वर बांध एवं जलाशय के अपस्ट्रीम का दृश्य

ढुंकवा लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट):

ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा, नदी पर ढुकवां मैसेनरी सह अर्दन बांध के सिरे के अंत में किया जा रहा है जिसकी संस्थापित क्षमता 24 मेगावाट (3x8 मेगावाट) और वार्षिक उत्पादन 97.82 मि.यू. है। यह बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है।

दिनांक 20.12.19 को कमीशन के समय से ही ढुकवां परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालन की अनुमति की प्रतीक्षा थी। अब अंत में इसे उत्पादन शुरु करने और यूपीएसएलडीसी और यूपीपीसीएल द्वारा ग्रिड में विद्युत प्रवाहित करने की अनुमति मिल गई है। जल की उपलब्धता के बाद इस परियोजना के दिनांक 05.05.2020 की शाम से उत्तर प्रदेश को बिजली देना आरंभ कर दिया है। ढुकवां परियोजना की यूपीपीसीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए माननीय यूपीईआरसी द्वारा दिनांक 13.05.20 को आयोजित आनलाईन सुनवाई में अनुमोदित किया जा चुका है। यूपीपीसीएल ने अपने दिनांक 05.06.20 के पत्र संख्या 112/सीई/पीपीए–आर द्वारा दिनांक 13.01.2020 के 0.00 बजे ढुकवां एसएलईपी के सीओडी को सहमति दे दी है।

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरण

टीएचडीसीआईएल ने अपनी गतिविधियां जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य स्रोतों अर्थात पवन सौर तथा ताप में विविधीकरण किया है। ऐसी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:–

पवन विद्युत संयंत्र:

पवन ऊर्जा संयंत्र–पाटन डब्ल्यूपीपी (50 मेगावाट) और देवभूमि द्वारा डब्ल्यूपीपी (63 मेगावाट) वर्ष 2016–17 से प्रचालनरत हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में पाटन डब्ल्यूपीपी ने 23.70 प्रतिशत सीयूएफ के साथ 104.07 मि.यू. और देवभूमि डब्ल्यूपीपी ने 32.13 प्रतिशत सीयूएफ सहित 177.83 मि.यू. का उत्पादन किया।

सौर विद्युत परियोजना (50 मेगावाट) कासरगाड, केरल:

सौर ऊर्जा परियोजना (50 मेगावाट) कासरगाड, केरल टीएचडीसीआईएल और सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया (एसईसीआई) ने भारत में 250 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 13.02.2015 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। 50 मेगावाट के विद्युत बिक्री करार पर केएसईबी और टीएचडीसीआईएल के बीच दिनांक 16.01.19 को हस्ताक्षर किए गए। केएसईबी और टीएचडीसीआईएल के बीच भूमि उपयोग करार और कार्यान्वयन करार पर दिनांक 07.2.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

50 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य दिनांक 08.08.2019 को मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को एवार्ड किया गया। परियोजना को पूरा करने की निर्धारित समयावधि 09 माह अर्थात मई, 2020 है। कोविड–19 महामारी के कारण इस कार्य में विलम्ब हो गया है। दिसम्बर, 2020 तक इसके पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

मुख्य नियंत्रण कक्ष और इनर्वटर स्टेशन कक्षों (सभी चारों ब्लाकों के लिए) का कार्य पूरा हो गया है। चारदीवारी से घेरने, डीसी केबल ट्रेंच की खुदाई और उसे बिछाने का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। सभी 16 इनवर्टर और 04 ट्रांसफार्मर परियोजना स्थल पर संस्थापित कर दिए गए हैं। एमएमएस पाइल कास्टिंग, एमएमएस और माड्यूल संस्थापन प्रगति पर है। पीवी माड्यूलों की सभी आपूर्ति परियोजना स्थल पर प्राप्त हो गई है और पीवी माड्यूलों का उत्थापन आरंभ हो गया है।

परियोजना से सब स्टेशन तक पावर इवैकुएशन का अवसंरचना कार्य केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कार्य क्षेत्र में है। कार्य प्रगति पर है। 275 करोड़ रू. की कुल अनुमानित राशि के स्थान पर अगस्त, 2020 तक 147.19 करोड़ रू. व्यय हुए हैं। परियोजना की संभावित कमीशनिंग दिसम्बर, 2020 है।

टिहरी बांध का विहंगम दृश्य

सौर विद्युत संयंत्र (50 मे.वा.) कासरगोड, केरल में सोलर माड्यूल का संस्थापन अग्रिम चरण में

खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1320 मेगावाट):

- 1320 मेगावाट के खुर्जा एसटीपीपी और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू. तथा 1587.16 करोड़ रू. (दिसम्बर, 17 के मूल्य पर) निवेश मंजूरी 07 मार्च, 2019 को प्रदान की गई है।
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधार शिला रखी है।
- संयंत्र 85 प्रतिशत पीएलएफ पर 9264 मि.यू. ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से उत्पादित की जाने वाली बिजली की लागत 3.61/यूनिट (लेवलीकृत) है और प्रथम वर्ष का प्रशुल्क 3.90 रू./यूनिट होने का अनुमान है।
- उत्पादित की जाने वाली पूरी बिजली के लिए पीपीए पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 60% बिजली उत्तर प्रदेश को दी जानी है।
- कुल 1200.843 एकड़ जमीन पर मूल कब्जा प्राप्त हो गया है।
- पर्यावरणीय अनुमति सहित सांविधिक अनुमति 275 मीटर ऊंची चिमनी के निर्माण, वाटर कंमिटमेंट, रेलवे साइडिंग और निर्माण विद्युत आदि संबंधी अनुमति प्रदान कर दी गई है।

मुख्य संयंत्र पैकेजों की स्थितिः

- पहला मुख्य संयंत्र पैकेज ''साइट लेवेलिंग सहित (एसजी पैकेज'') स्टीम जनरेटर और सम्बद्ध पैकेजों का कार्य मैसर्स एल एंड टी एमएचपीएस ब्वायलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमबी) को अवार्ड किया गया है। वर्तमान में स्थल को समतल बनाने, क्षेत्र का अलग–अलग निर्धारण करने, प्राथमिकता वाली सड़कों और नालियों से संबंधित कार्य, पावर रिंग मुख्य वाच टावर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आरएमसी बैचिंग संयंत्र संस्थापित कर दिया गया है। टेस्ट पाइलों की कास्टिंग पूरी हो गई है। जॉब पाइलों की कास्टिंग प्रगति पर है।
- दूसरा मुख्य संयंत्र पैकेज नामतः ''टर्बाइन जनरेटर और सम्बद्ध पैकेज'' (टीजी पैकेज) भेल को अवार्ड किया गया है। स्टोर, ओपन स्टोरेज यार्ड, बीएचईएल का साइट कार्यालय और आंतरिक नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आरएमसी बैचिंग संयंत्र का कमीशन कर दिया गया है। टेस्ट पाइल की कास्टिंग पूर्ण हो गई है एवं जॉब पाइल प्रगति पर है।
- तीसरा मुख्य संयंत्र पैकेज नामतः स्विचयार्ड पैकेज, मैसर्स जीईटीएंडडी को अवार्ड किया गया है। संविदा करार पर दिनांक 17.06.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भूगर्भीय अन्वेषण के पूरा हो जाने पर एजेंसी द्वारा स्थल पर मोबलाइजेशन प्रगति पर है।
- शेष मुख्य पैकेज अर्थात ''वाटर सिस्टम पैकेज'' ''कूलिंग टावर पैकेज'' ''ऐश डाइक पैकेज'' और ''रेल कॉरिडर (रेलवे साइडिंग) पैकेज'' ''कोयला, लाइमस्टोन और जिप्सम हैंडलिंग प्लांट पैकेज'' ''और विविध भवन तथा अन्य पैकेज, निविदाओं के भिन्न–भिन्न स्तर पर हैं और दिसम्बर, 2020 तक इनको अवार्ड करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना स्थल पर अन्य निर्माण कार्यों की स्थितिः

- **निर्माण विद्युतः** 33 केवी लाइन के पहले सी.के.टी के निर्माण के लिए कार्य पूरा किया जा चुका है। 33 केवी लाइन वैकल्पिक द्वितीय सी.के.टी की निविदा देने की

प्रक्रिया पीवीवीएनएल द्वारा प्रगति पर है।

- **रेलवे साइडिंग के लिए भूमि अधिग्रहणः** 36.85 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण के लिए सेक्शन–19 अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 को प्रकाशित की गई है। टीएचडीसीआईएल के नाम पर आवश्यक 2.89 हेक्टेयर रेलवे भूमि के नामांतरण के लिए उत्तर मध्य रेलवे के साथ भूमि लाइसेंस करार पर भी दिनांक 21.07.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **मेक अप वाटरः** मेक अप वाटर सिस्टम के निर्माण हेतु डीपीआर को शीघ्र ही उ.प्र. जल निगम द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। संयंत्र के लिए मेक अप वाटर के एवज में कैनाल लाइनिंग का कार्य यूपीआईडी द्वारा शुरु किया गया है जिसके लिए डिजाइन, ड्राइंग और हेड रेगुलेटर इंटरकनेक्टिंग रेगुलेटर तथा क्रास रेगुलेटर के आकलन का कार्य यूपीआईडी द्वारा किया जा रहा है।
- **एनएचएआई द्वारा एनएच–91 की री रूटिंग** एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य अग्रिम चरण में है। एनएचएआई द्वारा री–रूटिंग के लिए सिविल कार्य शीघ्र ही अवार्ड किए जाने की आशा है। दिसम्बर, 2022 तक कार्य पूरा किया जाना है।
- **पावर इवैकुएशनः** यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश के लिए संयंत्र से 60 प्रतिशत बिजली (792 मेगावाट) लेगा। अन्य लाभार्थी राज्यों को आपूर्ति की जाने वाली शेष 40 प्रतिशत बिजली (528 मेगावाट) के लिए कनेक्टिविटी दे दी गई है।
- आईएसटीएस सब स्टेशन के सम्बद्धबे के साथ खुर्जा परियोजना से पीजीसीआईएल के अलीगढ़ सब स्टेशन (लंबाई50 कि.मी.) तक 400 केवी डबल सी.के.टी लाइन के निर्माण के लिए पीजीसीआईएल के साथ करार पर दिनांक 26.06.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं जिसे पूरा करने की अवधि 24 माह है। पीजीसीआईएल द्वारा पारेषण लाइनों का प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरु कर दिया गया है।
- **चारदीवारी का निर्माणः** लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है।

परियोजना की कमीशनिंगः

अगस्त, 2020 तक खुर्जा एसटीटीपी पर हुआ व्यय 1039. 75 करोड़ रू. है और फरवरी, 2024 तक पहली यूनिट के कमीशन हो जाना प्रत्याशित है।

अमेलिया कोयला खदानः

- 5.6 एमटीपीए की कम की गई पीआरसी के लिए संशोधित खनन कोयला (खदान बंद करने की योजना सहित) को कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.03.2020 का मंजूरी दी गई है।
- एमपीपीकेवीवीसीएल के साथ 8 एमवीए विद्युत आपूर्ति के करार पर दिनांक 02.05.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अमेलिया कोयला खदान के लिए पर्यावरणीय अनुमति पहले पूर्व आबंटिती एमपी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के नाम पर की गई थी। टीएचडीसीआईएल के लिए नामांतरित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
- अमेलिया कोयला खदान के लिए खनन पट्टा देने का मामला निदेशक (भूगर्म विज्ञान और खनन) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के साथ उठाया जा रहा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.12.2018 के आदेश द्वारा 843.76 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–1 की वन संबंधी अनुमति (फारेस्ट क्लीयरेंस) प्रदान कर दी गई है। चरण–2 के लिए एफसी, एपीसीसीएफ(एलएम) भोपाल ने अनुमोदन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 01.05.2020 को सिफारिश की। चरण–2 की वन संबंधी अनुमति (फारेस्ट क्लीयरेंस) के लिए मामले को एमओईएफ एंड सीसी के साथ उठाया जा रहा है।
- जिला प्रशासन की सहायता से 337.35 हेक्टेयर प्राइवेट/काश्तकारी भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी/कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा दिनांक 31.08.2019 को संशोधित अवार्ड घोषित किया जा चुका है और एसएलएओ द्वारा मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।

खुर्जा एसटीपीपी (1320 मे.वा.) में जॉब पाइलिंग कार्य प्रगति पर

- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) स्थल के विकास के लिए कोयला ब्लाक क्षेत्र की 178.13 हेक्टेयर सरकारी भूमि के नामांतरण, 53.13 हेक्टेयर सरकारी भूमि के आबंटन और ''आबादी भूमि'' के बारे में इसकी घोषणा करने का कार्य प्रगति पर है।
- आयुक्त द्वारा दिनांक 24.12.2019 को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति का अनुमोदन कर दिया गया है।
- अमेलिया कोयला खदान से होकर गुजरने वाली मौजूदा 3 एचटी लाइनों के डायवर्जन/स्थानांतरण का कार्य तथा निक्षेपण कार्य (डिपाजिट वर्क) प्रगति पर है।
- 5.6 एमटीपीए के लिए अमेलिया कोयला खदान की संशोधित परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआईएल द्वारा 29.05.20 को टीएचडीसीआईएल को प्रस्तुत की गई है।
- अमेलिया कोयला खदान के लिए कोयला निकास कोरिडोर और रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए लगभग 26.22 हेक्टेयर भूमि के आबंटन के लिए मामले का एमओसी के साथ लगातार अनुसरण किया जा रहा है।
- सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई संशोधित खनन योजना तथा संशोधित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अमेलिया कोयला खदान के विकास और प्रचालन के लिए खदान विकासकर्ता और प्रचालक (एमडीओ) के चयन के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
- अगस्त, 2020 तक अमेलिया कोयला खदान पर 353.23 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपीएस):

एमएनआरई ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से यूएमआरईपीपीएस विकसित करने के लिए टीएचडीसीआईएल को आबंटित किया है। उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट और राजस्थान में 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपीएस विकसित की जाने की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश में:

74.26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की साम्या सहभागिता के अनुपात सहित संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 16.06.2020 को अनुमोदित किया जा चुका है और जे वी कंपनी की स्थापना के लिए टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच एमओयू पर दिनांक 06.08.2020 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। संयुक्त उद्यम के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

शुरु–शुरु में उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिलों में 600–600 मेगावाट के यूएमआरईपीपी स्थापित करने की योजना है। ललितपुर में लगभग 3019.82 एकड़ भूमि (सरकारी भूमि 1742.61 एकड़ तथा प्राइवेट भूमि–1277.21) की पहचान की गई है जबकि झांसी में लगभग 3756. 82 एकड़ भूमि (सरकारी भूमि–345.65 एकड़ तथा प्राइवेट भूमि–3410.90 एकड़) की पहचान की गई है। पहचान की गई सभी जमीन का राजस्व मानचित्र प्राप्त कर लिया गया है तथा जेवी को आबंटित करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।

राजस्थान में:

टीएचडीसीआईएल ने अपने दिनांक 20.11.2019 के पत्र द्वारा राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव (ऊर्जा) से यूएमआईपीपी के विकास के लिए लगभग 7500 एकड़ का भूमि पार्सल आबंटित करने का अनुरोध किया। टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसीआईएल के साथ एसपीवी/जेवी कंपनी की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार के किसी संगठन को नामित करने का अनुरोध भी किया।

सर्वेक्षणाधीन और अन्वेषणाधीन परियोजनाएं:

बोकांग बेलिंग एचईपी (200 मेगावाट):

- बोकांग बैलिंग एचईपी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा नदी (काली/शारदा नदी की सहायक नदी) पर प्रस्तावित है।
- उत्तराखंड सरकार ने बोकांग बेलिंग एचईपी के कार्यान्वयन का कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) को सौंपा है और नवम्बर, 2005 में एमओयू किया गया है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस परियोजना को 24 परियोजनाओं की सूची में से बाहर कर दिया और पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अस्कोट मस्क डियर सैंक्चुअरी और डब्ल्यूएलबी से अक्तूबर, 2015 में बाहर कर दिया गया।
- राज्य सरकार द्वारा एक लेन वाली सड़क (45 कि.मी.) के टिडांग गांव तक फार्मेशन कटिंग का कार्य वर्ष 2018 में पूरा कर लिया गया।
- डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी कार्य मार्च, 2019 में मैसर्स जेएससी, मास्को के जे.वी. और मैसर्स साईं फाउंडेशन इंजीनियरिंग को अवार्ड किया गया है।
- कार्य स्थल पर ड्रिलिंग और ड्रिफिटिंग कार्य सहित विभिन्न अध्ययन कार्य किए जा रहे हैं।

झेलम तमक

- यह परियोजना उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी धौलीगंगा पर प्रस्तावित है। 128 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित डीपीआर आरंभ में दिसम्बर, 2010 में सीईए को सौंपी गई थी।
- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह और नदीय फैलाव पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर 108 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित संशोधित डीपीआर दिसम्बर, 2012 में सीईए को प्रस्तुत की गई थी।
- सीईए ने अगस्त, 2019 को डीपीआर लौटा दी थी तथा यह टिप्पणी की थी कि 8 अक्तूबर,18 की राजपत्र अधिसूचना में यथा अधिसूचित संशोधित ई–प्रवाह रिलीज को देखते हुए ''परियोजना 108 मेगावाट की आईसी के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है जिसके कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय के पुनरीक्षणाधीन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल की गई है और परियोजना की नियति माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।''
- उच्चतम न्यायालय से अनुमति मिल जाने के उपरांत सीईए के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित आईसी के साथ डीपीआर दोबारा प्रस्तुत की जा सकती है। ''झेलम तमक एचईपी की विद्युत क्षमता का अध्ययन और आर्थिक मूल्यांकन'' दिनांक 11.03.2020 को निदेशक (एचपीपी एंड आई), सीईए को प्रस्तुत किया गया।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

क. संकोश एचईपी परिसर (2585 मेगावाट):

- सकोश एचईपी, दक्षिण भूटान के सरपांग जिले के केराबरी गांव के निकट संकोश नदी पर प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित परियोजना में 215 मीटर आरसीसी मुख्य बांध (2500 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता के 416.34 मि.यू. उत्पादन सहित मुख्य बांध में 13 कि.मी. नीचे डाउन स्टीम में 5949.05 मि.यू. की ऊर्जा उत्पादन के साथ एक विनियामक बांध (85 मे.वा.) के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- टीएचडीसीआईएल द्वारा अद्यतन की गई डीपीआर पर सीईए द्वारा जून, 2017 में परियोजना की टीईसी प्रदान की गई है।
- संकोश एचईपी कुछ संशोधनों सहित अंतर सरकारी (आईजी) मोड में विकसित की जानी है। आईजी मोड में ही पूरी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को एकल बिंदु जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है।
- परियोजना के कार्यान्वयन मोड को अंतिम रूप देने के लिए दो सरकारों अर्थात भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार बीच विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किए गए हैं।

ख. बुनाखा एचईपी (3x60 मेगावाट)

- बुनाखा एचईपी भूटान के चुक्खा जिले में बुनाखा गांव के निकट वांगचू नदी पर प्रस्तावित सबसे ऊंची परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन सहित उर्ध्वधर टर्बाइन 180 मेगावाट (3x60 मेगावाट) की संस्थापना सहित भंडारण बांध और तलीय विद्युत गृह निर्माण की परिकल्पना की गई है। बुनाखा एचईपी का कार्यान्वयन भूटानी सार्वजनिक उपक्रम के साथ जेवी मोड में किया जाना है।
- परियोजना की डीपीआर अगस्त, 11 में सीईए को प्रस्तुत की गई थी और सीईए द्वारा अगस्त, 2013 में टीईसी प्रदान की गई थी। भूटान की शाही सरकार को अंतिम डीपीआर नवम्बर, 2013 में प्रस्तुत की गई थी और आ.जी.ओ.बी. ने फरवरी, 2014 में डीपीआर को अनुमोदन प्रदान किया।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का बांध सुरक्षा कार्यक्रम काफी व्यापक है। बांध की सुरक्षा की निगरानी इंस्ट्रूमेंटेशन और देख कर निरीक्षण द्वारा किया जाता है। टिहरी और कोटेश्वर परियोजना की प्रवृत्ति के आंकलन और मानीटरिंग के लिए तथा डिजाइन चरण के दौरान लगाए गए अनुमानों का सत्यापन करने के लिए इसके सम्बद्ध ढांचों के मुख्य हिस्से इंस्ट्रूमेंटेशन की व्यापक स्कीम का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध के मुख्य हिस्से की प्रवृत्ति को देखकर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण गैलरियो की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलाशय (रिजर्वायर) को घेरने के पहले और बाद टिहरी क्षेत्र के मजबूत कंपन और सूक्ष्म भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय इंस्ट्रूमेंटेशन नेटवर्क की व्यवस्था की गई है।

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बांध और सम्बद्ध ढांचों का सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए बांध की सुरक्षा का निरीक्षण करना अनिवार्य है। वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों तथा अन्य संगठनों में मौजूद परिपाटियों के अनुसार ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानसून से पहले और मानसून के बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा बांध और सम्बद्ध ढांचों का आवधिक निरीक्षण/ मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नई दिल्ली ने वर्ष 2009 और 2013 के दौरान टिहरी एचपीपी का वार्षिक बांध सुरक्षा निरीक्षण किया है और 2013 में कोटेश्वर एचईपी का सुरक्षा निरीक्षण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा सुरक्षा बांध परिपाटियों के सत्यापन के लिए एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी नामतः यूएसबीआर के माध्यम से टिहरी परियोजना की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, कोटेश्वर एचईपी की सुरक्षा का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा सुरक्षा परिपाटियों में सुधार करने पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर एचईपी की व्यापक समीक्षा की गई।

टीएचडीसीआईएल की बांध सुरक्षा योजना बांधों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए मूल्यांकन और कार्यान्वयन कार्रवाइयों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

1. टिहरी एचीपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी

मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता, जीवन काल और संयंत्र के निष्पादन में सुधार लाने के लिए वर्ष 2011–12 से टिहरी और कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना के इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट की कंडीशनिंग, मानीटरिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जा रही है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम इक्विपमेंट की कंडीशन मानीटरिंग की गई और परीक्षणों के परिणामों से उपस्कर की स्थिति अच्छी बने रहने की पुष्टि हुई।

2. सुरक्षा लेखा परीक्षा

सुधार किए जा सकने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मानकों से विचलन अर्थात लागू सांविधिक अधिनियमों सीईए 2011, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996, कारखाना अधिनियम, 1948 ओएचएसएएस 18001:2007 आई एस 14489: 1998 टीएचडीसीआईएल, एसएचई मैनुअल तथा अन्य लागू अधिनियमों में परियोजना सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार विचलन का पता लगाने के लिए सभी परियोजनाओं की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है।

3. टीएचडीसीआईएल में जलाशय प्रचालन और बाढ़ उपशमन उपाय

मानसून अवधि के दौरान अर्थात 21 जून से 31 अक्तूबर के बीच अतिरिक्त बहाव का उपयोग कर प्रत्येक वर्ष टिहरी जलाशय को भरा जाता है। टिहरी बांध के प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल में दिए गए वक्र नियम के अनुसार जलाशय को भरा जाता है। नियम वक्र (रूल वर्क) से पूर्व निर्धारित दर पर जलाशय को भरने तथा सक्रिय मानसून अवधि के दौरान भावी बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान बनाए रखने में मदद मिलती है ताकि अधिक समय तक विनियमित/ नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जा सके जिससे बांध के नीचे की ओर बाढ़ के सीधे प्रभाव को कम से कम किया जा सके। टिहरी जलाशय के लिए वास्तविक समय अंतर्प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से प्रचालनरत है जिसका नियंत्रण कक्ष टिहरी बांध पर स्थित है और वर्तमान में यह 6 से 24 घंटे पहले पूर्वानुमान लगा लेता है जिससे जलाशय का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। कोटेश्वर बांध से ऋषिकेश तक नीचे की ओर आठ स्थानों पर स्पीकर/सायरन से युक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) दिसम्बर, 2017 में स्थापित की गई है जो कोटेश्वर बांध स्थित नियंत्रण कक्ष और स्टेट इमरजेंसी आपरेशन सेंटर, देहरादून से प्रचालित की जाती है। ईडब्ल्यूएस, नदी के आसपास नीचे की ओर रहने वाले लोगों को संदेशों और सायरनों के जरिए आगाह करने/चेतावनी देने में मदद करती है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी हमेशा ही मानवीय चेहरे के साथ परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध रही है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है कि तर्कसंगत संक्रमण अवधि के बाद बाढ़ प्रभावित परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो या कम से कम पूर्व स्तर बना रहे आय क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार हो। टीएचडीसीआईएल पारस्परिक सहयोग या नियमित परामर्श के माध्यम से परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहा है।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दिया जा रहा मुआवजा तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ लागू मानकों/ दिशानिर्देशों के समकक्ष है। परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रम, आय प्राप्त करने की गतिविधियों जैसी विभिन्न पहलें शुरु कर प्रभावित परिवारों के आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया जा रहा है।

आरएपी की मानीटरिंग और मूल्यांकन आवधिक आधार पर तीसरे पक्ष की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आवधिक आधार पर की

गई थी ताकि इसका निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। साथ ही, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति आरएपी के उद्देश्य उन लोगों के संदर्भ में प्राप्त किया जा रहा है जो भौतिक रूप से पुनः बसाए गए हैं, उनकी आय पुनः स्थापित हो रही है, जिन्होंने अपनी जमीन गंवा दी है, सामान्य संपत्ति के संसाधनों का पुनः निर्माण किया है, आदि।

वीपीएचईपी के लिए नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी–2007) पर आधारित हैं जिसे बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के दिशानिर्देश समाहित किए गए हैं। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और दिए जा रहे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हितलाभ लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष तथा विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षोपाय नीतियों के अनुरूप है जैसा कि वीपीएचईपी विश्व बैंक से वित्त पोषित है।

वीपीएचईपी में लगभग मुआवजा की 94 प्रतिशत राशि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा वितरित की गई है और लगभग 88 प्रतिशत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनुदान आपकी कंपनी द्वारा वितरित किया गया है। डेयरी विकास, मुर्गी पालन, सिलाई और कढ़ाई, ऊन से बुनाई, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती जैसी विभिन्न कार्यकलापों से लगभग 500 परियोजना प्रभावित लोगों को लाभ हो रहा है और इससे उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करने को बढ़ावा मिला है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावी/गरीब छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है और अतिरिक्त कक्षाएं और प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण किया गया है। टीएचडीसीआईएल ने बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए आसपास के क्षेत्रों में जीएमआर फाउंडेशन, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसी विख्यात संस्थाओं के माध्यम से होटल प्रबंधन, उत्खनक आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेफ्रीजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परियोजना से प्रभावित लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को प्रायोजित भी किया है। लगभग 20 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कंपनी के रोल पर रोजगार दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित सुपर थर्मल पावर परियोजना की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा टीएचडीसीआईएल को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आबंटित अमेलिया कोयला ब्लाक विकसित कर रही है। अमेलिया कोयला खदान के परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को आयुक्त रेवा द्वारा दिसम्बर, 2019 में अनुमोदित किया जा चुका है। इसी बीच, व्यावसायिक प्रशिक्षणों, कौशल संवर्धन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अवसंरचना विकास आदि के माध्यम से आय सृजन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

अभियांत्रिकी परामर्श

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने जल संसाधन परियोजनाओं और भूस्खंलन के स्थिरीकरण के क्षेत्र में पूर्ण अभियांत्रिकी समाधान देकर राज्य सरकार और अन्य सरकारी सांविधिक इकाइयों को अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की है। टीएचडीसीआईएल ने सम्बद्ध क्षेत्रों में डिजाइन और अभियांत्रिकी सेवा में परामर्श देने के क्षेत्र में अनेक समझौता ज्ञापन किए हैं। उपरोक्त घटनाक्रम के बाद, टीएचडीसीआईएल ने भूटान नामतः बुनाखा (180 मेगावाट), संकोश (2585 मेगावाट), जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2 डीपीआर तैयार किए हैं और छत्तीसगढ़ में समेकित नदी बेसिन अवधारणा के आधार पर सात जल विद्युत परियोजनाओं और इंद्रावती नदी पर स्थित पंप भंडारण संयंत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए है।

भूस्खंलन स्थिरीकरण परामर्श के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य सरकार के विभागों जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की पवित्र गुफा के लिए परियोजनाओं की संकल्पना से प्रारंभण तक भूस्खलन संरक्षण/उपचार कार्यों के लिए 50 डीपीआर तैयार किए गए हैं। टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वरूणावत पर्वत तथा उत्तराखंड के हिस्सों में 20 अन्य कमजोर भूस्खंलन जोनों और श्री माता वैष्णो देवी श्राईन, कटरा (जम्मू और कश्मीर) के मार्ग पर 33 पूर्व चिन्हित कमजोर स्थलों पर भूस्खंलन के स्थिरीकरण के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का अनुसंधान और विकास केन्द्र दिसम्बर, 2011 में ऋषिकेश में स्थापित किया गया। निदेशक मंडल ने वर्ष 2012 में अनुसंधान और विकास नीति को अनुमोदित किया। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही थी जिनके नाम हैं– टिहरी क्षेत्र के आसपास स्थापित भूकंप निगरानी स्टेशन, टिहरी के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और स्तरोन्नयन टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के लिए सैटेलाइट आधारित वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार के लिए परामर्श, टिहरी और केएचईपीकेईएम उपस्कर की वार्षिक स्थिति की निगरानी, हाइड्रो जनरेटर चलित पारेषण लाइनों में घट–बढ़ का विश्लेषण और उपशमन, जीरो पुल

गणतंत्र दिवस–2020 का समारोह

से कोटेश्वर के बीच स्थित सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान आदि। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भी ये परियोजनाएं जारी है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी की गई कुछ प्रमुख अनुसंधान और विकास योजनाएं विस्तार से नीचे दी गई हैं।

1. **टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के लिए सेटेलाइट आधारित वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना**– इस परियोजना का उद्देश्य मानसून से पहले और बाद में जलाशय के भीतर जल प्रवाह के संबंध में अग्रिम सूचना देकर ''बांध तथा नीचे रहने वाले लोगों और अवसंरचना'' की रक्षा की जा सके।

   यह प्रणाली वास्तविक समय के अनुसार मौसम वैज्ञानिक और जलीय आंकड़ों का पर्यवेक्षण करने तथा टिहरी में स्थापित प्रत्येक स्टेशन तक पहुंचाने में सक्षम है ताकि टिहरी जलाशय के प्रवाह के संबंध में पूर्वानुमान के लिए आंकड़ों को ध्यान में रख कर आंकलन किया जा सके। जुलाई, 2018 से आईआईटी, रूड़की द्वारा 6 घंटे पहले 80–90 प्रतिशत की परिशुद्धता सहित भविष्यवाणी की जा रही है। टिहरी जलाशय के लिए वास्तविक समय पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार के लिए परामर्श नामक अनुसंधान और विकास परियोजना के अंतर्गत इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए गणितीय मॉडल में परिष्कार किया जाना जारी है।

2. **टिहरी और केएचपीपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी**– महत्वपूर्ण ई एम उपस्कर की आवधिक कंडीशन मानीटरिंग और हेल्थ एसेसमेंट से संयंत्रों की उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। कंडीशन मानीटरिंग एक प्रमाणिक एहतियाती अनुरक्षण दृष्टिकोण है जो परीक्षण, विश्लेषण और डायग्नोस्टिक के माध्यम से क्षरण होने, ठीक ढंग से काम न करने और त्रुटियों के शुरु होने के शुरुआती संकेत देता है। यह प्रक्रिया संयंत्र के प्रबंधक को भी सावधान कर देती है और उपस्कर को अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने में समर्थ बनाती है।

   टीएचडीसीआईएल सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई), बेंगलुरु के सहयोग से वर्ष 2012–13 से वार्षिक आधार पर टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम इक्विपमेंट की कंडीशन मानीटरिंग और हेल्थ एसेंसमेंट करती रही है। यह परियोजना 2019–20 के लिए पूरी हो गई है।

3. **सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क**: टिहरी क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क स्थापित करने का उद्देश्य, टिहरी जलाशय में पानी को रोकने के पहले और बाद में टिहरी बांध स्थल के आस पास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंपीय टिहरी जलाशय में पानी को रोकने की गतिविधि के संबंध में दीर्घकालिक आंकड़े एकत्र करना और इंजीनियरिंग के प्रयोजन से भूकंप के संबंध में आंकड़े एकत्र करना है। इस नेटवर्क द्वारा टिहरी बांध के आस–पास भूकंपीय प्रवृत्ति की सघन जांच की जा रही है और इस नेटवर्क के माध्यम से अब तक प्राप्त आंकड़ों के पर्यवेक्षण से स्पष्ट होता है कि जलाशय को भरने और भूकंपीय प्रवृत्ति में कोई सह संबंध नहीं है। इस नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या अध्ययन क्षेत्र के आस–पास हिमालय के सेइस्म टेक्टानिक मॉडल विकसित करने में भी सहायक होगा।

टीएचडीसीआईएल ने सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का 12 स्टेशनों से 18 स्टेशनों तक विस्तार कर दिया है। इन 18 स्टेशनों का स्तरोन्नत नेटवर्क दिनांक 08.08.2019 को चालू हो गया है और दोनों सीआर नामतः न्यू टिहरी स्टेशन और डीईक्यू आईआईटी, रूड़की पर आनलाइन आंकड़े एकत्र किए जा रहे है।

4. अन्य अनुसंधान और विकास कार्य

वर्ष के दौरान भिन्न–भिन्न तकनीकी पत्रिकाओं/सम्मेलनों में प्रस्तुति करने के लिए तकनीकी अनुसंधान पत्र लिख कर प्रस्तुत भी किए गए हैं। बांधों और नदियों की घाटी के सतत विकास पर संगोष्ठी ''आईसीओएलडी 2020'' के लिए निम्नलिखित अनुसंधान पत्र तैयार किए गए हैं और प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. ऊपरी हिमालय में टिहरी जलागम क्षेत्र में सेडीमेंट बनाने वाली विशेषताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
2. लम्बे शंकु के आकार के टिहरी जलाशय में सेडीमेंट का बनना और निक्षेपण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 664.83 लाख रू. के अनुमोदित अनुसंधान और विकास बजट में से विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर अनुसंधान और विकास के अंतर्गत 612 लाख रू. का व्यय हुआ है।

गुणवत्ता आश्वासन

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण (क्यूएंडआई) विंग है। इस संबंध में एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है जो कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करती है ताकि विद्युत उत्पादन से जुड़ी सभी इकाइयों की चल रही परियोजनाओं के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी उपस्करों तथा अनुषंगी पुर्जों की गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए क्यूएंडआई आवश्यकता की तैयारी, क्यूएंडआई पक्ष के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रणाली को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है। इसके अतिरिक्त क्यूएंडआई विंग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2020 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यूएपी तथा निरीक्षणों के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	उप विक्रेता	विनिर्माण गुणवत्ता योजना	पूर्व–प्रेषण निरीक्षण
टिहरी पीएसपी	667	95	263
वीपीएचईपी	1629	39	228
ढुकवां एसएचईपी	226	102	73

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके।

आपकी कंपनी जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के प्रति समर्पित है। आपकी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

1. वीपीएचईपी

- 444 मेगावाट के विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल लगाया गया है।
- मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना कैट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।
- डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

- वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं।
- नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएमएफआर, रूड़की के माध्यम से निर्माण ठेकेदार द्वारा की जा रही है।
- वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से औषधीय पौधों का एक उद्यान विकसित किया जा रहा है।
- प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है। मार्च, 2020 तक संचयी रूप से 8800 (लगभग) वृक्ष रोपे गए हैं (इसमें 1500 अच्छी उपज देने वाले और फलदार वृक्ष शामिल हैं, ग्रामीणों को वितरित किए गए।

2- खुर्जा एसटीपीपी:

- आपकी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान्य आधार पर कार्यान्वित की जानी है।
- खुर्जा एसटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर आपकी कंपनी ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीक नीचे दी गई हैं।
  - उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किया जाएगा। प्रेसीपिटेटर को 30 मिग्रा./एनएम^3 से नीचे साइता सीमित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
  - लो नाक्स बर्नरों सहित ब्वालयर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि Nox और SO_2 संकेंन्द्रणों को 100 एमजी/एनएम 3 से नीचे रखा जा सके।
  - एक राख प्रबंधन स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां होगी। परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः परिचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निपटान (एचसीएसडी)।

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को कारपोरेट कार्यालय तथा सभी परियोजना स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) मनाया जाता है। सतत आजीविका विकास केन्द्र जौली ग्रांट भानियावाला में डब्ल्यूईडी, 2019 मनाया गया है। स्कूली बच्चों के एक समूह ने वायु प्रदूषण दूर करने के लिए रंगारंग नाटकीय प्रस्तुति दी और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयनः

अधिकतर जल परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए स्थान विशिष्ट भौगोलिक खतरा बना रहता है। इसलिए परियोजना क्षेत्र के भू–भाग में मेगा फोल्ड थ्रस्ट स्ट्रक्चर आदि पाए जाते हैं जो हिमालयी वास्तुशिल्प से संबंधित हैं। इन भौगोलिक विशेषताओं के कारण भिन्न–भिन्न परियोजनाओं के निर्माण में अनेक जोखिम आते हैं। कंपनी ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन मैनुअल अपनाया है। इस मैनुअल का उद्देश्य कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर एक समान और स्तरित जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाना है।

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें परियोजना के स्थल के सदस्य जोखिम अधिकारी के रूप में शामिल होते हैं, जो प्रत्येक चल रही परियोजना के वित्त और कारपोरेट डिजाइन (सिविल और एचएम) विभाग से होते हैं और उन्हें चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कारपोरेट जोखिम प्रबंधन अधिकारी के रूप में कार्यपालक नामित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत सूचना

अलग से कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–1) में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–2 में प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण –रिपोर्ट में जोखिम के मुख्य तत्व दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

टीएचडीसीआईएल में समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझा जाता है। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण ऊर्जा बिक्री एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित हैं तथा इंटरनेट के माध्यम से एसेस की जा रही है।

सभी स्थानों पर साफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए डुअल हाई स्पीड, इंटरनेट लीज लाइनें मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों में पारदर्शिता के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। ठेकेदार/विक्रेता भी अपने बिलों की स्थिति जान लेते हैं, उनको कमियां भी पता चल जाती हैं। अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के लिए शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित मूल्य विवर्धन हासिल किए गए:

- वेबसाईट पर सूचनाएं नियमित रूप से अद्यतन की जा रही हैं। परियोजना की प्रगति के लिए आनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली भी वेबसाइट का भाग है।
- एफएमएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर को भारतीय लेखाकरण मानक के इंड–ए एस के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा, साफ्टवेयर को नए फीचर्स के साथ निरंतर अपग्रेड किया जाता है।
- ई 05 और इससे ऊपर के कार्यपालकों की तिमाही सतर्कता निकासी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास।
- कंपनी में आनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का कार्यान्वयन किया गया।
- लगातार कार्यकुशलता तथा पत्र नोट और फाइलों पर व्यक्ति/अनुभाग/विभाग को कारगर बनाने में सुधार के लिए धीरे–धीरे कागज रहित कार्यालय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए टीएचडीसीआईएल में ई ऑफिस (एनआईसी द्वारा विकसित) विभाग को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इससे कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब में कमी आई है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित होगी।
- आई.टी. प्रणाली और साफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा आई.टी. अवसंरचना की नियमित लेखा परीक्षा सी.ई.आर.टी. इन– पैनलबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है तथा कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। नए स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए साइबर सुरक्षा पर एक सत्र आयोजित किया गया है ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जा सके।
- आनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरण (ए.पी.आर.) प्रणाली एच.आर.एम.एस. साफ्टवेयर में विकसित की गई है और वर्ष 2018 से कार्यान्वित की जा रही है।
- भिन्न–भिन्न परियोजना के बीच वी.सी. आयोजित करने के लिए कंपनी में सुस्थापित बहु–बिंदु वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली है।
- प्रतिभा प्रबंधन और एग्जिट प्रोसीजर के लिए एच.आर.एम. एस. में नया साफ्टवेयर माड्यूल विकसित कर कार्यान्वित किया गया है।

कोविड–19 लाकडाउन और उसके बाद अधिकांश कार्य आनलाइन साफ्टेवयर द्वारा किए जा रहे है और वीडियों क्रान्फेंसिंग एप्लीकेशनों के माध्यम से बैठकें की जा रही हैं।

पुरस्कार और मान्यताएं

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा

33वां स्थापना दिवस समारोह

समय–समय पर इसे विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता एवं सराहना की गई है।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निष्पादन के लिए इसे उत्कृष्ट रेटिंग मिलने की अपेक्षा है।

आपकी कंपनी को भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए नामतः

- कंपनी को भारत सरकार की राजभाषा नीति का 'क' क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यान्वयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 14.09.2019 को प्रतिष्ठित ''राजभाषा नीति पुरस्कार'' प्राप्त हुआ है। कारपोरेट कार्यालय को भी वर्ष 2018–19 के लिए 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की राजभाषा वैजयंती स्कीम का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- टिहरी बांध परियोजना को ''जल विद्युत क्षेत्र की सबसे अच्छी कार्य निष्पादन करने वाली संस्था (यूटीलिटी)'' के लिए सीबीआईपी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर) द्वारा 19.09.2020 को सीबीआईपी एवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में दिया गया।
- आईएचडब्ल्यू काउंसिल द्वारा ''ग्रामीण स्वास्थ्य पहल'' श्रेणी के अंतर्गत सीएसआर हेल्थ इंपैक्ट अवार्ड, 2019
- जी बिजनेस द्वारा ''कनसर्न फार हेल्थ'' श्रेणी के अंतर्गत नेशनल सीएसआर लीडरशिप अवार्ड, 2019
- नेशनल सीएसआर समिट द्वारा ''ग्रामीण विकास और अवसंरचना'' श्रेणी के अंतर्गत सीएसआर टाइम्स एवार्ड, 2019
- ईटी नाऊ द्वारा ''कनसर्न फार हेल्थ'' श्रेणी के अंतर्गत वर्ड सीएसआरडे कांग्रेस एंड अवार्ड, 2020

मानव संसाधन प्रबंधन

सबसे मूल्यवान संपत्ति जिस पर कोई भी कंपनी भरोसा करती है वह उसका मूल्यवान मानव संसाधन है। कंपनी की ब्रांड छवि बनाने के लिए, रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी को अत्याधुनिक बढ़त प्रदान करने, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि मानव एक मुख्य संसाधन है और आपकी कंपनी का प्रयास अपने कर्मचारियों को उनकी कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रदायगी में सक्षम बनाना हैं। आपकी कंपनी में संगठनात्मक विकास में एक सफल प्रणाली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मानव संसाधन के उपयोग को अधिकतम करता है, साथ ही साथ बड़ी व्यावसायिक रणनीतियों के हिस्से के रूप में अन्य संसाधनों का अनुकूलन करता है। 31.03.2020 को आपकी कंपनी की मानव पूँजी 1835 है, जिसमें कार्यपालक 845, पर्यवेक्षक101 और कामगार 889 शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने अति प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन पर गर्व करती है जिसने कंपनी को अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

प्रशिक्षण और विकास

आपकी कंपनी रणनीतिक के मानव संसाधन हस्तक्षेप कर अपने कर्मचारियों को व्यापार से जोड़कर उनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहार क्षेत्र के संबंध में 83 समर्पित प्रशिक्षण आयोजित किये हैं। इसके अतिरिक्त, 5763 मानव दिवस प्रशिक्षण के लिए बाह्य नामांकन फ्लोट किए हैं जो लक्ष्य से 44% अधिक है।

''जन क्षमता परिपक्वता मॉडल के अनुरूप मूल्यांकन स्तर'' के एम.ओ.यू. के लक्ष्य पूरा करने के लिए आपकी कंपनी को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त हुई है। आपकी कंपनी को पी.सी.एम. एम. में स्तर 4 के रूप में निर्णीत और अधिप्रमाणित किया गया है।

महिला पेशेवरों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कार्य जीवन संतुलन और नेतृत्व विकास का लक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए अनेक पहलें की गईं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संस्थाओं नामतः आईआईएमएस में तकनीकी/प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए बाहरी नामांकन के लिए अधिकारियों को प्रायोजित किया गया है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल विकास तथा आसपास के क्षेत्रों को युवाओं के लिए सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों में निवेश कर रही है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

आपकी कंपनी के अनवरत तारांकित निष्पादन के पीछे सौहार्द्रपूर्ण कर्मचारी संबंधों का शक्तिशाली बल है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही कंपनी के हित के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग देते है जिससे कंपनी में सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंध विशिष्ट रूप में दिखाई देते हैं।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/केंद्रों/ इकाइयों में कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधकों और कामगारों तथा कार्यपालकों के शीर्ष संघ के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। टीएचडीसीआईएल की क्वालिटी सर्कल टीम ने गुणवत्ता संकल्पनाओं के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए जिनकी प्रशंसा हुई और टीएचडीसीआईएल की टीमों ने क्वालिटी सर्किल मीट में 01 अति उत्कृष्ट और 04 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार इसने सतत सुधार और सामग्री उन्मुख एप्रोच के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिबद्धता प्रमाणित की।

आपकी कंपनी कर्मचारी कल्याण और स्वस्थता में दृढ़ विकास रखती है और आपकी कंपनी कल्याण संबंधी ऐसी नई नीतियां तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के उत्साह और स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन खेल तथा अंतर–सार्वजनिक उपक्रम खेल आदि अनेक कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की और आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित अनेक खेल कार्यक्रमों में पदक जीते। इसमें बैडमिंटन भी शामिल था जिसमें महिला टीम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। संबंधित क्लबों द्वारा कर्मचारियों की तनाव मुक्ति तथा आपसी संबंधों को बेहतर बनाने हेतु अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वस्थ सामुदायिक जीवन के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर दीवाली, होली, दुर्गापूजा, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं।

आपकी कंपनी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को महसूस करती है इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को लगातार योग का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित और सुयोग्य योगाचार्य प्रतिनियुक्त किए गए हैं। योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था भिन्न–भिन्न इकाइयों में स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर आदि वर्ष भर चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियां थीं।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी पहलें

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों

का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्ण रूपेण समाधान किया है। आपकी कंपनी में अ.जा./अ.ज. अ.पि. व और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ है। समूह–ग में अ.जा. श्रेणी के दो उम्मीदवारों की भर्ती की आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जाते हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा– निदेशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित किया है। विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने संपर्क अधिकरियों को नामित किया है। आपकी कंपनी की नीति समान अवसर प्रदान करने की है जिसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का मत है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। इसलिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजनाओं एवं कारपोरेट कार्यालय में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। सामग्री, अधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में भी दर्शाई जा रही है। महत्वपूर्ण विज्ञापन और गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गईं।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 16 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 411 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटरों/लैपटॉप में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी पखवाड़ा सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों मे भाग लेने गृह पत्रिकाओं में लेख आदि के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा लेने में कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय में सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए हैं जहाँ कर्मचारियों को लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

आपकी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम एवं छमाही बैठकें आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

वर्ष 2019 के दौरान कारपोरेट कार्यालय और यूनिटों में हिन्दी 'कवि सम्मेलन' आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदी गृह पत्रिका 'पहल' नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का 'क' क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यान्वयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लिए प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त किया। कारपोरेट कार्यालय को भी 'नराकास' की राजभाषा वैजयंती योजना का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

टीएचडीसीआईएल पर कोविड–19 बीमारी का प्रभाव

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) ने आर्थिक गतिविधियों

में अप्रत्याशित ठहराव ला दिया है और पूरे विश्व को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया हैं। संकट की इस नाजुक घड़ी में टीएचडीसीआईएल कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई में, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के पीछे दृढ़ता से खड़ी है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों में से जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अंशदान देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को सभी संभव सहायता दी जा सके। टीएचडीसीआईएल ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रू. तथा उत्तराखंड राज्य राहत कोष में 2 करोड़ का अंशदान दिया जिसमें इनके कर्मचारियों के वेतन का भाग भी शामिल है।

उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ''लाकडाउन'' घोषित करने पर उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का पालन करते हुए निर्माणधीन परियोजनाओं में दिनांक 22.03.2020 से सभी कार्य स्थगित रहे। तथापि, कोविड–19 महामारी के फैलने से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के प्रत्युत्तर में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए टीएचडीसीआईएल के सभी प्रचालनात्मक संयंत्र अर्थात टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), पाटन विंड फार्म (50 मेगावाट) और देवभूमि द्वारका विंड फार्म (65 मेगावाट) लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोविड–19 के विरूद्ध सभी निर्धारित सुरक्षा उपाय अपना कर और एहतियात बरत कर लगातार प्रचालनरत बने रहे।

टीएचडीसी एल की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (444 मेगावाट), खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सोलर पावर प्रोजेक्ट, कासरगाड (50 मेगावाट) सीमित संसाधनों से दिनांक 20.04.2020 से पुनः आरंभ कर दिया गया। ऐसा करते समय गृह मंत्रालय के दिनांक 15.04.2020 के आदेश और सरकार प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में कोविड–19 के विरूद्ध सभी निर्धारित सुरक्षा उपाय और एहतियात बरते गए।

सामग्री, उपस्कर और जनशक्ति के अंतर–राज्य परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने से स्टोन क्रशरों और निर्माण सामग्री के संयंत्रों के बंद होने के कारण आवश्यक संसाधनों की कमी हो गई थी। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ठेकेदार कार्यस्थल पर नए निर्माण कार्यों या यहां तक चल रहे कार्यों के लिए भी साजो–सामान नहीं जुटा सके।

इसलिए सीमित संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी अनिवार्य दिशानिर्देशों के कारण कार्य की प्रगति धीमी बनी रही। तथापि, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी लाकडाउन हटाने संबंधी दिशा निर्देशों को लागू किए जाने के बाद अनेक निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आई है।

अनुमान है कि विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं अर्थात टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा एसटीपीपी और कासरगाड सोलर प्लांट निर्धारित अनुसूची से लगभग 6 माह तक प्रभावित रह सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के अपीलीय अधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है वर्ष 2019–20 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 144 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को 16 अपीलें प्राप्त हुई, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 01 अपील दायर की गई और आयोग ने उसका निपटान किया।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जो महिला कर्मचारियों

को सुरक्षित और ध्यान देने वाला माहौल प्रदान करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंतरिक निकायों, समितियों के गठन से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी घोषित किया जाता है कि वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन कोई मामला दायर नहीं किया गया न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई।

आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) समिति भी गठित की है और डब्ल्यूआईपीएस का आजीवन सदस्य है। आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए डब्ल्यूआईपीएस का सदस्य नामित किया है। महिला कर्मचारियों के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जन संपर्क पहलें और कार्यकलाप:

आपकी कंपनी का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विभिन्न हितधारियों को संलग्न करने के लिए नवोन्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

कंपनी में सक्रिय एवं विविध सोशल मीडिया उपकरण यथा वैरीफाइड फेसबुक पेज, यू ट्यूब चैनल, ट्वीटर हैंडल विकसित किए हैं और इन मीडिया टूल्स को विद्युत मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार की माय गवर्नमेंट (सिटीजन इनगेजमेंट प्लेटफार्म) के साथ जोड़ा गया है। आपकी कंपनी ने सोशल मीडिया सेंटर (एसएमसी) स्थापित किया है– यह विवेक सम्मत सोशल मीडिया हस्तक्षेपों को लागू करने, इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा टीएचडीसीआईएल कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश से केन्द्रीकृत निगरानी करने के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने रोचक सूचनाप्रद सामग्री के साथ इलेक्ट्रानिक पत्रिका (टीएचडीसीआईएल संचार चार्टर) तथा कर्मचारियों के साथ त्वरित गति से वास्तविक संवाद हेतु बल्क संदेश सेवा विकसित की है। आपकी कंपनी ने वाईस काल सर्विस जैसी नई पहल की शुरूआत भी की है।

आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यशालाएं नामतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के साथ–साथ निगम के प्रमुख कार्यपालकों के लिए मीडिया वर्कशाप आयोजित की। क्षमता निर्माण एवं संस्थानिक सशक्तीकरण (सीबीआईएस) के अंतर्गत सीएसआर तथा जनसंपर्क से जुड़े कार्मिकों के लिए सीएसआर एवं कम्युनिटी आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया।

आपकी कंपनी ने मीडिया गोल मेज सम्मेलन बुलाया जिसमें निगम की उपलब्धियां मीडिया कार्मिकों के साथ साझा की गई थीं। आपकी कंपनी ने भारत सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सतर्कता गतिविधियां:

सतर्कता विभाग ने कार्यात्मक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए निवारक और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सिस्टम में मूल्यों को जोड़ने के लिए निवारक सतर्कता की रणनीति बनाकर उसका कार्यान्वयन किया जाता है। निवारक सतर्कता के दृष्टिकोण में अनेक प्रकार के उपाय जैसे नियमों और नीतियों की समीक्षा विशेष रूप से प्रापण और भर्ती, जागरूकता से जुड़े कदम तथा विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों पर बल आदि शामिल हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने/कम करने के अपने प्रयासो टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसीआईएल प्रशासन में कारगर उपकरणों के रूप में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिक, पैकेजों को लिवरेज कर उपयोग करने में संलग्न है।

निवारक सतर्कता

निवारक सतर्कता उपायों का ऐसा पैकेज है जिसे प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनाया जाता है ताकि भ्रष्टाचार को कम/न्यूनतम किया जा सके। निवारक सतर्कता तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे सतर्कता मामलों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की संभावना होती है।

इसमें विभिन्न प्रकार की जांचे नामतः सीटीई प्रकार का निरीक्षण, नियमित जांचें, औचक निरीक्षण आदि शामिल हैं। सतर्कता विभाग का मुख्य बल पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए समकक्ष विभागों से परामर्श कर सिस्टम को सुप्रवाही बनाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अधिक से अधिक अंकुश लगाया जा सके। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सतर्कता विभाग ने जांच और अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय–सूची का कुल मिलाकर पालन किया।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एचओबी (सीबीआई) देहरादून से परामर्श कर वर्ष के लिए तैयार की गई सूची की समीक्षा कर उसे अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष के दौरान संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया गया है।
- **ई–सुशासन**
  - पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, आनलाइन शिकायत प्रणाली विकसित कर लागू की गई। यूआरएल के माध्यम से सतर्कता एमआईएस सिस्टम और शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम प्रचालन में हैं और उसके अच्छे परिणाम आए हैं।
  - टीएचडीसीआईएल में बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस) वेब आधारित एप्लीकेशन साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है ताकि वेंडर/ठेकेदार आसानी से अपना बिल अपलोड कर सकें तथा भुगतान प्रक्रिया तथा अपने बिलों की प्रगति की निगरानी कर सके।
  - विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन के अनुपालन में वार्षिक कार्यपालकों (एजीएम और उनसे ऊपर) के लिए ऑन लाइन तिमाही सतर्कता समाशोधन के लिए लिंक टीएचडीसीआईएल में विकसित एवं नियोजित की गई है।
  - टीएचडीसीआईएल में शुरू की गई ई–भुगतान प्रणाली से शत प्रतिशत संविदात्मक भुगतान इलेक्ट्रानिक ढंग से किए जाते हैं। तदनुसार निविदा दस्तावेजों में शर्तें रखी जा रही है।
  - कर्मचारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी आनलाइन प्रस्तुत की जा रही है।

अग्र सक्रिय सतर्कता

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा अच्छे संगठनात्मक शासन के लिए अग्रसक्रिय सतर्कता पर बल दिया जाता है। सतर्कता तथा इससे जुड़ी बातों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने तथा लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित अग्रसक्रिय सतर्कता गतिविधियां अपनाई जा रही हैं:

- नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- मनमाने व्यवहार में कमी लाना
- संगठन में निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही लाना
- ठेकेदारों/वेंडरों में जागरूकता लाना
- कर्मचारियों को शिक्षित करना/संवेदनशील बनाना
- संवेदनशील पदों पर कर्मचारियो के चक्रानुक्रम की निगरानी

प्रणालीकृत सुधार

जाँच/अन्वेषण/सीटीई प्रकार के निरीक्षण के दौरान कुछ मुद्दे जानकारी में आते हैं। इन मुद्दों से बचा जा सकता था, यदि संबंधित कार्यपालक ने अधिक सावधानी से पारदर्शी निर्णय लिया होता। सुव्यवस्थित सुधार के माध्यम से ऐसे मुद्दे/मामले सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाते हैं ताकि भविष्य में टीएचडीसीआईएल के अन्य/विभागों इकाइयों द्वारा गलतियाँ न दोहराई जाएं। ''ए स्टिच इन टाइम, सेव्स नाइन'' अवधारणा के आधार पर यह सतर्कता विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। 15 प्रणालीगत सुधार जारी किए गए थे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019:

i. टीएचडीसीआईएल में 28.10.2019 से 02.11.2019 तक पूरे उत्साह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसका विषय था केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक जीवन शैली। इसमें संगठन के सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों/ठेकेदारों/वेंडरों/अन्य हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कर्मचारियों में सतर्कता की भावना पैदा करने के लिए इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने सीटीई द्वारा चिन्हित कार्य संविदाओं/निर्माण कार्यों में समस्या वाले क्षेत्र और सतर्कता विभाग द्वारा जारी किए गये प्रणालीगत सुधार पर एक बुकलेट प्रकाशित की। श्री रमानाथ झा, कार्यपालक निदेशक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने 01.11.2019 को प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में ''निष्ठा–एक जीवनशैली'' पर व्याख्यान दिया। एचआरडी सेंटर, ऋषिकेश में दिनांक 30.10.2019 से 01.11.2019 तक लोक खरीदारी और निवारक सतर्कता पर 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ii. भ्रष्टाचार विरोधी पोस्टर/बैनर, सूचना प्रदाता तंत्र से जुड़े पीआईडीपीआई से संबंधित भारत सरकार का संकल्प प्रकाशित किए गए और प्रदर्शित करने के लिए टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं में वितरित किए गए। टीएचडीसीआईएल कार्यालयों और परियोजनाओं के समीप स्थित कर्मचारियों, स्कूलों और

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन

कालेज के छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऋषिकेश और पीपलकोटी स्थित स्कूलों में गठित निष्ठा क्लब भी लोगों में जागरूकता पैदा करने में संलग्न थे।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान टीएचडीसीआईएल ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 36.16% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/ उपस्करों/ सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/ या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/ उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है :

क्र. सं	विवरण	आंकड़ें (रूपए करोड़ में)
I	कुल वार्षिक प्रापण (मूल्य में)*	37.1753
II	एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	13.4412
III	अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.1974
IV	कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	0.1375
V	कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	36.16%
VI	कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	0.53%
VII	कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	0.37%
VIII	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

**इसमें सामान एवं सेवाओं का प्रापण शामिल है।*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समन्वय से विक्रेता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए गए। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसईएस) के खरीदारी हेतु मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसएमई के लाभ के लिए टीएचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। टीएचडीसीआईएल का नोडल अधिकारी नियमित रूप से

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय को अवगत करा रहा है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित वर्ष 2019–20 में कंपनी ने अपने किसी संबद्ध पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं :–

विवरण	ब्यौरा
आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा	शून्य
आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा	शून्य

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ने अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहार अंगीकार करने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लोक उपक्रम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों के कार्य एवं दायरा **अनुलग्नक– I** के अनुसार संलग्न है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालनार्थ पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर एवं सततता नीति, 2015 प्रारंभ की है। तद्नुसार, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 21.48 करोड़ रू. का व्यय किया गया जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ का 2% है। तथापि, सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 21.62 करोड़ रू. जिसमें से टीएचडीसीआईएल का अंशदान 21.48 करोड़ रू. है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक– II** संलग्न है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक– III** में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कारपोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और

सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार अनुलग्नक–**VI** में दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांविधिक प्रकटन

(क) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, निदेशकों की जानकारी प्रशिक्षण नीति के लिए सतर्कता तंत्र/ सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार और महत्वपूर्ण राजसहायता निर्धारण करने संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे समय–समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ.) वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2019 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते हैं।

(ज) बोर्ड की राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशकों के पास उचित योग्यता अनुभव कौशल है और उनमें उच्च कोटि की निष्ठा है और पात्र होने के कारण उन्होंने आपकी कंपनी का स्वतंत्र निदेशक बने रहने की पेशकश की है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स एसएन कपूर एंड एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और धोखाधड़ी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए कंपनी में पर्याप्त नीतियां मौजूद हैं।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा दी गई ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का महत्व स्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत रिकार्ड का रख रखाव

आपकी कंपनी ने वर्ष 2019–20 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में स्वतंत्र निदेशकों का पद धारण करने के बारे में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से धारा 149(7) के अंतर्गत आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 02.08.2019 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/243 के द्वारा मैसर्स एस एन कपूर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट, 1 मैत्री बिहार, हरिद्वार, बाई पास रोड, देहरादून–248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक का भुगतान नियत करने के लिए प्रस्ताव वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों सहित संलग्न हैं।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोशिएट्स लागत एवं प्रबंधन

लेखाकार नई दिल्ली एवं मैसर्स के.बी सक्सेना एवं एसोशिएट लागत एवं प्रबंधन लेखाकार नई दिल्ली को कंपनी द्वारा मैसर्स एस सी मोहन्ती एवं एसोशिएट लागत एवं प्रबंधन लेखाकार नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन वित्त वर्ष 2019–20 के लिए क्रमशः टिहरी यूनिट कोटेश्वर यूनिट और जल विद्युत परियोजनाओं के लागत लेखांकन रिर्काडों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या शर्त नहीं लगाई है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति, पेशेवर (प्रेक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VII** के रुप में संलग्न है।

डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कारपोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड) आईएल एवं एफएस फाइनेंसियल सेंटर प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व मुम्बई –400051

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है।

आपके निदेशकगण सभी हितधारकों, व्यापारिक भागीदारों एवं टीएचडीसी के सभी सदस्यों को बोर्ड में उसके विश्वास, निष्ठा एवं भरोसा रखने के लिए धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग व सहायता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक टीएचडीसीआईएल के सभी स्तरों के कर्मचारियों समर्पित प्रयासों व उत्साह के लिए उनकी सराहना करते हैं जिन्होंने कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाना जारी रखा तथा इसका विस्तार किया जाना सुनिश्चित किया है ।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

दिनांकः 22.09.2020
स्थानः ऋषिकेश

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

कारपोरेट सुशासन कंपनी के विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। कम्पनी का मानना है कि कारपोरेट सुशासन कम्पनी के वास्तविक स्वामी के रूप में पणधारियों का अहस्तांतरणीय अधिकार है।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है। मूल रूप से कंपनी का निगमन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 75:25 के अनुपात में किया गया था। 2019–20 में भारत सरकार ने रणनीतिक बिक्री के तहत टीएचडीसीआईएल में अपनी संपूर्ण शेयर होल्डिंग एनटीपीसी को बेच दी थी। आपकी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी कारपोरेट शासन मापदण्डों द्वारा कारपोरेट सुशासन के क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त, हम लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की अच्छी पद्धतियों को हमने अंगीकार किया है। आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सभी कारपोरेट सुशासन दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा कंपनी को वर्ष 2019–20 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है।

1- कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कारपोरेट संरचना, व्यापार एवं प्रकटन पद्धतियां हमारी कारपोरेट सुशासन विचारधारा से जुड़ी है। कम्पनी के कारपोरेट सुशासन सिद्धांत सभी संगत एवं लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं और उनका पालन किया जाता है। हमारा मत है कि बेहतर कारपोरेट सुशासन हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए ठोस कारपोरेट सुशासन महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि हम अपने व्यावसायिक लक्ष्य निष्ठा से प्राप्त करें। हमारी कम्पनी की कारपोरेट सुशासन नीति का मूलभूत प्रयोजन पणधारियों एवं अन्य भागीदारों के लिए विवेक एवं अभिज्ञता की कारपोरेट संस्कृति को जारी रखना है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- समयबद्ध और संतुलित प्रकटन
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- हितधारकों के अधिकार और हित
- अनुपालन

निदेशक मंडल को कम्पनी प्रबंधन, इसके मामलों और कम्पनी के निदेशन एवं निष्पादन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। निदेशक मंडल, कम्पनी अधिनियम, 2013, एओए, डीपीई और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों जो कम्पनी पर लागू हों, के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है। टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियां इस धारणा, इरादे एवं प्रयोजन के साथ पुनः विभिन्न कार्यपालकों को उप–प्रत्यायोजित

की गई हैं कि इससे निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारित नीतिगत ढ़ांचे में निर्बाध, शीघ्र एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हो सके। टीएचडीसीआईएल ने सामान एवं सेवाओं की खरीद के लिए मानक नीति एवं प्रक्रियाओं को भी तैयार कर लागू किया है जिससे प्रक्रिया–विधि को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा आसान बनाकर उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रित रूप से निर्णय लिया जा सके।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाओं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की निष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित सम्प्रेषण नीति तथा सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

वर्ष 2019–20 के लिए कारपोरेट सुशासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं की शर्तों का अनुपालन निम्नवत हैः–

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.49 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग एनटीपीसी की है तथा 25.504 प्रतिशत इक्विटी शेयर होलडिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर कार्यपालक के निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल निदेशक मंडल में आमतौर पर अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित दो निदेशक तथा स्वंतत्र निदेशक हैं। निदेशक, बोर्ड को व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत उनसे अपेक्षित अनुपालनों के अलावा, कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन से संगत सूचनाएं (प्रकटन) ली जाती हैं।

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों को प्रखर बनाना तथा निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभवों

को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो क्रमिक रूप से नए निदेशकों को, कंपनी, इसके संचालन, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका व जिम्मेदारियों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संगत और महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिचित कराता है।

निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति

श्री जे–बेहरा निदेशक (वित्त)	नियुक्ति	16.08.2019
श्री राजीव कुमार विश्नोई, निदेशक (तकनीकी)	नियुक्ति	01.09.2019
श्री एच. एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी)	समाप्ति	31.08.2019
श्री बच्ची सिंह रावत	समाप्ति	22.12.2019
श्री मोहन सिंह रावत	समाप्ति	22.12.2018
प्रो. महाराज के.पंडित	समाप्ति	22.12.2019
श्री आनंद कुमार गुप्ता, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति	23.04.2020
श्री आनंद कुमार गुप्ता, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	समाप्ति	31.07.2020
श्री अनिल कुमार गौतम, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति	23.04.2020
श्री उज्जवल क्रांति भट्टाचार्य, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्ति	26.08.2020

2.5 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की आठ बैठकें हुई थीं। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थिति निदेशकों की संख्या का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है:

तालिका–1: वर्ष 2019–20 आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण :

क्र.सं.	बोर्ड के बैठकों की तिथि	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	8 मई, 2019	8	7
2.	30 जुलाई, 2019	8	7
3.	26 अगस्त, 2019	9	9
4.	27 सितम्बर, 2019	9	9
5.	14 नवम्बर, 2019	9	8
6.	20 जनवरी, 2020	6	5
7.	14 फरवरी, 2020	6	5
8	20 मार्च, 2020	6	5

वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद/समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा **तालिका–2** में दिया गया है :

तालिका–2 निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरणः

क्र. सं.	निदेशक गण	आलोच्य अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड के बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली ए.जी.एम. में उपस्थिति	अन्य धारित निदेशक पद	अन्य पद	
						अध्यक्ष	सदस्य
प्रकार्यात्मक निदेशक							
1.	श्री डी. वी. सिंह, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	8	8	उपस्थित	-	-	-
2.	श्री एच. एल. अरोड़ा, पूर्व निदेशक (तकनीकी) (31.08.2019 तक)	3	3	उपस्थित नहीं	-	-	-
3.	विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक)	8	8	उपस्थित	-	-	-
4.	श्री जे.बेहरा निदेशक (वित्त) (16.08.2019 से)	6	6	उपस्थित	-	-	-
5.	श्री राजीव कुमार विश्नोई निदेशक (तकनीकी) (01.09.2019 से)	5	5	उपस्थित	-	-	
नामित निदेशक							
6.	श्री राजपाल	8	8	उपस्थित	2	-	-
7.	श्री टी. वेंकटेश	8	2	उपस्थित	1	-	-
8.	श्री आनंद कुमार गुप्ता (23.04.2020 से 31.07.2020)	0	0	उपस्थित नहीं	9	-	-
9.	श्री अनिल कुमार गौतम (23.04.2020 से)	0	0	उपस्थित नहीं	4	-	-
स्वतंत्र निदेशक							
10.	श्री बच्ची सिंह रावत (22.12.2019 तक)	5	5	उपस्थित	-	-	-
11.	श्री मोहन सिंह रावत (22.12.19 तक)	5	5	उपस्थित	-	-	-
12.	प्रो0 महाराज के. पंडित (22.12.19 तक)	5	5	उपस्थित	-	-	-

2.6 निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वंतत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों मे भाग लेने का शुल्क बोर्ड द्वारा तय किया जाता है तथा बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा बैठक शुल्क नियत किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा तालिका–3 में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए गए भुगतान का ब्यौरा

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (₹ में)				कुल (₹ में)
	बोर्ड की बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	सी.एस.आर. एवं सतत विकास समिति की बैठक	
श्री बच्ची सिंह रावत	100000	80000	60000	20000	260000
श्री मोहन सिंह रावत	100000	80000	शून्य	40000	220000
प्रोफेसर महाराज के. पंडित	100000	80000	60000	शून्य	240000

कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदशकों, मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2019–20 में भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा:

तालिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

राशि (₹ में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	बोनस/ कमीशन*	निष्पादन संबद्ध वेतन (पी.आआर.पी.)	सकल योग
श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	4230140	-	2740321	6970461
श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	6356246	-	2446337	8802583
श्री जे.बेहरा	निदेशक (वित्त)	6276596	-	1582943	7859539
श्री राजीव के विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	5256641	-	1976671	7233312
श्री एच. एल. अरोड़ा (31.08.2019 तक)	पूर्व निदेशक (तकनीकी)	2361339	-	301145	2662484
सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1502014	-	402950	1904964

2.7 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे.बेहरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी
3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

2.8 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

i) निर्णय लेने की प्रक्रिया: कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों के मध्य पर्याप्त समय देते हुए सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती है या परिचालन द्वारा सकंल्प पारित किए जाते हैं।
- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है।
- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूपसे प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

v) अनुपालन:

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत

विधायी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होती हैं। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका–5** में दी गई है:

तालिका 5 : लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3.	प्रोफेसर महाराज कृष्ण पंडित	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4.	श्री एच एल अरोड़ा (31.08.2019 तक)	पूर्व–निदेशक (तकनीकी) – सदस्य
5.	श्री आर.के.विश्नोई (27.09.2019 से)	निदेशक (तकनीकी) सदस्य

निदेशक (वित्त) ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में विशिष्ट अतिथि के रूप में निरपवाद रूप से भाग लिया।

नोट: स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण लेखा परीक्षा समिति दिसम्बर, 2019 से निष्क्रिय है। प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन का निरीक्षण करना ताकि वित्तीय विवरणों को सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होना सुनिश्चित किया जा सके।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए संविधिक लेखापरीक्षकों को भगुतान का अनुमोदन।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
  - लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;
  - लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन; और
  - किसी भी संबद्ध पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
  - ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
  - बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए तिमाही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
  - प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर समीक्षा करना।
  - लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता तथा कार्य निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
  - कंपनी के सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन पर उत्तरवर्ती संशोधन अथवा अनुमोदन।
  - अन्तर–निगम ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा।
  - कंपनी के दायित्व एवं सम्पत्तियों का, जहां आवश्यक हो, मूल्यांकन।
  - आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
  - आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
  - जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
  - भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों के कारनामे का पता लगाना।
  - सूचना प्रदाता तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
  - नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणी पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
  - कंपनी में होने वाले सभी सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों का पूर्व–अनुमोदन व समीक्षा करना।
  - कार्यक्षेत्र व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
  - प्रबंधन तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
  - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।

- ➢ प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के सम्बद्ध निष्कर्ष तथा सिफारिशें।

- प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
  - ➢ पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
- कार्यक्षेत्र अथवा अपेक्षित सूचना तक पहुंच में किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होना।

3.1.3 लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकेगी तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर उसकी पूरी पहुंच होगी।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना मांगना।
- यदि आवश्यकता पड़े तो बाहर से कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह लेना।
- यदि आवश्यक हो तो, संगत विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं।
- किसी भी मामले पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड विचार करेगा।

3.1.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करेगी:

- प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;
- महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेन–देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित), प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण;
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से सम्बद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

3.1.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गयी। आयोजित बैठक से संबंधित ब्यौरा तालिका 6 में दिया गया है:

तालिका 6: वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्योरे

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	8 मई, 2019	4	4
2.	26 अगस्त, 2019	4	4
3.	27 सितम्बर, 2019	3	3
4.	14 नवम्बर, 2019	4	4

वर्ष 2019–20 में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका–7** में दिया गया है।

तालिका 7: लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र. संख्या	लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	4	4
2.	श्री मोहन सिंह रावत	4	4
3.	प्रो. महाराज. के. पंडित	4	4
4.	श्री एच. एल. अरोड़ा	2	2
5	श्री आर. के. विश्नोई	1	1

निदेशक (वित्त) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया।

3.2 पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, लिस्टिंग करार और सेबी (लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल तथा कार्यपालकों एवं गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण संबंधी नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया। पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी **तालिका 8** में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
2.	प्रो.महाराज के.पंडित	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य
3.	श्री राज पाल	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

नोट: स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण दिसम्बर, 2019 से पारिश्रमिक समिति निष्क्रिय है। प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

3.2.1 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्यगण शामिल हुए थे, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क्र.सं.	पारश्रमिक समिति के सदस्य	सदस्यों की श्रेणी	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	अध्यक्ष	3	3
2.	प्रो. महाराज के.पंडित	सदस्य	3	3
3.	श्री राज पाल	सदस्य	3	3

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर तथा सततता नीति– 2015 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है।

3.3.1 संरचना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना **तालिका–10** में दी गई है:

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
3.	श्री एच. एल. अरोड़ा (31.08.2019 तक)	प्रकार्यात्मक निदेशक–अध्यक्ष
4.	श्री विजय गोयल	प्रकार्यात्मक निदेशक–अध्यक्ष
5.	श्री आर.के.विश्नोई (27.09.2019 से)	प्रकार्यात्मक निदेशक–अध्यक्ष

समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सामाजिक और पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष को सीएसआर सततता समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में विशिष्ट रूप से बुलाया जा सकता है।

नोटः स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण सीएसआर तथा सततता समिति निष्क्रिय है। प्रशासनिक मंत्रालयों से स्वतंत्र निदेशकों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2019–20 में सीएसआर तथा सततता समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों का ब्यौरा **तालिका–11** में दिया गया है:

तालिका 11: सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक तथा उपस्थितिः

क्र.सं.	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	8 जून, 2019	4	3
2.	14 नवम्बर, 2019	4	4

तालिका 12: सीएसआर एवं सततता समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौराः

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री मोहन सिंह रावत	2	2
2	श्री बच्ची सिंह रावत	2	1
3	श्री एच एल अरोड़ा (31.08.2019 तक)	1	1
4	श्री राजीव कुमार विश्नोई	1	1

3.3.3 सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर–एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

4. आम सभा की बैठकें

4.1 जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13: पिछली तीन वार्षिक आम सभा के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	27 सितंबर, 2019 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	28 सितंबर, 2018 को आयोजित 30वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	20 सितंबर, 2017 को आयोजित 29वीं वार्षिक आम सभा की बैठक
समय	अपराह्न 6:00 बजे	अपराह्न 2:00 बजे	अपराह्न 12:45 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट–टावर,एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड प्रथम तल, ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह, मार्ग नई दिल्ली
विशेष कार्य	• वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।	• वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय गैर संयंघी बांड, प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी करना	• वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना

4.2 असाधारण आम बैठक

असाधारण आम बैठक	14 फरवरी, 2020 को आयोजित तीसरी असाधारण बैठक
समय	अपराह्न 5.30 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लि. प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस भीष्म पितामह मार्ग नई दिल्ली
विशेष कार्य	संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में यथाप्रस्तावित विशेष संकल्प पारित कर संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन को अनुमोदन देना।

5. प्रकटन

5.1 सतर्कता तंत्र

कंपनी का अलग सतर्कता विभाग है जो टीएचडीसीआईएल के साथ व्यवसाय कर रहे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या अन्य पक्षों के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध मामलों पर कार्रवाई करता है।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण की जानकारी देने और इसकी जांच करने और दुरस्त करने के लिए एक परिभाषित एवं स्थापित सचेतक नीति (सतर्कता तंत्र) है। सचेतक नीति, कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान सचेतक नीति के अधीन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, किसी भी कर्मचारी को टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से वंचित नहीं किया गया है।

5.2 सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 एवं कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर जारी सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी सांवधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

5.3 लेखाकरण व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है।

5.4 बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को 178(2) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है जो निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियों और नामित किए गए निदेशक तथा परिश्रमिक समिति के निष्पादन मूल्यांकन के तौर–तरीके के बारे में प्रावधान करते हैं। एम सी ए के उपरोक्त परिपत्र में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को 134 (3) (पी) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है जिसमें इसके अपने और इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के निष्पादन की बोर्ड द्वारा औपचारिक मूल्यांकन की रीति को बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने का प्रावधान है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी हो या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी मूल्यांकन प्रणाली से मूल्याकंन करती है।

इस संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्याकंन भी शुरू कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि टीएचडीसी प्रति वर्ष भारत सरकार से समझौता ज्ञापन कार्यान्वित करता है जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मूल्यांकन शामिल होते हैं। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लक्ष्यों को अलग कर व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाया जाता है। आंतरिक एमओयू में सभी प्रचालनात्मक और निष्पादन मूल्यांकन जैसे संयंत्र निष्पादन और कार्यकुशलता, वित्तीय लक्ष्य, लागत कमी लक्ष्य, पर्यावरण, कल्याण, सामुदायिक विकास और अन्य संगत कारक शामिल होते हैं। कंपनी के निष्पादन का मूल्याकंन, लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए एमओयू की तुलना में किया जाता है।

5.5 स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठकें

टीएचडीसीआईएल बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक थे, तथापि सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22.12.2019 को समाप्त हो गया। उस समय से टीएचडीसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अलग से कोई बैठक नहीं आयोजित की गई। एमसीए ने कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए विशेष उपाय के रूप में 24 मार्च, 2020 को एक परिपत्र संख्या 11/2020 जारी किया है कि यदि स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की जाएगी तो इसे अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

5.6 निवेशकों के लिए सूचना

5.6.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंजऑफ इंडिया लिमिटेड
पता: फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001	पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
आईएसआईएन: कारपोरेट बांड श्रृंखला–1 आईएनई 812वी07013 कारपोरेट बांड श्रृंखला–2 आईएनई 812वी07021	

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान किया गया है।

5.6.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

के फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

कार्वे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32

गाछीबाउली,

फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानाकर्मगुडा,

हैदराबाद–500 032

5.6.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,

नई दिल्ली –110014

मो.नं. 919619105439

ईमेल– sanjay.dodti@vistra.com

5.6.4 निवेशक की शिकायतें:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5.6.5 केंद्रीयकृत वेब आधारित निवारक प्रणाली–स्कोर्स

सेबी की केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत निवारक प्रणाली अर्थात स्कोर्स कंपनी में प्रयोग में लाई जाती है। 'स्कोर्स' के माध्यम से बांड धारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत निवारण के लिए दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। यदि सेबी इस बात से संतुष्ट हो कि शिकायतों का समुचित रूप से निपटान किया गया है तो उसके द्वारा शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है।

5.6.6 अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव, सूचीकरण अनुबंध के खंड 6 की मद में अनुपालन अधिकारी है।

6. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	जिस वर्ष के दौरान लाभांश दिया गया	लाभांश का प्रकार	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि	वार्षिक आम सभा की जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2017-18	2017-18	अंतरिम लाभांश	256.10	28 सितम्बर, 2018
2018-19	2018-19	अंतरिम लाभांश	338.76	
	2018-19	विशेष लाभांश	84.36	
	2019-20	अंतिम लाभांश	126.00	27 सितम्बर, 2019
2019-20	2020-21	अंतरिम लाभांश	402.71	22 सितम्बर, 2022

शेयरधारक प्रतिमान :

क्रं.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटि का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नाममात्र के शेयरधारक	10	-

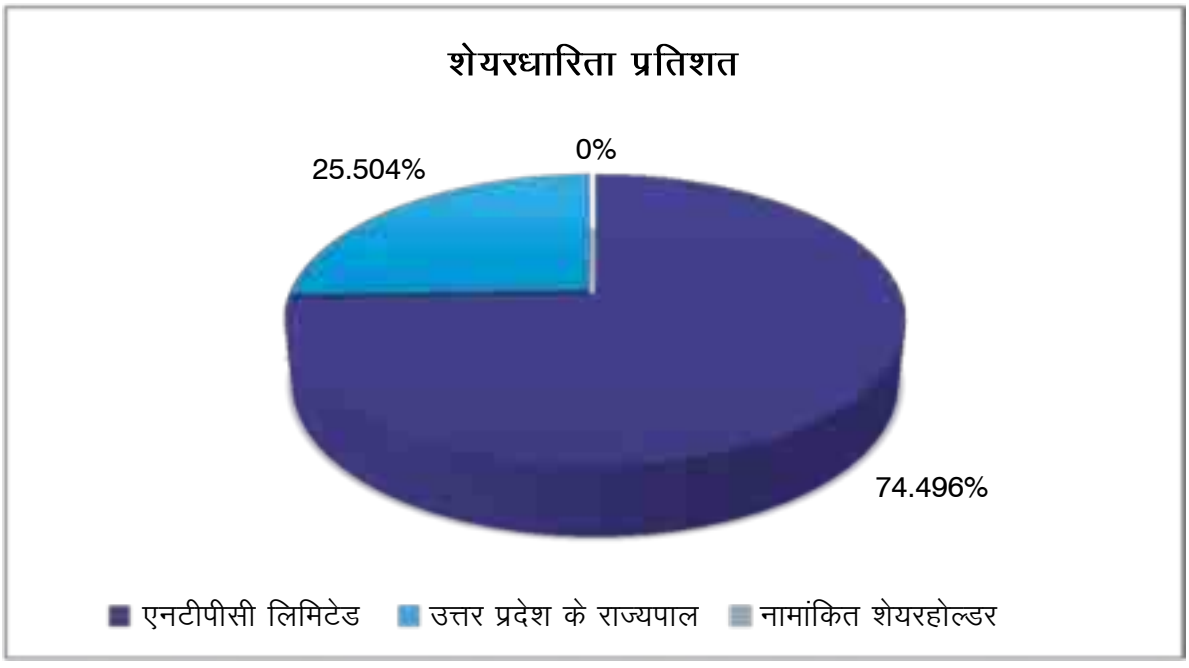

7. सचेतक नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षक समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया है। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- यह कंपनी में उच्चतम स्तर का नैतिक और विधिक कार्य आचरण सुनिश्चित करती है।

8. शिकायत निवारण तंत्र

संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की शिकायत का शीघ्र निपटारा करने हेतु आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से डीपीई दिशा निर्देश के अनुरूप शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

9. जोखिम प्रबंधन

भारत में सुशासन के अंतर्गत कंपनी ने जून, 2012 में ''जोखिम प्रबंधन मैनुअल'' अपनाया। यह मैनुअल निगम में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखता है। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन, परिकल्पना इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई थी। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

नियमों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। ''जोखिम प्रबंधन मैनुअल'' में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और जोखिम वाले कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा भी करता है।

10. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

11. संचार के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों से वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के जरिए संवाद करती है। सूचीबद्ध करार एवं सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियामक, 2015 के अनुसार कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय में घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता को भी सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी तथ्यपूर्ण जानकारी वेबसाइट (www.thdc.co.in) पर होस्ट की गई है। कंपनी के विषय में जानकारी, नवीनतम अद्यतन एवं घोषणा इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in से प्राप्त की सकती है। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

- वार्षिक वित्तीय परिणाम
- शेयरधारक प्रतिमान
- कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंज को समय–समय पर की गई कारपोरेट घोषणाएं।

कंपनी की अधिकारिक न्यूज विज्ञप्ति, अन्य प्रेस की जानकारी, निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियां भी इसकी वेबसाइट पर डाली जाती हैं।

12. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

13. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

14. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और

नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत_ यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं :

कंपनी सचिव	सुश्री रश्मि शर्मा
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135-2439309 , फैक्स– 0135-2439442
ई–मेल	rashmi@thdc.co.in
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर एन सिंह महाप्रबंधक (एस पी) / निदेशक, लोक शिकायत
संपर्क	0120-2776490, फैक्स नं.– 0120-2776433
ई–मेल	rnsingh@thdc.co.in

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढ़वाल,
टिहरी–249001

मैंने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** सीआईएन. यू–45203 यूआर1988जीओआई009822 द्वारा मई, 2010 में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्ध है और 26 मार्च, 2020 तक भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार द्वारा कंपनी में अपने शेयर एनटीपीसी लिमिटेड को बेचने का निर्णय लेने के उपरांत 25 मार्च, 2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच शेयर खरीद करार को निष्पादित किया गया था और करार हो जाने के उपरांत भारत सरकार की इक्विटी, जिसमें कुल इक्विटी का 74.496 प्रतिशत शामिल था, 27 मई, 2020 को मेसर्स/एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का उद्यम है, एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

1. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक को शामिल किए जाने को छोड़ कर आलोच्य अवधि के दौरान आमतौर पर कारपोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया। इसके अतिरिक्त जिन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22 दिसम्बर, 2019 को पूरा हो गया था। उसके बाद वे निदेशक नहीं रह गए और रिपोर्ट की तारीख तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित है। कंपनी ने निवेदन किया कि संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार सरकार के पास है और तदनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया और प्रस्ताव लंबित है।

3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण सांविधिक समितियां, जहां स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष/सदस्य होने आवश्यक हैं, कार्यरत नहीं हैं

4. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
यूडीआईएन ए005880बी000564581

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 अगस्त 2020

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

नर्सरी पौधरोपण हेतु पहल

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

अपने सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी में भली–भांति संरचित प्रणाली है। टीएचडीसीआईएल ने सतत आजीविका के लिए पारिस्थितिकीय बहाली और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तता के लिए गतिविधियों को शामिल कर दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर टुकड़ों में हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण पर हमेशा सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। तीनों क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास तथा लक्षित समुदायों के जीवन में सतत परिवर्तन पर विचार कर सभी सीएसआर हस्तक्षेप किए गए।

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सततता नीति, 2015 है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में है। इसके उपरांत कारपोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा सीएसआर नियम और दिशानिर्देश जारी किए गए (वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf)। तथापि, अप्रैल, 2014 से उत्तरोत्तर अवधि के दौरान नए नियम/दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया।

क. संस्थागत तंत्र

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड की चार सदस्यीय सीएसआर समिति का गठन किया है। एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अन्य सदस्य एक स्वतंत्र निदेशक एवं 02 प्रकार्यात्मक निदेशक हैं। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें रहती हैं।

बोर्ड से निचले स्तर की समिति

सीएसआर एवं सततता कार्यों की अध्यक्षता करने वाले महाप्रबंधक/ईडी स्तर के अधिकारी, जो इसकी अध्यक्षता करते है, को इसका नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाता है और वे बोर्ड से निचले स्तर की समिति (बीबीएलसी) के अध्यक्ष होते हैं। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र में स्वतंत्र विशेषज्ञ, संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में नामांकित किए जाते हैं।

ख. योजना

संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत इसके सीएसआर एवं सततता नीति के अनुपालन में खर्च होता है। खर्च से बची राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वित्तीय वर्ष के अग्रेनीत हो जाती है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर एवं सततता योजना सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है।

सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय के साथ कारपोरेट) है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)–शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहलें

स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

सीएसआर एवं सततता परियोजना कार्यक्रमों की वरीयता स्थानीय क्षेत्र को दी जाती है अर्थात् (i) कंपनी संयंत्र/परियोजना/क्रियाकलापों के निकट स्थान एवं (ii) व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जो कंपनी के व्यापार प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे रूप से प्रभावित हों।

ग. कार्यान्वयन

सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत समितियां है।

सेवा– टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के सीएसआर और सतत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण, 1860 के अंतर्गत कंपनी प्रयोजित गैर सरकारी संगठन "सेवा–टीएचडीसी" की स्थापना की है। सेवा–टीएचडीसी ने वर्ष 2009–10 से काम करना शुरु किया है। सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्य परोपकार करना और लाभ न कमाना है। प्रबंधन समिति में टीएचडीसीआईएल के नामोर्दिष्ट और टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित 07 सदस्य है। टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सोसाइटी के पदेन संरक्षक होते हैं।

टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस)

टीएचडीसी ने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1992 से टिहरी जिले में परियोजना से प्रभावित लोगों तथा आस–पास के वंचित और सुविधा वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरु किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण होने पर वर्ष 2010 में इसका पुनः नामकरण टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी के रूप में किया है। वर्तमान में सोसाइटी टीईएस के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है– एक स्कूल भागीरथीपुरम टिहरी में जहां कक्षा–6 से कक्षा–12 तक शिक्षा दी जाती है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक शिक्षा दी जाती है।

घ. निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट
ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट
iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग
iv. स्थल भ्रमण
v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य
vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा किया गया है।
vii. निगरानी के लिए तृतीय पक्ष की भी नियुक्ति की जाती है।

ड. रिपोर्टिंग

सीएसआर एवं सततता के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट, बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद ही बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट में भी सीएसआर एवं सततता रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए गए हैं। सततता पहलों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण भी सीएसआर पर बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होता है।

वार्षिक सततता रिपोर्ट भी 'टीएचडीसीआईएल' सीएसआर संप्रेषण योजना के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है एवं दर्शाई जाती है।

सीएसआर संचार रणनीतिः सीएसआर और सततता गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ नियमित संवाद और संप्रेषण के लिए टीएचडीसीआईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

प्रभाव आंकलन

5.00 लाख रूपए से अधिक सभी पूर्ण सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का प्रभाव आंकलन विशेषज्ञता प्राप्त बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और सफलता/असफलता वाली रिपोर्ट भी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाती है।

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं का सिंहावलोकन

टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर एवं सततता योजना

इंदिरानगर, ऋषिकेश में सेवा–टीएचडीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

को अपने व्यापारिक योजना एवं रणनीतियों के साथ एकीकृत करती है। इन क्रियाकलापों की योजना अग्रिम रूप से तैयार की जाती है। लक्ष्य विभिन्न उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते हैं जिनमें आवंटित बजट में अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्वानुमान और वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समय–सीमा निर्धारित की जाती है।

सीएसआर एवं सततता योजनाओं को दीर्घ, मध्यम एवं लघु अवधि में श्रेणीबद्ध किया जाता है। कंपनी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं के लिए ऐसे पणधारियों को प्राथमिकता देती है जो इसके प्रचालनों से सीधे प्रभावित होते हैं।

समग्र विकास में समाधान किए जाने वाले क्षेत्र हैं:

- महिलाओं का शोषण रोकने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण;
- खेती तथा बागवानी कार्यों में हस्तक्षेप से आय अर्जन, स्वयं सहायता समूहों के पुनर्चक्रण निधि के माध्यम से आय का अर्जन, चल–खल (तालाबों) के निर्माण/जीर्णोद्धार द्वारा पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान को बढ़ावा देना;
- जल संरक्षण ढांचों को बढ़ावा, कार्यकुशलता बढ़ाने, ईंधन, पशु चारे और औषधीय पौधों के लिए वृक्षारोपण;
- चिकित्सा की दोनों पद्धतियों अर्थात एलोपैथी और होम्योपैथी में औषधालयों और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं;
- स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना;
- (आर्थिक रूप से कमजोर अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि. वर्ग में) शिक्षा को बढ़ावा;
- कंप्यूटर एवं सिलाई में कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार का सृजन तथा स्थानीय भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईटीआई) को सहायता देना;
- पर्यावरण सततता; पारिस्थितिकीय संतुलन आदि सुनिश्चित करना;

परियोजना प्रभावित जिलों में सीएसआर गतिविधियों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसी ने राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों जैसे उत्तराखंड के कृषि विभाग और बागवानी विभाग, नाबार्ड, जिला स्वास्थ्य विभाग, टिहरी और गैर–सरकारी एजेंसियों जैसे रोटरी इंटरनेशनल निधियों और संसाधनों के अभिसरण रूप में सामंजस्य स्थापित करते हुए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं (टेलीमेडिसिन), फार्म का मशीनीकरण (सीमा शुल्क हायर करने वाले केन्द्र) एम्बुलेंस सेवाओं (रोटरी इंटरनेशनल), सिंचाई (सूक्ष्म और लघु रूप में छिड़काव करने वाले उपकरण) बेमौसम खेती (पॉली हाउसेज), ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन (वर्मिन कंपोस्ट), वाटर शेड विकास आदि को कार्यान्वित किया है। उपरोक्त पहलों के अंतर्गत वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अनुमोदित सीएसआर निधियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना गतिविधियों का पूरक बनने के लिए विभिन्न खातों से 897.26 लाख रू. सफलतापूर्वक जुटाए गए।

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार टीएचडीसीआईएल वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्णीत सीएसआर वार्षिक विषय अर्थात "स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और पोषण के लिए वार्षिक सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत अपने प्रमुख प्रचालन क्षेत्र, जिला टिहरी गढ़वाल और दो सरकारी आबंटित आकांक्षी जिलों नामतः सिंगरौली, मध्यप्रदेश और हरिद्वार, उत्तराखंड में खर्च करने में सफल रही ।

2. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

- श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक
  : अध्यक्ष (22.12.2019 को कार्यकाल समाप्त)
- श्री बच्ची सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक
  : सदस्य (22.12.2019 को कार्यकाल समाप्त)
- श्री एच. एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी)
  : सदस्य (31.08.2019 को कार्यकाल समाप्त)

- श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) : सदस्य
- श्री आर.के.विश्नोई, निदेशक (तकनीक) : सदस्य

कंपनी सचिव, सीएसआर समिति का सचिव होता है

3. **कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ** : 1074.17 करोड़ रुपए

4. **निर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद का 2 प्रतिशत)** : 21.48 करोड़ रुपए

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:**

   (i) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि:** 21.62 करोड़ रुपए

   (ii) **व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य**

   (iii) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को खर्च करने के तरीके: परिशिष्ट –। के अनुसार

6. **यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न कर पाने का कारण देना होगा।** – लागू नहीं

   सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर/– (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	हस्ताक्षर/– (सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

परिशिष्ट-I

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न प्रमुख सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसी निरामय–स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

अच्छा स्वास्थ्य लगभग उस प्रत्येक बात को उद्दीप्त करता है जिसकी लोग अभिलाषा रखते हैं जैसे बीमारी रहित होना, गरीबी भूख से मुक्त होना, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए काम करना, शिक्षा प्राप्त करना, भेदभाव रहित व्यवहार, अपने अधिकारों को दावा करने योग्य बनना और सुरक्षित माहौल में जीवन जीना सतत विकास लक्ष्यों के लिए **संयुक्त राष्ट्र 2030 की कार्यसूची में इन आकांक्षाओं को समाहित किया गया है। एसडीजी–3 में कहा गया है "स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और हर उम्र में स्वस्थ जीवन प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा दें"।** उत्तराखंड में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य प्रणाली सीमित रूप में उपलब्ध संसाधनों के अलावा यात्रा में बहुत समय बिताने के कारण प्रभावित होती है। उत्तराखंड 4421 वर्ग किलोमीटर का टिहरी क्षेत्र टीएचडीसी का अब तक बड़ा कार्य क्षेत्र है। पैथालाजी, रेडियोलाजी और विशेषज्ञ सेवाओं के अभाव के कारण भी लोगों को निदान और उपचार के लिए दूर–दूर स्थित शहरों में जाना पड़ता है जिससे शहरों की स्वास्थ्य देख–भाल सुविधा की बुनियादी सुविधाओं पर मरीज किटों पर दबाव बढ़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते टीएचडीसीआईएल विभिन्न सुविख्यात अस्पतालों और संस्थाओं के साथ स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान चलाकर समाधान और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसी की कुछ प्रमुख समुदायोन्मुख प्रयास इस प्रकार हैं:

- **दीन गांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालय:** यह टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरूरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे

श्री आर.के. विश्नोई, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल जिले के किसानों के लिए कृषि मशीनरी बैंक उपकरणों को झण्डी दिखाते हुए

बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, माइनर ओ टी और निःशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में कुल 11994 पंजीकरण किए गए।

- **बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविरः** प्रत्येक वर्ष सेवा–टीएचडीसी टिहरी और कोटेश्वर में स्थित परियोजनाओं, ऋषिकेश और निर्मल आई इंस्टीट्यूट, ऋषिकेश में तैनात डाक्टरों के माध्यम से टिहरी जिले में नेत्र चिकित्सा शिविर सहित 10–15 बहु–विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। एम्स ऋषिकेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सीएमओ से संपर्क कर दूर दराज स्थित स्थानों की चिकित्सा सुविधाओं का आंकलन करने के लिए टिहरी, कोटेश्वर और ऋषिकेश में भी चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे थे। सीमा डेंटल कालेज, ऋषिकेश के साथ भागीदारी कर दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे थे। वित्त वर्ष के दौरान अलग–अलग परियोजना स्थलों पर कुल 36 चिकित्सा शिविर लगाए गए थे जिनमें ओपीडी में 6909 पंजीकरण किए गए जिनमें 212 मोतियाबिंद (कैटेरेक्ट) संबंधी सर्जरी भी शामिल थे।
- **टेली मेडिसीन स्कीमः** यह परियोजना जिला प्रशासन, टिहरी के साथ संपर्क कर दिसम्बर, 2017 में 20 केन्द्रों के साथ शुरु की गई। वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 40 हो गई। ये केन्द्र 200 ग्राम सभाओं और लगभग एक लाख लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सभी टेलीमेडिसिन केन्द्रों में एक मेडिकल किट (ब्रीफ केस) होती है जिसमें पल्स आक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, वाई फाई ईसीजी रिकार्डर, एक्सरे ब्यू बाक्स, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथोलाजिकल किट होती है। इसके साथ ही एक एन्ड्रायड टैबलेट होता है जिसमें 500 जरुरी दवाइयों की सूची और पोर्टेबिल हॉट स्पाट होता है ताकि जिला अस्पतालों के साथ निदान, आंकड़ा हस्तांतरण और संप्रेषण किया जा सके। वित्त वर्ष के दौरान ओ.पी.डी. में पंजीकृत मामलों की संख्या 11316 थी।
- **होम्योपैथिक औषधालयः** होम्योपैथी, दवाइयों की एक ऐसी वैकल्पिक पद्धति है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वस्थ लोगों में जो तत्व किसी बीमारी के लक्षण को प्रकट करता है वही तत्व रोगियों में उसी लक्षण का ईलाज करता है। निःशुल्क परामर्श और दवाइयां देने के लिए जिला टिहरी, उत्तरकाशी और ऋषिकेश में कुल छह औषधालय चल रहे थे। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में पंजीकृत कुल मामलों की संख्या 55,000 से अधिक थी।
- **स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहलें:** भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत अभियान और भिन्न–भिन्न स्वच्छता पखवाड़ों के अंतर्गत टीएचीडीसीआईएल कार्यालयों के भीतर और विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों में, कार्य स्थलों पर, गलियों में, सड़कों पर, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशनों पर, पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित क्षेत्रों में, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के बारे में व्यापक जन जागरण अभियान चलाए गए। आवश्यकता के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों में सफाई की गई और नगर निगम ऋषिकेश, नगर पालिका परिषद, टिहरी और नगर पंचायत, मुनि की रेती से परामर्श कर अलग–अलग स्थानों पर कूड़ेदान (डस्टबिन) रखवाए गए थे। टीएचडीसी ने टीएचडीसी कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश के समीप स्थित तीन बस्तियों– (1) प्रगति विहार, (2) नेहरु ग्राम, (3) इंदिरा नगर तथा बाईपास रोड, ऋषिकेश/ नटराज चौक से मंशा देवी ग्रामों के चार कि.मी. के हिस्से को सफाई के लिए गोद लिया (अपनाया)।
- टीएचडीसी ने सफाई के लिए ऋषिकेश के 4 स्कूलों अर्थात (1) राजकीय प्राथमिक स्कूल, मंसादेवी ग्राम (2) राजकीय प्राथमिक एवं अपर स्कूल, बापू ग्राम (3) राजकीय प्राथमिक स्कूल बीबीवाला तथा राजकीय प्राथमिक स्कूल, इंदिरा नगर को अपनाया है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न लाभार्थियों और संस्थाओं में टिपर, वाटर कूलर, वाटर फिल्टर, आर. ओ. सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और कूड़ेदान भी वितरित किए गए। खुले में शौच को नियंत्रित करने और बेहतर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शौचालयों की मरम्मत की गई तथा 10 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 10 लाख रू. निर्मुक्त किए गए।

टीएचडीसी जागृति–शिक्षा संबंधी पहले

शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार के सृजन के लिए महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार कर निम्नानुसार अनेक कदम उठाए गए:

(क) प्रगतिपुरम, ऋषिकेश और भागीरथीपुरम, टिहरी में स्कूलः दो स्कूल जिनमें से एक भागीरथीपुरम, टिहरी में स्थित है, कक्षा 6 से 12 तक और प्रगतिपुरम ऋषिकेश में स्थित दूसरा स्कूल टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी टीईएस के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहित समाज के कमजोर वर्गों को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों को निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा तथा नैवेद्यम स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा है। इन स्कूलों को चलाने का वार्षिक बजट 4.65 करोड़ था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अतिरिक्त छात्र विभिन्न पाठयेतर गतिविधियों में भी संलग्न थे ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वर्ष 2019–20 के दौरान इन दोनों स्कूलों में कुल 631 छात्र (281 लड़के और 350 लड़कियां) इनरोल किए गए।

(ख) जूनियर हाई स्कूल, कोटेश्वरपुरम : उपरोक्त के अतिरिक्त, केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोटेश्वर जिला–टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का जूनियर हाई स्कूल भी चलाया जा रहा है जिसके लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा ओंकारानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल एजूकेशन सोसाइटी नामक एक गैर सरकारी संगठन को अनुदान उपलब्ध करवाया है। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 261 छात्र (151 लड़के और 110 लड़कियां) इस स्कूल में इनरोल किए गए थे। इस स्कूल को चलाने का वार्षिक बजट 50 लाख रू. था।

उपरोक्त के अतिरिक्ति, टिहरी और उद्यम सिंह नगर के 02 स्कूलों को 108 फर्नीचर सेट (तीनों बच्चों के बैठने योग्य बेंच) वितरित किए गए। टिहरी और देहरादून जिले में परियोजना प्रभावित और पुनर्वास क्षेत्र में बेरोजगार युवकों और छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए सेवा टीएचडीसी द्वारा 11 कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए। सभी केन्द्रों पर 06 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और वर्ष 2019–20 के दौरान 480 से अधिक युवा और छात्र इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

टीएचडीसी दक्ष– कौशल विकास पहलें

कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, ए.एन.एम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल और

हरिपुरकला, ऋषिकेश में एम्स, ऋषिकेश की सहायता से गरीब व कम आय वर्ग के लोगों हेतु निःशुल्क चिकित्सा कैम्प का आयोजन

इलेक्ट्रानिक, उत्खननकर्ता प्रचालक, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि दिए गए। वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कौशल प्रशिक्षणों के लिए कुल 623 युवाओं को प्रायोजित किया गया जिनमें 67 आईटीआई कोर्स, 24 सूर्यमित्र 06 अतिथ्य कोर्स और 10 होटल प्रबंधन कोर्स प्रायोजित किए गए थे।

टीएचडीसी उत्थान– ग्रामीण विकास पहलें

भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी और सतत विकास के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण बने हुए हैं। **सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 विशेष रूप से 'भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार लाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।** उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध करवाता है, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि समर्थन गतिविधियों के लिए समाधान लाने का भी प्रयास करता हैः

- पॉली हाउसेज,अधिक पैदावार देने वाले बीज, वर्मिन कंपोस्ट पिट, एलडीईपी टैंक ड्रिप सिंचाई, छिड़काव करने वालों उपकरण, सिंचाई के लिए वर्षा जल संरक्षण और विशेषज्ञों द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह उपलब्ध करवाई जा रही है।
- कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसीएस)– इस परियोजना में परिकल्पित एक आदर्श मॉडल, जिसमें सभी फसलों के लिए जुताई करने वाली फार्म मशीनरी, बहु फसल उपस्कर और न्यूनतम फसल विशिष्ट मशीनरी शामिल

हैं। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक सरकारी निधियों और सीएसआर निधि के बीच 4:1 के अनुपात उपस्कर की लागत को साझा कर राज्य कृषि/बागवानी विभाग के साथ कनवर्जेंस मोड में स्थापित किया जाता है जिसमें लाभार्थियों का भी कुछ अंशदान होता है। ये बैंक स्थानीय समुदाय द्वारा स्व–सहायता समूह (एसएचजी) मोड में चलाए जा रहे हैं और इनसे लगभग 1125 किसानों को प्रत्यक्ष रूप और लगभग 2500 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है।

- परियोजना प्रभावित गांवों के समग्र विकास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सायंकालीन कालेज तथा दो गैर लाभग्राही संगठन 70 गांवों के समाज के लोगों को सतत आजीविका का अवसर देने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा समाज के सर्वांगीण विकास में संलग्न हैं।
- दीर्घकालिक परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रमुख गतिविधियां थीं: पाली हाउसों का संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण, किसान गोष्ठियों का आयोजन, विशेषज्ञों के माध्यम से एक्सपोजर दौरे, तथा कृषि भूखंडों का प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम, सैनीटरी नैपकिनों का वितरण, केरियर काउंसेलिंग कार्यक्रम, वर्षा जल संरक्षण टैंकों का निर्माण, आजीविका के सृजन के लिए मशरूम के उत्पादन का प्रशिक्षण, सफाई के लिए स्वच्छ भारत के अंतर्गत किसान क्लबों की स्थापना आदि। उपरोक्त प्रयासों के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान 100 से अधिक स्व–सहायता समूहों और 02 सहकारी समितियों का सृजन किया गया।
- लागत साझेदारी आधार पर (सेवा टीएचडीसी का हिस्सा 25 प्रतिशत या इससे अधिक रहेगा) विभिन्न सीएसआर आधारित गतिविधियों के लिए नाबार्ड, देहरादून के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत भिलंगना वाटरशेड के वाटर शेड प्रबंधन के कार्य के संबंध में सहमति बनी है। अगले 4–5 वर्षों के दौरान लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा जिसमें पौध रोपण, चेक ड्रैम और वाटरशेड के अंतर्गत आने वाले गांवों में आजीविका की विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। पहले चरण में लगभग 100 हेक्टेयर वाटर शेड का उपचार/प्रबंधन किया जाएगा। बाद में प्रायोगिक परियोजना की सफलता के आधार पर 900 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा।

टीएचडीसी समर्थ–महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें

एक नवाचारी प्रायोगिक पहल के रूप में टीएचडीसी ने 10 लाख रू. की आरंभिक राशि से वर्ष 2016 में टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में एक महिला क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी स्थापित की ताकि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं अपनी पसंद के आजीविका विकल्पों के लिए छोटी उधार जरूरतों को पूरा कर सकें। सोसाइटी का प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में टीएचडीसी के मार्गदर्शन, विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण आधारित आजीविका प्रशिक्षणों तथा साजो सामान की सहायता से सोसाइटी सफलतापूर्वक चल रही है। वित्त वर्ष के दौरान सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 91 हो गई। इनमें से 35 सदस्यों ने पशुपालन के लिए, 5 सदस्यों ने सामान्य किराना स्टोर के लिए, 7 सदस्यों ने सिलाई की दुकान के लिए और 10 सदस्यों ने सब्जी की खेती करने के लिए उधार लिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आजीविका और आय उत्पादन के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए टीएचडीसी महिलाओं और किशोरियों के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। वित्त वर्ष के दौरान विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए बुनाई, सिलाई और सौंदर्य प्रसाधन के (ब्यूटीशियन) 13 निःशुल्क केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों से कुल मिलाकर 770 महिलाओं और किशोरियों ने लाभ उठाया।

टीएचडीसी सक्षम– बुजुर्ग और विशेष रूप से सक्षम लोगों की देखभाल के लिए पहलें:

प्रत्येक व्यक्ति ऐसे माहौल में ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है जहां उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। टीएचडीसी ने टिहरी गढ़वाल के जिले समाज कल्याण विभाग के साथ संपर्क कर टिहरी गढ़वाल के चामियाला के विशेष रूप से समर्थ युवकों के लिए राजकीय विकलांग कर्मशाला नामक बेकरी उत्पाद इकाई और दुकान की स्थापना की। पूरी परियोजना के दौरान युवाओं को उचित प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग दी गई ताकि एक सुस्थापित बाजार संपर्क का सृजन किया जा सके। इस बेकरी को एफएसएसएआई प्रमाणन प्राप्त हो चुका है और यह विशेष रूप से समर्थ लगभग 15 युवकों को आजीविका उपलब्ध करवा रही है।

इस बेकरी से प्रति माह 25000 रू. का उत्पादन होता है जिसकी आपूर्ति घंसाली और–चामियाला स्थानीय बाजारों में की जाती है।

टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण सततता, सतत विकास लक्ष्यों में से एक अति महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि कुल 244 संकेतकों में से 93 संकेत पर्यावरण से संबंधित है पर्यावरणीय सततता प्राप्त करने तथा सीएसआर विषयक प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मृदा और जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन जैसे तीन विषयों सहित तीन गतिविधियां शुरु की गई थी। टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में मृदा और जल का संरक्षण करने के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर वाटरशेड विकास संबंधी पहलों को कार्यान्वित किया गया था। इस पहल के अंतर्गत कंटूर खाइयों, रिचार्ज पिटों, चाल (प्रिलोकेशन टैंक) गैबियन चेक डैम का निर्माण किया गया था। पर्यावरण टीएचडीसीआईएल का प्रमुख विचारणीय विषय रहा है इसलिए टीएचडीसी उत्थान थीम की सभी दीर्घकालिक सीएसआर आजीविका परियोजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण गतिविधियों को समाहित किया गया था ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और वर्धित आजीविका अवसर को संरक्षित जल संसाधनों से जोड़ा जा सके। विकसित की गई बड़ी जल संरक्षण परिसंपत्तियों में शामिल थेः जल संरक्षण टैंक (प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर)

टिहरी गढ़वाल जिले के परियोजना प्रभावित गांवों में वर्षा जल संरक्षण टैंक के निर्माण हेतु पहल

एलडीपीई (कम घनत्व वाले पोलीथिन) टैंक, चाल खल जिन्हें वर्षा जल के संरक्षण के लिए परियोजना प्रभावित गांवों में संस्थापित किया गया था। भिन्न–भिन्न प्रकार के फलों चारे, ईंधन और औषधियों के पौधों को रोपने का प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019–20 में आम, अमरुद, आंवला, बेल, नींबू, अनार, संतरा, किन्नू, मलबेरी, जामुन, अखरोट, हरड़ बहेरा, आवला आदि के 18538 पौधे लगाए। उपरोक्त के अतिरिक्त, सनदाना वाटर शेड क्षेत्र में नाबार्ड के साथ कनवर्जेंस मोड में 2160 बागवानी पौधे और 2000 नैपियर पौधे भी रोपे गए। सतत पौधारोपण गतिविधि के लिए छोटे पौधों (सैपलिंग) को बनाए रखने के लिए टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश के परिसर में एक नर्सरी का अनुरक्षण भी किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2019–20 की सीएसआर गतिविधियों का विवरण एवं व्यय

(रु. लाख में)

1	2	3	4		5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना लागू है	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिले जहां परियोजना या कार्यक्रम शुरू किए गए थे		कार्यक्रम या परियोज. नावार राशि (बजट)	परियोजना या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि / उपशीर्षः 1. परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपशीर्ष	आलोच्य अवधि तक परिसंचयी व्यय	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे (सीएसआर का कार्य कंपनी प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं)
			राज्य	जिला				
1	(i) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में 06 होम्पोपैथिक और 02 एलोपैथिक औषधालय चलाना	कंपनी विनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद सं. भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना और निवारक देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (प्रताप नगर नरेन्द्र नगर)	467.50	38.31	456.55	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी)
				स्थानीय क्षेत्र उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़)		6.21		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		8.08		
			यू.पी.	स्थानीय क्षेत्र बुलंशहर (खुर्जा)		15.41		
	(ii) बहु विशेषज्ञता वाले चिकित्सा शिविर		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (थौलधर, प्रतापनगर, नरेन्द्र नगर, जाखनीधर, चम्बा, भिलंगना)		54.18		
				स्थानीय क्षेत्र उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़)		0.32		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		4.84		
	(iii) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में सहभागिता		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		109.20		
				अन्य क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल (सतपुली)		4.75		
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		3.63		

				स्थानीय क्षेत्र चमोली (चमोली)		4.75		
				स्थानीय क्षेत्र टिहरी (थौलधर, प्रतापनगर, नरेन्द्र नगर, जाखनीधर, चम्बा, भिलंगना)		78.44		
			मध्य प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र सिंगरौली (अमेलिया)		1.39		
	(iv) स्वास्थ्य चिकित्सा उपस्कर		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (थौलधर, प्रतापनगर, नरेन्द्र नगर, जाखनीधर, चम्बा, भिलंगना)		65.35		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		1.34		
				अन्य क्षेत्र उद्यम सिंह नगर (सितारगंज)		14.48		
	(v)टेलीमेडिसन		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (थौलधर, प्रतापनगर, नरेन्द्र नगर, जाखनीधर, चम्बा, भिलंगना)		24.01		
	(vi) पोषण सहायता		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बर, प्रतापनगर)		1.37		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		2.23		
	(vii) क्लीन फूड स्ट्रीट हब		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		2.41		
	(viii) गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम तथा सरकारी स्कूलों को वाटर प्यूरिफायर का वितरण		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (जाखनीधर और चम्बा)		15.85		

2	(i) स्कूलों को चलाने के लिए बुनियादी सुविधाएं (फर्नीचर किताबें आदि) उपलब्ध करवाना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–7 की मद संख्या–2 विशेष शिक्षा और रोजगार वर्धक व्यावसायिक कौशलों सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, प्रतापनगर, भिलंगना, नरेन्द्र नगर, थौलधर, जाखनीधर)	1018.28	54.46	968.59	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी)
				अन्य क्षेत्र अल्मोड़ा (रानीखेत)		1.94		
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		8.47		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		28.49		
			उत्तर प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र बुलंदशहर (खुर्जा)		5.90		
	(ii) परियोजना प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, प्रतापनगर, भिलांगना, नरेन्द्र नगर, थौलधर, जाखनीधर)		13.88		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		4.54		
				स्थानीय क्षेत्र उत्तरकाशी (डूंडा)		0.49		
			उत्तर प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र बुलंदशहर (खुर्जा)		2.94		
	(iii) ऋषिकेश, टिहरी और कोटेश्वर में तीन स्कूल चलाना		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा और नरेन्द्र नगर)		278.56		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		232.52		
	(iv) आईटीआई कौशल विकास प्रशिक्षण आदि		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		0.29		
				स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, प्रतापनगर, भिलंगना, नरेन्द्र नगर, थौलधर, जाखणीधार)		14.23		

	(v) सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और परिस्थितिकीय पुनः बहाली के लिए विभिन्न गतिविधियां		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, प्रतापनगर, भिलंगना, नरेन्द्र नगर, थौलधर, जाखणीधार)		303.64		
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		1.80		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		15.65		
				स्थानीय क्षेत्र बबीना (झांसी)		0.79		
3	(i) दीपा माई महिला क्रेडिट कोआपरेटिव स्वायत्त सोसाइटी को सहायता	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद सं. (3) महिलाओं को सशक्त बना कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (प्रतापनगर)	30.00	1.25	31.67	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी)
	(ii) महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (कटाई, सिलाई, सौंदर्य प्रसाधन और मेकराम प्रशिक्षण आदि			स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, प्रतापनगर, भिलंगना, नरेन्द्र नगर, थौलधर, जाखणीधार)		5.79		
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		4.58		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		15.39		
			उत्तर प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र बुलंदशहर (खुर्जा)		4.00		
			मध्य प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र सिंगसगरौली (अमेलिया)		0.66		

4	(i) पौध रोपण और नर्सरी का विकास ग्रामीणों को वितरण करने के लिए औषधीय और फलदार वृक्ष तथा पौधे तैयार करने के लिए	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची–7 की मद सं (4)पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिकीय संतुलन, फ्लोरा तथा फौना का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी,प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा वायु तथा जल की गुणवत्ता बनाए रखना	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)	37.50	39.29	39.29	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
5	(i) राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति आदि का संरक्षण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद सं–5 राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति आदि का संरक्षण	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा, भिलंगना, प्रतापनगर)	326.24	8.64	206.43	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
				स्थानीय क्षेत्र उत्तरकाशी (चिन्यालीसौर)		2.00		
				अन्य क्षेत्र रूद्रप्रयाग (जाखोली)		0.50		
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		3.50		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		5.26		
	(ii) गंगा घाट के क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा ढांचे का फेसेड/ सजावटी रोशनी से आकर्षक बनाना		उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		186.53		

6	सशस्त्र बलों सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए हितलाभ के लिए उपाय	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची–7 की मद सं.6 सशस्त्र बलों सेवानिवृत्ति सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए हितलाभ के लिए उपाय			5.00	-	-	
7	खेलकूद को बढ़ावा देना (ग्रामीण खेलों के खेलकूद की सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान करना)	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– 7 की मद संख्या (7) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देना	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला और रायपुर) स्थानीय क्षेत्र टिहरी (चम्बा)	5.00	6.90 1.40	8.30	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
8	कोविड–19 के लिए पीएम केयर फंड में अंशदान	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची–7 की मद सं.(8) प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी कोष में आदि में अंशदान	दिल्ली	अन्य क्षेत्र दिल्ली	0.00	200.00	200.00	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
9	टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों को दिया गया अंशदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद संख्या (10) निधियां प्रदान किए जाने वाले इनक्यूवेटरों को अंशदान			2.00	-	-	

10	टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों को दिया गया अंशदान श्मशान घाट मार्ग, यात्री शेड सौर प्रकाश और कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद संख्या (10) ग्रामीण विकास	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी प्रतापनगर, कीर्तिनगर, चम्बा, थौलधर)	160.00	48.23	118.85	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
				स्थानीय क्षेत्र हरिद्वार (बहादराबाद)		14.11		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		10.54		
			उत्तर प्रदेश	स्थानीय क्षेत्र बुलंदशहर (खुर्जा)		45.97		
11	बाढ़ सुरक्षा, निर्माण कार्य	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची–7 की मद सं;(7) आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास गतिविधियां शामिल हैं।	उत्तराखंड	स्थानीय क्षेत्र टिहरी (प्रतापनगर, कीर्तिनगर, चम्बा, थौलधर)	27.52	9.77	25.37	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
				स्थानीय क्षेत्र उत्तरकाशी (चिन्यालीसौर)		6.21		
				स्थानीय क्षेत्र देहरादून (डोईवाला)		7.89		
				स्थानीय क्षेत्र बुलंदशहर (खुर्जा)		1.50		
12	प्रशासनिक उपरि शीर्ष, क्षमता निर्माण, बेसलाइन/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण, प्रभाव मूल्यांकन				72.00	106.76	106.76	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित सोसाइटी)
योग					**2,151.04**	**2,161.81**	**2,161.81***	

*सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल व्यय 21.62 करोड़ है जिसमें से टीएचडीसीआईएल का अंशदान 21.48 करोड़ रू. है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमि

नए उद्योगों और शहरीकरण में वृद्धि होने के साथ–साथ भारत में विद्युत क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में, 31 जुलाई, 2020 को संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 371977 मेगावाट है जिसमें 62.2 प्रतिशत तापीय (थर्मल) विद्युत, 12.3 प्रतिशत जल विद्युत और 23.7 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसके साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े विद्युत उत्पादक के साथ–साथ उपभोक्ता के रूप में उभरा है।

मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में बिजली की भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और देश के गैर–विद्युतीकृत सभी घरों में बिजली का कनेक्शन देना सुनिश्चित करने के लिए एक स्कीम तैयार की थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) शुरू की थी। दिनांक 31.03.2019 को बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1181 यूनिट थी जो विश्व की प्रति व्यक्ति औसत खपत 2674 यूनिट से काफी कम है तथा एशिया के बहुत से देशों की प्रति व्यक्ति औसत खपत से बहुत कम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 'सौभाग्य' सहित बहुत सी योजनाएं शुरु कीं ताकि विद्युत परिस्थितिकीय प्रणाली में सुधार लाया जा सके। उत्पादन के पक्ष में भारत सरकार की क्षमता वृद्धि में तेजी लाने तथा अस्पष्ट विद्युत मिश्रण में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए हैं। जल विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा उपायों की घोषणा की गई है जो जल विद्युत क्षमता में वृद्धि करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही, वर्ष 2020 तक 175 गीगावाट की आरई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अतिरिक्त वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एकार्ड में एनडीसी (राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित प्रतिबद्धता) के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोत से कम से कम 40% संस्थापित क्षमता प्राप्त की जाएगी।

वित्त वर्ष 2020 में विद्युत मांग कम होकर 1.2 प्रतिशत रह गई, इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र से कम मांग थी जिससे इस अवधि के दौरान कुल मिला कर अर्थव्यवस्था में मंदी आई। जबकि जनवरी और फरवरी, 2020 में मांग में पूर्ववत वृद्धि हुई। मार्च, 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण मांग में 9.1 प्रतिशत की कमी देखने को मिली। अप्रैल, 2020 में यह स्थिति और बदतर हो गई और कोविड–19 लाकडाउन के कारण कम होकर यह 22 प्रतिशत तक रह गई। वर्ष 2019–20 के दौरान परंपरागत उत्पादन 1250.784 बियू था जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान उत्पादन 1249.337 बियू था। यह 0.12 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020–21 के लिए परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1330 बिलियन यूनिट बीयू रखा गया है अर्थात यह पिछले वर्ष (2019–20) के लिए 1250.784 (बियू) के वास्तविक परंपरागत उत्पादन में लगभग 6.33 प्रतिशत की वृद्धि है। तथापि, जुलाई, 2020 में परंपरागत विद्युत उत्पादन बढ़ा है जो जुलाई, 2019 से मात्र 0.05 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट संचयी नवीकरणीय संस्थापित विद्युत क्षमता की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य में से 88.04 गीगावाट की क्षमता पहले ही जुलाई, 2020 तक स्थापित की जा चुकी है जो कुल संस्थापित क्षमता का 23.7 प्रतिशत है। भारत का इस समय विश्व में पवन और सौर विद्युत विकास में क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान है। पिछले पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 226 प्रतिशत बढ़ी है। प्रति वर्ष इस क्षेत्र (सेक्टर) में 10 मिलियन मानव दिवस से अधिक रोजगार का सृजन किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना बढ़कर 2630 मेगावाट से बढ़कर जुलाई, 2020 में 35303 मेगावाट हो गई है। सीईए के अनुसार वर्ष 2021–22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान, देश में कुल बिजली की मांग का लगभग 21 प्रतिशत तथा वर्ष 2026–27 तक 24 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाला संगठन होने के नाते टीएचडीसीआईएल सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रू. और प्रदत्त पूंजी 3665.88 करोड़ रू. है। टीएचडीसीआईएल ने 20 दिसम्बर, 2019 को 24 मेगावाट की ढुकवां एसएचपी को कमीशन किया है और दिनांक 13.01.2020 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरु हो गया है।

टीएचडीसीआईएल वर्ष 2020–21 में केरल के कासरगाड में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना, वर्ष 2022–23 और 2023–24 में उत्तराखंड में 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी और 444 मेगावाट वीपीएचईपी जल विद्युत परियोजनाओं और वर्ष 2024–25 में उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा नामक स्थान पर 1320 मेगावाट का सुपर ताप विद्युत संयंत्र की कमीशनिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल पूरे भारत के साथ–साथ विदेशों में सभी संभव परंपरागत/गैरपरंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में विचार कर रही है और संभावनाओं की तलाश कर रही है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर सोलर पार्क विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आबंटित किया है। टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के साथ जेवी कंपनी गठित की है जिसमें टीएचडीसी और यूपीएनईडीए के द्वारा क्रमशः 74:26 के अनुपात में इक्विटी रखी जाएगी। नई कंपनी का नाम टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसी यूपीएनईडीयू सोलर कंपनी लिमिटेड) रखा गया है यह जेवीपी उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा सोलर पावर विकसित कर प्रचालित करेगी।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

आपकी कंपनी के अवसर एवं चुनौतियां बनाम मजबूती और कमजोरी का विश्लेषणात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है।

(क) मजबूती

- **सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार**

  पहले ही प्रचालनरत दो मेगा जल विद्युत संयंत्रों, दो पवन विद्युत संयंत्रों और हाल ही में प्रारंभ किए गए 24 मेगावाट ढुकवां एसएचपी के बाद एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का समाधान कर लेने पर टीएचडीसीआईएल ने विद्युत सेक्टर में अपनी उपस्थिति और विशेषज्ञता साबित कर दी है। इस महत्वपूर्ण अनुभव ने उत्कृष्ट कोटि की तकनीकी जानकारी दिलाई है और टीएचडीसीआईएल को विद्युत क्षेत्र के अपने प्रतिस्पर्धियों में आपवादिक रूप से सुदृढ़ तकनीकी आधार वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

- **जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरणीय और आर एंड आर जटिल मुद्दों को संभालने की क्षमता**

  टीएचडीसीआईएल अपने क्रियाकलापों का पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम करने का प्रयास करता है। पर्यावरणीय सततता से संबंधित टीएचडीसीआईएल की रणनीति में ऊर्जा और जल का प्रयोग इष्टतम करना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना तथा जैव विविधता का संरक्षण/पुनर्निर्माण करना शामिल है। देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल अपने परियोजना से जुड़े सभी स्थानों पर ई–वेस्ट, कूड़े और गंदगी का निपटान लगातार जिम्मेदारी से कर रही है। टीएचडीसीआईएल ने जैव गैस संयंत्र सीवेज संयंत्र भी स्थापित किया है तथा यहां जल संरक्षण के उपाय पहले से ही हैं।

  टीएचडीसीआईएल ने टिहरी जल विद्युत परिसर के कार्यान्वयन में व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्यान्वित किया था। प्राप्त अनुभव और शिक्षण का कार्यान्वयन वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी में किया जा रहा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण के दौरान और उसके बाद भी टीएचडीसीआईएल का स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अवसंरचना विकसित करने और विभिन्न पहलें कर, स्थानीय लोगों की मदद करने का ट्रैक रिकार्ड रहा है। टीएचडीसीआईएल परियोजना से प्रभावित लोगों को उपयुक्त मुआवजे/आय पैदा करने के स्रोतों की पेशकश कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के प्रति वचनबद्ध है।

- **जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में आपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल**

  हिमालयी क्षेत्र अपनी जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत क्षेत्र ने समय–समय पर टिहरी एचपीपी में भूमिगत ढांचों के बड़े जाल का निर्माण करने में आपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल के अनुप्रयोग की प्रशंसा की है। टिहरी एचपीपी का अनुभव कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। समृद्ध ज्ञान और उपलब्ध जानकारी का वर्तमान में प्रयोग कार्यान्वयनाधीन जल परियोजनाओं में किया जा रहा है।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण**

  टीएचडीसीआईएल ने अपने प्रचालनरत संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल की है। संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने, कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार काम करते हुए टीएचडीसीआईएल प्रभूत विशेषज्ञता प्राप्त की है। इससे बिना रूके तथा सामान्य स्तर से परे विद्युत उत्पादन की उपलब्धता हुई।

  टीएचडीसीआईएल के दो प्रचालनरत जल विद्युत स्टेशनों टिहरी एचपीपी और केएचईपी ने दिनांक 05.04.2020 रात्रि 9.00 बजे **''प्रधानमंत्री के 09 मिनट्स स्विच ऑफ लाइट कॉल''** के दौरान ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने त्वरित जनरेशन रैंप डाउन और अप की सुगम्यता प्रदान की क्योंकि उनके जलाने या बुझाने में बहुत कम समय लगा।

- **स्वचालित संयंत्र निगरानी**

  संयंत्र की निगरानी एससीएडीए (पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अर्जन) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यह एक ऐसी स्वचालित पर्यवेक्षीय प्रणाली है जिसमें आरेखीय प्रयोक्ता अंतरानीक द्वारा समर्थित कप्यूटर एवं नेटवर्क आंकड़े संचार का उपयोग किया जाता है जो कंपनी को इन संयंत्रों के उच्च स्तरीय पर्यवेक्षीय प्रबंधन के लिए इन्हें सक्षम बनाता है।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल**

  टीएचडीसीआईएल के पास अत्यधिक तकनीकी पेशेवर प्रबंधन टीम तथा सहायक स्टाफ की उत्कृष्ट टीम है जिसमें (31.03.2020 को) 1835 कर्मचारी थे।

- **सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन**

  टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। प्रदत्त पूंजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि में कंपनी ने भावी विस्तार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म प्रदान किया है।

- **उच्च कर्मचारी प्रतिधारण दर**

  टीएचडीसीआईएल में अत्यधिक कुशल एवं अनुभवी तथा प्रेरित कर्मचारियों की प्रतिधारण बहुत अधिक है।

ख. कमजोरियां

- डिस्कामों की बकाया देनदारियों के कारण टीएचडीसीआईएल के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- जटिल हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजना होने के कारण भूगर्भीय चुनौतियां आती हैं जिनके परिणामस्वरूप विलंब होता है और समय एवं लागत में बढ़ोत्तरी होती है जिससे प्रशुल्क (टैरिफ) में बढ़ोतरी होती है।
- जल विद्युत परियोजनाओं विकास करने से निर्माणपूर्ण की अवधि में बहुत अधिक समय लगता है।
- दो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं भारी नकदी की कमी वाली उसी एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- संभाव्य अवसरों को प्राप्त करने में विलंब।
- आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां।
- तथा नवाचारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का स्तर कम होना।
- प्राकृतिक संघर्षण। बड़ी संख्या में अनुभवी कार्मिक वर्ष 2022–23 तक सेवानिवृत्ति हो जाएंगे समय से और पर्याप्त भर्ती न होने के कारण ज्ञान का पलायन होता है। उक्त कदम उठाकर इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

ग. अवसर

- **अत्यधिक अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता एवं अस्थिर नवीकरणीय इंजेक्शन का बढ़ता हुआ भागः** भारत में जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभावना है जो अप्रयुक्त है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने से जल–ताप मिश्रण में कमी आ रही है जो ग्रिड पीकिंग सपोर्ट के लिए अधिक पंप स्टोरेज संयंत्र पर बल दे रहा है।
- **अन्य देशों में अवसरः** भारत सरकार की बहु व्यापार निगमन/विस्तार की नीति विभिन्न देशों में लागू होने के कारण भारत के बाहर व्यापार के विकास की भारी संभावना उभरी है विशेषकर नेपाल और भूटान जैसे उन देशों में जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती

है। इसे गति प्रदान करने के लिए टीएचडीसीआईएल अपने विद्युत उत्पादन कौशल का प्रयोग करने की दृष्टि से देख रहा है तथा देश में अपने व्यापारिक विकास को मजबूत करने के लिए अन्य फर्मों के साथ सहयोग कर संभाव्यतायुक्त बाजार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- **रणनीतिक विविधीकरण**

  टीएचडीसीआईएल ने पहले ही भारत में परंपरागत (तापीय)और गैर–परंपरागत (पवन तथा सौर) स्रोतों का विविधीकरण किया है तथा विदेशों में ऐसे ही अवसरों की संभावना तलाश रहा है।

  - **ताप विद्युतः** 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2024–25 तक तैयार हो जाएगा जिसकी वार्षिक क्षमता 9828 मि.यू. है।
  - **पवन विद्युत**– पहले ही 113 मेगावाट की दो पवन विद्युत परियोजनाएं शुरु की जा चुकी हैं। अन्य परियोजनाओं के लिए आगे विचार किया जा रहा है।
  - **सौर विद्युतः** टीएचडीसीआईएल ने कासरगाड, केरल में 50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना 10 वर्ष के ओ. एंड एम. के साथ स्थापित करने का कार्य 8 अगस्त, 19 को मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दे दिया है परियोजना के दिसम्बर, 2020 तक चालू हो जाने का अनुमान है।

  मेगा सोलर पार्कों का विकासः टीएचडीसीआईएल एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यूएमआरईपीपी विकसित करने की प्रक्रिया में है। उत्तर प्रदेश में 74:26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की इक्विटी सहभागिता के साथ जे.वी. कंपनी के गठन को उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच एमओयू पर दिनांक 06.08.2020 को हस्ताक्षर किए गए है। यूएमआरईपीपी द्वारा उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट कुल क्षमता विकसित की जानी है।

  इसके अतिरिक्त टीएचडीसीआईएल राजस्थान राज्य में 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपी के विकास के लिए राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लि. (आरआरईसीएल) के साथ जेवीसी के गठन की प्रक्रिया में है।

  - **अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में विविधीकरणः** पुराने जीर्ण ढलानों को स्थिर बनाने के उपचार में प्रभूत विशेषज्ञता और अनुभव होने के कारण टीएचडीसीआईएल ने अन्य सरकारी संगठनों को विभिन्न परामर्शी और इंजीनियरी समाधान उपलब्ध कराए हैं और अनेक पाइपलाइन में हैं।

घ. चुनौतियां

- **जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगनाः** विद्युत क्षेत्र की सभी कंपनियों को ज्ञात है कि पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के भारत सरकार के कठोर मानदंड और जटिल प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर स्थानीय समुदाय के निहित स्वार्थों के आधार पर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है। भारत सरकार को विभिन्न सांविधिक अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए।

  इसके अतिरिक्त प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई–फ्लो में बड़ी ओर प्रछन्न वृद्धि के जोखिम के कारण, भारी परियोजना व्यय के बाद भी परियोजना छोड़ने का खतरा बना रहता है।

- **भौगोलिक अनिश्चितताएंः** भौगोलिक अनिश्चितताओं के कारण विशेषकर जटिल और तरुण हिमालय क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होता है। समय और लागत में काफी वृद्धि हो जाती है जिससे टैरिफ भी बढ़ जाता है।

- **जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाः** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है। वास्तव में परियोजना उस समय अवार्ड की जानी चाहिए जब सभी सांविधिक अनुमति प्राप्त हो गई हो, 80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण कर ली गई हो।

- **बढ़ती प्राकृतिक आपदाएंः** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए भू–स्खंलन पर्वतीय ढलानों के बह जाने, सड़कों के

अवरूद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे निर्धारित निर्माण अवधि को भारी धक्का लगता है।

- **कुशल कामगारों की कमी की समस्या:** कोविड–19 लाकडाउन के कारण परियोजना में काम कर रहे मजदूरों के बड़ी संख्या अपने मूल निवास स्थानों/गृह नगर चले जाने के कारण कार्यस्थल पर कार्य की गति धीमी हुई है।
- **राज्य डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति:** विद्युत प्रापण, विशेषकर महंगी टाइड अप बिजली की वसूली न हो पाना। तथापि सरकार द्वारा कोविड–19 लाकडाउन के दौरान इस मामले में कुछ कदम उठाए गए हैं/पहलें की गई हैं।
- **जल विद्युत क्षेत्र के ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति:** भारत में जल विद्युत के अनुभवी ठेकेदार बहुत खराब वित्तीय स्थिति में हैं।
- **बाजार की बदलती परिस्थितियां:** सस्ती दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता
- **विनियामक जोखिम:** एक बड़ा जोखिम यह है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक लाभ प्रभावित हो सकते है।

भावी दृष्टिकोण:

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पहचान अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है ताकि सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत के विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है जिसने उद्योग दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया है। सतत आर्थिक विकास के कारण भारत में विद्युत की मांग लगातार जारी है।

सबको 24x7 बिजली उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की पहल, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की योजना के पटरी पर आने की संभावना है, पंप स्टोरेज जल विद्युत ऊर्जा को महत्व प्राप्त होने की संभावना है और यह सिस्टम आपरेटर को भिन्न–भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने का प्रबंधन करेगी। आगामी वर्षों में स्वच्छ पर्यावरण के लिए तापीय परिसंपत्तियां में उत्सर्जन मानकों को पूरा करने तथा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) में निवेश पर नए सिरे से बल दिया जाएगा।

वर्ष 2030 तक भारत सरकार द्वारा 500 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना के साथ कंपनी का भावी दृष्टिकोण कंपनी के सतत विकास को गति देना है जिसके लिए कंपनी को आवश्यकता है:–

- अधिक समय लगाए बिना और अधिक खर्च किए बिना टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और वीपीएचईपी (444 मेगावाट) के निर्माण कार्य में तेजी लाकर उसे पूरा करना।
- निर्धारित अवधि के अनुसार खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) के निर्माण कार्य में तेजी लाकर उसे पूरा करना।
- खुर्जा एसटीपीपी की आवश्यकता के अनुरूप अमेलिया कोयला खदान की शीघ्र ओपनिंग।
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेगा सोलर पार्कों के विकास में तेजी लाना। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों में सोलर पार्कों के विकास की संभावना तलाशना।
- कंपनी की समग्र व्यापारिक विकास गतिविधियों में भारी वृद्धि करना।
- डिस्कामों की बकाया देनदारियों में कमी लाने पर पर्याप्त ध्यान देना।
- भूटान में संकोश एचईपी के विकास के लिए भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार को समझाना।
- भूटान में बुनाखा एचईपी के लिए कार्यान्वयन करार करने हेतु भारत सरकार को समझाना।
- उत्तराखंड तथा देश के अलग–अलग भागों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों की संभावना तलाशना।
- जैव–रणनीतिक पहुंच के लिए भारत सरकार के द्वारा बल दिए जाने के अनुरूप शेष विश्व में व्यापार की संभावनाओं की तलाश करना।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण, समावेश एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण के उपायः

ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंधन उपाय ऊर्जा की चरम और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश की अपेक्षा बेहतर प्रतिफल देता है।

टीएचडीसीआईएल विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास रखती है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गएः–

(i) टीएचडीसीआईएल की सभी टीएचडीसीआईएल इकाइयों में सड़क लाइटों सहित पुराने बल्बों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित टिहरी एवं कोटेश्वर में 90% कार्य पूरा हो गया है।

(ii) टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों को बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और यूपीसीएल द्वारा 0.95 लाख रूपए की ऊर्जा की आपूर्ति अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त नौ माह तक ग्रिड को निर्यात की आपूर्ति करने के लिए दी गई है।

(iv) सभी नए गैर आवासीय परिसरों में एलईडी प्रकाश का प्रावधान हैं।

(v) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है।

(vi) गैर आवासीय भवनों में स्टार रेटिंग के एसी लगाए गए हैं तथा बिना स्टार रेटिंग वाले एसी को पांच स्टार रेटिंग वाले एसी से बदला गया।

(vii) अतिथि गृह के प्रत्येक कमरे में और महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में की फॉब स्विचिंग की गई है। कार्यालय परिसर और अतिथिगृहों में लगभग 576 एसी काम कर रहे हैं, जिसमें से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 500 एसी को स्टार स्तर के एसी में बदला गया। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान शेष एसी को भी स्टार स्तर के एसी में बदले जाने की योजना है।

उद्यान क्षेत्र, कार्यालय और आवासीय क्षेत्र की फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था भी सौर प्रणाली से की गई है। दिन के प्रकाश को समुचित ढंग से प्रयोग करने के लिए सभी नए भवनों में समुचित प्रावधान किए गए हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार तथा हानि में कमी करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रक लगाए गए हैं। उपर्युक्त उपायों को अपनाने से यूनिटों की खपत में 10–13% की कमी आई है। कंपनी अपनी सभी व्यापारिक संस्थापनाओं में एलईडी का उपयोग कर रही है और प्रभावी ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।

ख. तकनीकी नवाचार, अंगीकरण एवं समावेशन

1. मलबा प्रवाह अवरोध

विगत वर्षों में वेयर प्रकार के ढांचों का निर्माण करने के लिए ढलानों पर प्राकृतिक नाले, चैनलों और श्यूटों में गैबियन और आर आर मैशनरी का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है जिन्हें कमजोर ढलान पर लगाया जाता है ताकि मलबा बहाव को शुरुआत में ही सीमित किया जा सके। हाल ही में लचीली संरक्षण प्रणाली प्रौद्यागिकी में एक नई एडवांसमेंट विकसित की गई है ताकि नदियों/प्राकृतिक नालों के रास्तों/छिछले भूस्खंलनों में मलबा बहावों या कीचड़ बहावों के कारण हुए स्थिर और गतिशील भार को सहन किया जा सके जो भारी वर्षा, ग्लेशियर के पिघलने या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के कारण ढलानों पर अत्यधिक पानी आने के कारण घटित होते हैं और इनका परीक्षण किया गया है और विश्व भर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

नदियों के किनारों के बीच नदी के चैनल में लचीली मलबा प्रवाह अवरोध प्रणाली स्थापित की जाती है जिसमें 2 से 6 मीटर (बाजार उपलब्ध) तक की ऊंचाई सहित 15 मीटर मापने की क्षमता (अतिरिक्त पोस्टों सहित 25

मीटर) होती है। सहायता और पार्श्विक रस्सियों द्वारा इस्पात के जाल का स्पैन किया जाता है। इन रस्सियों को एंकर लेंथ सहित किनारों पर एंकर किया जाता है जो जमीन पर भार क्षमता पर निर्भर करता है। प्लास्टिक की विरूपता और इस कारण सभी में उर्जा समामेलित करने वाले तत्व बैरियर प्रणाली में बड़ी प्लास्टिक विरूपता ला देते हैं और इसके प्रभाव के दौरान चरम भार में कमी आ जाती है।

मलबा प्रवाह अवरोध एक स्थल पारंपरिक रूप से निर्मित विशिष्ट प्रणाली है जिसमें कंटेनमेंट मेस, कंप्रेशन ब्रेक सपोर्ट रोप और पोस्ट शामिल होते हैं जो ढलान के भीतर तेजी से बने जल भराव के कारण शुरू हुए मिश्रित सामग्री के अति गतिशील प्रवाह के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस दौरान जमीन अत्यधिक गीली हो चुकी होती है जिसमें लोगों की संपत्ति और अवसंरचना (डेब्रिस फ्लो) को काफी नुकसान हो सकता है। डीएफ अवरोधों को परियोजना के आयामों, प्रत्याशित मलबा सामग्री तथा प्रवाह की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप बनाया जाता है। मलबा प्रवाह द्वारा प्रभाव पड़ने पर डीएफ अवरोधों को कंप्रेशन बैंकों तथा ऊर्जा का अवशोषण करने वाली प्रणाली के द्वारा धीरे–धीरे विरूपित करना चाहिए। प्रवाह के भीतर हाइड्रोस्टेटिक दबाव मलबा प्रवाह को रोक देने पर समाप्त हो जाना चाहिए और मलबे की मात्रा अवरोध के भीतर रह जानी चाहिए। डीएफ अवरोध तैनात कर दिए जाने और मलबा प्रवाह रोक दिए जाने पर मलबा को खाली कर निस्तारण कर दिया जाएगा। पुनः उपयोग या प्रतिस्थापन करने से पूर्व कंप्रेशन ब्रेक बदल दिए जाने चाहिए जब सपोर्ट रोपों तथा कंटेनमेंट केश की जांच की जाएगी।

एसएमवीडीएसबी का तकनीकी परामर्शदाता होने के कारण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री माता वैष्णो देवी के नए ट्रैक के नाला क्रासिंग पर चरण–II के कार्यों में यह प्रणाली प्रस्तावित की गई थी और इसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के नए ट्रैक पर पायनियर इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है।

2. वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली

परियोजना में अब अत्याधुनिक ''वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली'' शामिल की गई है। जलाशय स्तर एवं इसमें जल भरने की मात्रा की छह घंटे पूर्व का अनुमान जारी किया जा रहा है। यह पूर्वानुमान जनव्यापी रूप से उपलब्ध है। कोई भी इसके वेबसाइट के यूआरएल117-239-95-84 के माध्यम से देख सकता है।

इस प्रणाली के प्रथम चरण में टिहरी जल भराव क्षेत्र गंगोत्री तक 11 एडब्ल्यूएस (ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन) एवं 4 ऑटोमैटिक नदी स्तर एवं डिस्चार्ज रडार सेंसर संस्थापित किए गए हैं। बारिश, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति, सौर संवहन और वायुमंडलीय दबाव आंकड़े आटोमैटिक सेंसरों के जरिए एकत्र किए जाते हैं और डाटा लॉग में एकत्र किए जाते हैं। बांध के ऊपर स्थित अर्थ स्टेशन को जीपीआरएस/जीपीएस प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को आईआईटी, रूड़की एवं टीएचडीसी, ऋषिकेश के डिजाईन विभाग में स्थित मॉडलिंग केंद्रों द्वारा प्रदत्त वेबसाइट के माध्यम से देखा जाता है। इनको संसाधित करने और मॉडलिंग के बाद पूर्वानुमान जारी किया जाता है और प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग प्राधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। जब जलाशय का स्तर एफआरएल के पास होता है तो इससे उस समय की जानकारी मिलती है जिससे बांध प्राधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं। उन स्थानों पर जल को फैलाकर 2 से 3 मीटर कंजर्वेशन स्थान को बाढ़ स्थान में और विलोमतः परिवर्तित किया जा सकता है। लीड टाइम सूचना का उपयोग कर अतिरिक्त ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

दूसरे चरण में कुछ और एडब्ल्यूएस और स्वचालित नदी स्तर और डिस्चार्ज सेंसर संस्थापित किए जाएंगे। जहां मोबाइल सिग्नल उपलब्ध नहीं हैं, वहां वीएसएटी प्रौद्योगिकी के ज़रिये आंकड़े प्रेषित किए जायेंगे। फोरकास्ट प्रेसीपिटेशन माडल का उपयोग बढ़ाया जाएगा और 12, 24 तथा 48 घंटे पूर्व पूर्वानुमान प्रकाशित किया जाएगा।

3. डिजिटल एलीवेशन मॉडल (डीईएम)

डिजिटल एलीवेशन मॉडल (डीईएम), संख्यात्मक आंकड़ों की फाइल है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की भूमि की सतह पर किसी निर्धारित ग्रिड अंतराल की भौगोलिक सतह का एलीवेशन शामिल होता है। डीईएम का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे जलीय, मॉडलिंग, रेल, सिविल

इंजीनियरिंग, व्यापक स्तर के मानचित्रण एवं दूरसंचार में भूमि की सतह को दर्शाने के उपकरण के रूप में किया जाता है।

बोकांग बैलिंग एचपीपी में जहां पर पहुंच सीमित है। इस स्थान पर क्षेत्र का सर्वेक्षण डिजिटल एलीवेशन मॉडल का उपयोग करके 15 मी. की सटीकता के साथ किया गया है।

4. सेल्फ ड्रिलिंग राक एंकर (एसडीआरए)

काफी समय से रोक एंकरों/बोल्टों का उपयोग सुरंगों, ढालों में खुदाई को सहारा देने/स्थिरता प्रदान करने या स्थायी प्रतिधारण दीवारों या बुनियाद पर उठाने वाली शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम केस्ड या अनकेस्ड ड्रिलिंग प्रणाली के साथ संस्थापित किया जाता है जिससे सतह पर बोरहोल बनाया जा सके जिसमें सहारा देने/स्थिर बनाने के लिए एंकर घटक (बार या स्ट्रैड) अंतःस्थापित किए जाएं और उसके बाद ग्राउट किए जाएं।

हाल ही में "सेल्फ ड्रिलिंग राक एंकर्स" रिइनफोर्समेंट प्रणाली सहारा देने/स्थिर बनाने के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है क्योंकि यह सिस्टम ढीले और अत्यधिक भार से लदे और क्षतिग्रस्त चट्टानों की सतहों के लिए उपयुक्त होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों का बुनियादी अनुप्रयोग मृदा/चट्टान की स्थितियों के अंतर्गत संस्थापन होता है जिसमें ड्रिल बिट के खिंचने के कारण ड्रिल होल के धराशायी होने का खतरा नहीं होता जैसा कि एंकर संस्थापन प्रक्रिया की पूर्व प्रक्रिया में होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों को पुराने रॉड एंकरों (कंपलिंग नटों से जुड़े) से अधिक लंबाई में संस्थापित किया जा सकता है। सेल्फ–ड्रिलिंग तकनीक में रिइनफोर्समेंट के प्लेसमेंट के साथ एकल पास में फंसाना होता जिसमें ग्राउंड स्थितियों में केसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती जिसमें बोरहोलों के धराशायी होने का खतरा रहता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकर में सेक्रीफाइसल ड्रिलबिट समुचित बाहरी और भीतरी व्यास का खोखला स्टील बार और कंपलिंग नट होते हैं।

एंकर बाडी खोखली स्टील ट्यूब की बनी होती है जिसके बाहरी हिस्से में राउंड थ्रेड होता है। स्टील, ट्यूब में एक सिरे पर होता है और समनुरुपी नट स्टील एंड वाली प्लेट में होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि खोखली स्टील बार (रॉड) के शीर्ष पर समनुरुपी सैक्रीफाइसल ड्रिल बिट होता है न कि क्लासिक ड्रिल बिट। खोखला स्टील बार, रोटरी पर कर्सिव ड्रिलिंग के माध्यम से आवश्यक गहराई तक चालित किया जाता है। खोखले स्टील बार के जरिए सीमेंट ग्राउट का इंजेक्शन बढ़ाया जाता है। इंजेक्शन का मिश्रण सेक्रीफाइसल ड्रिल बिट के होल तक बहता है और वेधित छेद (होल) को स्वतः स्थिर बना देता है। 2.0, 3.0 या 4.0 मीटर की मानक लंबाई के सेक्शन एसडीआर में उपलब्ध है। खोखले स्टील बारों के मानक बाहरी व्यास 30.0 मि.मी. से 127.0 मि.मी. के बीच होता है। यदि आवश्यक हो तो खोखले स्टील बारों को कपलिंग नटों के साथ जारी रखा जाता है। मृदा या राक मास की प्रकृति के आधार पर भिन्न–भिन्न प्रकार के सेक्रीफाइसल ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। **समान क्रास सेक्शनल क्षेत्र वाले सालिड बार की अपेक्षा खोखला स्टील बार बेहतर होता है क्योंकि बकलिंग, परिधि (बांड एरिया) और बेंडिंग स्टिफनेस की दृष्टि से इसकी बेहतर संरचनात्मक प्रकृति होती है। समान स्टील की मात्र (सामग्री की लागत) के लिए अधिक बकलिंग और फ्लेक्सुरल स्थिरता आती है।**

इस सिस्टम का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड का परामर्शदाता होने के कारण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजभवन, नैनीताल के कमजोर ढालों पर कार्य के प्रथम चरण के दौरान किया गया था और इसे सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिया गया है।

5. ईपीवी के साथ डबल शील्ड यूनिवर्सल टीबीएम

444 मेगावाट की रन आफ द रिवर परियोजना विष्णुगाड, पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में पानी बहा कर ले जाने के लिए 16.4 कि.मी. लंबी सुरंग की परिकल्पना की गई है। वाटर कंडक्टर सिस्टम में 13.4 कि.मी.लंबी हेड रेस सुरंग (एचआरटी) और 3 कि.मी. लंबी टेल रेस सुरंग है। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का प्रयोग कर मैकेनाइज्ड टनलिंग के जरिए 8.8 मी. व्यास (अंतिम रूप से) एचआरटी का निर्माण करने के बारे में परिकल्पना की गई है।

हिमालय स्थित परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अद्वितीय टीबीएम की परिकल्पना की गई है। चयनित टीबीएम

परंपरागत डबल शील्ड यूनिवर्सल (डीएसयू) की तुलना में सृजनात्मक इंप्रोवाइजेशन है और सुरंग के मुहाने पर कमजोर चट्टानों की संरचना से पृथ्वी के दबाव से निपटने के लिए इसमें विशेष प्रबंध है। इसी प्रकार की टीबीएम का सफल प्रयोग इथोपिया के बेलेस परियोजना में किया गया था जहां टीबीएम को कहीं बहुत कठोर चट्टान और कहीं संकरी ढीली ढाली जमीन वाली अलग–अलग प्रकार की भू–गर्भों से गुजरना पड़ा।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के टीबीएम की डिजाइन प्रौद्योगिकी में एक और कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसे निम्नलिखित के लिए तैयार किया गया है।

- अच्छी और बहुत कठोर चट्टान में आउटफार्म
- प्रचालनात्मक परिवर्तन के लिए संशोधन या अतिरिक्त सहायक समय की आवश्यकता के बिना डबल शील्ड मोड से सिंगल शील्ड मोड में जाना।
- पृथ्वी के दबाव को संतुलित करने वाली स्थितियों में भी विशेषकर विस्तारित बोर कैपेसिटी और मुहाने के सामने स्तरों का पता लगा कर उपचार करने के संबंध डीएसयूटीबीएम के खास लाभ को बनाए रखना।

उपरोक्त आयातित प्रौद्योगिकी का आमेलन हेड रेस टनल के बड़े हिस्से के पूरा हो जाने पर किया जाएगा।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	29	129
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	181	306
	ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान	4657	4539
	वस्तुओं का आयात	5731	3417
	सम्मेलन के लिए नामांकन	0	3
	कुल	**10598**	**8394**
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	5957	3520
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	0	25
	कुल	**3545**	**3545**
घ	**खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित **(₹ लाख में)**	2	27
	(%)	0.25	4.89
ii)	स्वदेशी **(₹ लाख में)**	700	532
	(%)	99.88	95.11
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
2019-20

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2019–20

खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

कंपनी के विवरण

1.	कंपनी का नाम	: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
2.	पंजीकरण का वर्ष	: 1988
3.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	: यू45203यूआर1988जीओआई009822
4.	पंजीकृत पता	: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
5.	वेबसाइट	: www.thdc.co.in
6.	दूरभाष संख्या	: 0135-2473224
7.	ई मेल आई डी	: cmd@thdc.co.in
8.	जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है	: 2019-20

उत्पाद/सेवाएं

9. जिस सेक्टर/जिन सेक्टरों के साथ कंपनी जुड़ी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार) : विद्युत

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

**राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार*

10. विनिर्मित वस्तुएं/प्रदान की गई सेवाएं (राजस्व के अनुसार प्रथम तीन)

i. जल विद्युत
ii. पवन विद्युत
iii. अभियांत्रिकी परामर्श

11. स्वामित्व वाले ब्रांड (बाजार के संबंधित द्वारा पहले पांच) तथा प्राप्त राजस्व का प्रतिशत

टीएचडीसीआईएल बिजली के उत्पादन में संलग्न है। बिजली की आपूर्ति राज्यों की वितरण कंपनियों (डिस्काम) को की जाती है। कोई ब्रांड नहीं है।

प्रचालन

12. बड़े प्रचालन कार्यालयों की अवस्थिति

क्र. सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं /गतिविधि
1.	कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश	देहरादून	उत्तराखंड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाएं
2.	एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	थर्मल डिजाइन तथा विद्युत मंत्रालय के साथ संपर्क
3.	पंजीकृत कार्यालय, भागीरथीपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	टिहरी एचपीपी (1000 मे.वा.), टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)

4.	परियोजना कार्यालय, कोटेश्वरपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)
5.	नई परियोजना कार्यालय, न्यू टिहरी टाउन (एनटीटी)	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	नई परियोजनाएं– झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.), बोकांग बेलिंग एचईपी (200 मे.वा.)
6.	परियोजना कार्यालय, अलकनंदा पुरम, विष्णुगाड पीपलकोटी	चमोली	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.)
7.	समन्वय कार्यालय, देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	राज्य सरकार एवं आर एंड आर कार्य के लिए समन्वय
8.	परियोजना कार्यालय, खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मे.वा.)
9.	परियोजना कार्यालय, जोशीमठ	चमोली	उत्तराखंड	झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.)
10.	परियोजना कार्यालय, धारचुला	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	बोकांग बेलिंग एचईपी (200 मे.वा.)
11.	संपर्क कार्यालय, पंचकुला	पंचकुला	हरियाणा	चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ जनसंपर्क
12.	संपर्क कार्यालय, नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	माननीय उच्च न्यायलय, उत्तराखंड में न्यायिक मामले
13.	संपर्क कार्यालय, लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.) तथा उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क
14.	परियोजना कार्यालय, बबीना	झांसी	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.)
15.	परियोजना कार्यालय, राधनपुर	पाटन	गुजरात	पाटन पवन विद्युत फार्म (50 मे.वा.)
16.	परियोजना कार्यालय कासरगाड	कासरगाड	केरल	कासरगाड सौर ऊर्जा परियोजना (50 मेगावाट)
17.	परियोजना कार्यालय, देवभूमि द्वारका	देवभूमि द्वारका	गुजरात	देवभूमि द्वारका पवन विद्युत फार्म (63 मे.वा.)
18.	ट्रांज़िट कैंप, एनबीसीसी टॉवर	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संपर्क
19.	परामर्शी कार्यालय, कटरा	रियासी	जम्मू–कश्मीर	कटरा तथा वैष्णो देवी के बीच ढलान स्थिरीकरण के लिए परामर्श
20.	परियोजना कार्यालय वैधान	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	अमेलिया कोयला खान

कर्मचारी

13. स्थायी कर्मचारियों की संख्याः 1835

14. संविदा पर रखे गए कर्मचारी (सीजनल, नॉन सीजनल): (दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार) 3206

15. अस्थायी कर्मचारीः शून्य

16. महिलाओं का प्रतिशतः

(क) सुशासन ढांचे मेंः शून्य

(ख) शीर्ष प्रबंधन अर्थात व्यापार और प्रकार्य प्रमुखः शून्य

संबद्ध संस्थाए

17. सहायक/ एसोसिएट कंपनियों के नामः शून्य

18. अपने सीएसआर एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले न्यास/सोसाइटी/सेक्शन–8 कंपनी का ब्यौरा

क. **नामः** 1. सेवा–टीएचडीसी और 2. टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी (टीईएस)

ख. **संगठन का स्वरुप (न्यास, सोसाइटी कंपनी) और स्थापना वर्षः** सेवा–टीएचडीसी ओर टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी, दोनों क्रमशः वर्ष 2009 और 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अंतर्गत पंजीकृत प्रायोजित सोसाइटियां है

ग. **मुख्य उद्देश्य/प्रयोजनः** सेवा–टीएचडीसी का मुख्य उद्देश्य/प्रयोजन टीएचडीसी की अनुमोदित वार्षिक सीएसआर योजना का कार्यान्वयन करना है।

टीईएस का मुख्य उद्देश्य/प्रयोजन समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए दो स्कूल (एक प्रगतिपुरम, ऋषिकेश और दूसरा भागीरथीपुरम, टिहरी में) चलाना।

घ. **आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि तथा निधियों के स्रोतः**

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	स्रोत	राशि
1	सेवा–टीएचडीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	₹ 21.48 करोड़
2	टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी	सेवा–टीएचडीसी	₹ 4.65 करोड़

19- इस परियोजना के नोडल अधिकारी के संपर्क सूत्र (नाम, पदनाम, ई–मेल, आई डी, दूरभाष संख्या)

श्री मनोज कुमार त्यागी
उप महाप्रबंधक (सीपी)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, बाई पास रोड,
ऋषिकेश (उत्तराखंड)
ई–मेल : thdccprksh@gmail.com
दूरभाष सं.: 0135–2473447

खंड ख. प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन

इस खंड का उद्देश्य व्यापार में मदद करना, सिद्धांतों और मूलभूत तत्वों को अंगीकार करने के लिए मौजूद संरचनाओं नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना है।

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रिया										
1.	नीति/नीतियों के नाम जिसमें प्रत्येक सिद्धांत शामिल होता है	कृपया नीचे सारणी 1 देखें								
2.	सिद्धांत से जुड़े मूलभूत तत्व जो नीति/नीतियों के अंतर्गत आते हैं									
3.	दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के रूप में परिवर्तित प्रत्येक सिद्धांत से जुड़ी नीति/नीतियां									
4.	प्रत्येक सिद्धांत से जुड़ी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आबंटित जनशक्ति, आयोजना और वित्तीय स्रोतों की सीमा	प्रत्येक सिद्धांत से जुड़ी सभी नीतियां (जैसा कि सारणी 1 में परिभाषित है) टीएचडीसीआईएल में भली–भांति कार्यान्वित की जाती है। टीएचडीआईएल की सभी एचआर नीतियां विभिन्न स्टेशनों, परियोजनाओं, कार्यालयों में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।								
5.	विभिन्न सिद्धांतों के लिए अपनाई गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड तथा मानक	सरकारी कंपनी होने के नाते टीएचडीसीआईएल, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए मार्गदर्शन, प्रक्रियाओं और नीतियों द्वारा सुशासित होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के विजन और व्यापार के बदलते माहौल को देखते हुए टीएचडीसीआईएल सतत व्यापारिक एजेंडा विकसित करने के लिए अपनी व्यापारिक नीतियों और परिपाटियों की लगातार समीक्षा करती है। ऐसी नीतियों को तैयार करते समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित उद्योग से जुड़ी प्रथाओं/मानकों को ध्यान में रखा जाता है।								
सुशासन, नेतृत्व और चूक										
6.	उपरोक्त नीतियों के नाम जिन्हें बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है	• आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचरण और नैतिक संहिता • सूचना प्रदाता नीति • सुरक्षा नीति • सीएसआर और सततता नीति • एचआर नीतियां • पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति • विजन और मिशन • पर्यावरण नीति • सीएसआर संचार की रणनीति								

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
सुशासन, नेतृत्व एवं निरीक्षण										
7.	बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की समिति / समितियों के नाम तथा नीति एवं नीतियों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए प्रक्रियायें	कृपया (नीचे) सारणी–1 देखें								
8.	उपरोक्त नीतियों और समाहित करने वाली सूचनाओं के लिए निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड / शीर्ष प्रबंधन की प्रक्रिया	बोर्ड के नेतृत्व में संबंधित रणनीतियां, नीतियां और प्रक्रियायें स्थापित की जाती हैं। प्रकार्य विशिष्ट समितियां बोर्ड की सहायता करती हैं। कंपनी सचिव, बोर्ड स्तर की सभी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है। हितधारक के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को संगत सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। विशिष्ट मुद्दों और विभिन्न मुद्दों के समीचीन समाधान पर पर्याप्त बल देना सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा समिति नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति जैसी अनेक समितियां बोर्ड के अंतर्गत गठित की गई हैं। समितियों के लिए उनके कार्यक्षेत्र के लिए विशिष्ट किसी लंबे समय तक चलने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और उसका समाधान करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करना आवश्यक है।								
9.	सिद्धांतों के लिए प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा करने तथा किसी प्रकार के गैर–अनुपालन को दुरुस्त करने के लिए बोर्ड / शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रक्रिया	निष्ठा और पारदर्शिता को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक व्यापारिक गतिविधि में मूल मान्यता स्वीकार किया जाता है। व्यापार के प्रत्येक पक्ष में ईमानदारी और निष्ठा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना लागू नियमों और विनियमों का अनुसरण करते हुए काम करने के प्रति प्रबल प्रतिबद्धता है। टीएचडीसीआईएल के लिए कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य का माहौल एक पूर्व आवश्यकता है। हमारा नेतृत्व करने वाले विजन स्थापित करते हैं, सुरक्षा की मूल मान्यताओं को संप्रेषित करते हैं, उपकरण और संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, जनशक्ति का नियोजन करते हैं, प्रगति की निगरानी करते हैं, परिवर्तन को अंगीकार करते है, और कार्य की संपन्नता को मान्यता देते हैं। सभी प्रचालनों में सभी संविधि और स्थापित नीतियों से जुड़ी अन्य लागू आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विभाग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है। बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल को जिससे अवगत कराया जाता है।								
10.	बोर्ड / शीर्ष प्रबंधन द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और मूल तत्वों के साथ व्यापार के जुड़ाव की समीक्षा की आवृत्ति	अनेक सिद्धांत और मूल तत्व निष्पादन कंपनी के रोजमर्रा के प्रचालनों के अभिन्न अंग हैं और संबंधित व्यापार की अभिन्न मद के रूप में बोर्ड / बोर्ड स्तर की समितियों द्वारा उनकी छमाही समीक्षा की जाती है।								

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
हितधारक का नियोजन										
11.	आपके व्यापार के प्रमुख हितधारकों की पहचान करने की प्रक्रिया का विवरण	हम समय–समय पर अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान करते हैं। हितधारकों का आंकलन इशू में उनकी रूचि के स्तर के आधार और उनके द्वारा छोड़े जाने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। हम प्रत्येक हितधारक समूह के लिए अपनाए जाने वाले नियोजन स्तर और तौर–तरीके का निर्धारण करते हैं। सभी चिन्हित हितधारक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अलग–अलग सीमा तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रचालनों को प्रभावित करते हैं। प्रभावी नियोजन सुनिश्चित करने के लिए हितधारक को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अंतरिक और बाह्य जिसका आधार यह होता है कि कंपनी का हितधारक समूह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है।								
12.	सिद्धांत के आधार पर हितधारकों को नियोजित करने की प्रक्रिया का विवरण	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विभिन्न चैनलों के माध्यम से हितधारियों की चिंताओं को समझ कर उनका समाधान करने के लिए अवैध और औपचारिक प्लेटफार्मों का उपयोग व्यापक हितधारक नियोजन प्रक्रिया चलाता है ताकि उनके साथ मजबूत, नियोजनकारी और लाभग्राही साझेदारी बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। व्यापार की सफलता के लिए हितधारकों के साथ लगातार संवाद जरूरी है क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया से पता चलाता है कि हितधारकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारी हितधारक नियोजन प्रक्रिया हमें उन बाहरी और आंतरिक हितधारकों की पहचान करने में समर्थ बनाती है जो हमारे व्यापारिक प्रचालनों से प्रभावित होते है और हमारे व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। हितधारकों की इस प्रकार की पहचान से हितधारकों की समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, हमारे हितधारकों के साथ संप्रेषण और साझेदारी हमारी मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करें और उसे बनाए रखें। आंतरिक और बाहरी हितधारकों के नियोजन से हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के नए स्रोतों की पहचान करने में भी मदद मिलती है जिससे व्यापार के लिए एक नई जोखिम प्रोफाइल बनती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित जोखिम हमें वार्षिक महत्व के आंकलन के लिए आवश्यक प्रतिपुष्टि (इनपुट) प्राप्त होती है। इस प्रकार, हितधारकों को नियोजन करना व्यापार की दृष्टि से समझदारी पूर्ण कदम होता है क्योंकि इससे कंपनी को भविष्य में जोखिम के विरूद्ध प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। **हितधारकों को नियोजित करने का तरीका** • **ग्राहक:** बी2 बी साझेदारों के साथ विद्युत खरीद करार नियमित/आवधिक बैठकें तथा बाहरी हितधारकों के साथ बैठक द्वारा भी । • **समुदाय:** सीएसआर कार्यक्रमों और एचआर विभागों के माध्यमों से कार्य से जुड़े केन्द्रों पर सीधा नियोजन • **व्यापारिक साझेदार/ठेकेदार/वेंडर:** वेंडर मीट, व्यापारिक साझेदार मीट, बोली से पूर्व सम्मेलनों और बाहरी हितधारकों की मीट के माध्यम से भी। • **कर्मचारी:** कर्मचारियों के वेब पोर्टल तथा आंतरिक हितधारकों की मीट द्वारा भी। • **यूनियन और एसोसिएशन:** यूनियन और एसोसिएशनों की बैठकें								

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		• **विनायमक निकाय:** प्रशासनिक मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, डीपीई आदि के साथ बैठक तथा बाहरी हितधारकों के साथ मीट के माध्यम से भी संरचित नियोजन। • **शेयरधारक:** एजीएम; कारपोरेट वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति/प्रेस सम्मेलन								
13.	कमजोर और हाशिए पर जा चुके हितधारकों के समूह की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का विवरण	हितधारक का नियोजन एक सतत प्रक्रिया और सीएसआर और सततता परियोजनाओं की आयोजना और चयन के स्तर पर महत्वपूर्ण है। टीएचडीसी आईएल में हितधारकों की ऐसी सूची है जो नागरिक चार्टर में शामिल है। चूंकि टीएचडीसी अपनी गतिविधियों और भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है इसलिए बदलती जरूरतों के अधार पर मुख्य हितधारकों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण की जरूरत बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, भिन्न–भिन्न हितधारक भिन्न–भिन्न तरीके से भिन्न हितधारकों और इसकी गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकेंगे और अलग–अलग रूप में संगठन द्वारा प्रभावित होंगे। इसलिए कमजोर और हाशिए पर गए हितधारकों की पहचान करने के लिए आंतरिक हितधारकों के लक्षित समूह को हितधारकों की एक सूची उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे संगठन पर हितधारक समूह के प्रभाव, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक पक्ष संबंधी हितधारक समूह पर हां/नहीं फार्म में अपना मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) दे सकें। आंतरिक हितधारकों द्वारा आंकलन और ''मूल्यांकन फीड–बैक'' के आधार पर कमजोर और हाशिए पर पहुंचे हित धारकों की सूची तैयार की जाती है।								
14.	कमजोर और हाशिए पर जा चुके हितधारकों के संबंध में सिद्धांत अपनाने के प्रभाव और समावेशिता से जुड़े मुद्दों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का विवरण	हितधारकों का नियोजन सततता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि सभी हितधारक अपने प्रयासों को संगठन की सीएसआर और सततता प्रयासों के साथ सहयोग करने के लिए सुग्राही बनाएं। आंतरिक हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए एस एंड ई विभाग के विभागाध्यक्ष विभिन्न स्तरों पर अर्थात कारपोरेट स्तर एचओडी/एचओपीआर और विभाग के स्तर पर बैठकें आयोजित करता है ताकि सुधार के दृष्टिकोण/क्षेत्र समझे जा सकें। इसी प्रकार, कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश तथा परियोजना के अन्य स्तरों पर सीएसआर और सततता को समर्पित एक दिवसीय सत्र समाज के लक्षित समूहों के लिए आयोजित किया जाता है ताकि उनके मत/आकांक्षा/सुधार के क्षेत्र को समझा जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त टीएचडीसी विभिन्न हस्तक्षेप स्थलों पर बेसलाइन/जरूरतों का मूल्यांकन करता है ताकि प्रमुख मांगों के साथ बेहतर ढंग से सुप्रवाही बनाया जा सके। सीएसआर गतिविधियों का प्रभाव मूल्यांकन प्रत्येक परियोजना चक्र का अभिन्न पहलू होता है। टीएचडीसीआईएल तीसरे पक्ष के द्वारा 5 लाख से ऊपर की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आंकलन करता है ताकि परियोजना के कार्यान्वयन, कार्यकुशलता और प्राप्त किए गए लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। पारदर्शिता के लिए अवार्ड की गई सभी परियोजनाओं को बजट प्रावधान और समनुरूपी व्यय के ब्यौरो और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टो को जनता को जानकारी और फीड बैक देने के लिए टीएचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।								

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संचार										
15.	आपकी नीतियों, प्रक्रियाओं, निर्णयों के प्रभाव तथा उनको प्रभावित करने वाले निष्पादन को हितधारकों को संसूचित करने की प्रक्रिया का विवरण	नीतियों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और निष्पादन के प्रभाव को वार्षिक रिपोर्टों और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों, संचार रणनीति और अन्य ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से हितधारिकों को संसूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नीतियां कंपनी की वेबसाइट इन्ट्रानेट पर अपलोड की जाती हैं और मैनुअलों के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक वर्ष सीएसआर और सतत परियोजनाओं/गतिविधियों से जुड़ी 11 बैठकें प्रमुख हितधारकों के साथ आयोजित की जाती है जिनमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार और या जिला/स्थानीय प्रशासन और/या विभिन्न स्थानों के स्थानीय प्रतिनिधि भाग लेते हैं । इन बैठकों में शुरु की गई परियोजना/गतिविधि के संबंध में प्रस्तुतीकरण तथा प्रभाव मूल्यांकन निष्कर्ष दिए जाते हैं तथा हितधारक की आकांक्षाएं और फीडबैक भी प्राप्त किए है ताकि नई परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में उनकी आशाएं पूरी की जा सकें तथा आगे और सुधार लाया जा सके। सूचनाओं के और प्रसारण तथा हितधारक के नियोजन के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान शुरु की गई सीएसआर परियोजनाओं, बजट परिव्यय और समनुरुपी व्यय तथा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों के ब्यौरे सीएसआर शीर्ष के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।								
16.	इस आशय का विवरण देना कि कैसे व्यापारिक समुदाय हितधारकों के नियोजन को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में संसूचित करता है।	नीतियों को भी कंपनी की वेबसाईट, इंट्रानेट पर डाला जाता है तथा मैनुअलों के माध्यम से भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्टें टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। एक वार्षिक सततता रिपोर्ट और शुरु की गई। सीएसआर गतिविधियों के संबंध में एक अध्याय तथा प्राप्त परिणाम कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे आगे डिजिटल रूप में प्रमुख हितधारकों को अग्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर और सततता पर लेख/ रिर्पोर्टे/सफलता की कहानियां गृह पत्रिका 'गंगावाणम्' और 'पहल' में प्रकाशित की जाती हैं। नियोजित की गई अवार्ड की गई सीएसआर परियोजनाएं और कार्यान्वयन के बाद का उनका प्रभाव/मूल्यांकन रिपोर्टें, जिन्हें तृतीय पक्ष के मूल्यांकन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की लघु फिल्मों/पोस्टर/बैनर भी विभिन्न व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए जाते हैं। टीएचडीसीआईएल, अवार्ड समारोह और सेमिनार जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की तलाश करता है ताकि दर्शकों के विविध वर्गों के साथ अपने सीएसआर प्रयासों और विश्वसनीय कार्यक्रमों को साझा कर सके।								
17.	इन दिशानिर्देशों की तुलना में संगत हितधारकों को निष्पादन को संसूचित करने की प्रक्रिया का विवरण	सभी 09 सिद्धांतों पर टीएचडीसीआईएल के निष्पादन को शामिल करते हुए व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट वर्ष 2013–14 से टीएचडीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है हितधारकों के लिए संगत प्रत्येक सिद्धांत पर हितधारकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि प्रत्येक सिद्धांत पर टीएचडीसीआईएल के निष्पादन का प्रसार किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके। टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से वार्षिक सततता रिपोर्टें प्रकाशित करता है। सततता रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यापारिक आचरण की तुलना में टीएचडीसीआईएल के आर्थिक, वित्तीय और पर्यावरणीय निष्पादन शामिल किए जाते हैं।								

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
18.	प्रकटनों ओर रिपोर्टिंग से व्यापार निष्पादन/रणनीति में सुधार लाने में किस प्रकार मदद मिली, इस पर नोट	प्रकटनों और रिपोर्टिंग से व्यापार निष्पादन/रणनीति में सुधार लाने में निम्नलिखित प्रकार से मदद मिली। • यह हितधारकों की जरूरतों की पहचान में मदद करती है। • यह समकक्ष समूहों और दिशानिर्देशों के साथ व्यापारिक निष्पादन की बेंचमार्किंग में मदद करती है। • यह हितधारकों के साथ बेहतर नियोजन में मदद करती है। • यह हितधारकों के साथ संवाद के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाती है।								

तालिका–1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/नीतियां	उत्तरदायी निदेशक/निदेशकगण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार– नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित व सुशासित किए जाएं	• विजन, मिशन और मूल्य • आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचार और नैतिकता • सीडीए नियम • सूचना प्रदाता नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सतत और सुरक्षित हों।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति ओएचएसएएस 18001:2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यापार द्वारा वैल्यूचैन में आने वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	मानव संसाधन (एचआर) नीतियां प्लेसमेंट एवं स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यापार द्वारा सभी हितधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन व मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यापार द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मूल्य मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक / निदेशकगण
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यापार द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001–2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यापार, जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी और पारदर्शी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	• आचार संहिता • मूल मान्यता	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यापार द्वारा समावेशी विकास तथा समता मूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।	सीएसआर सततता नीति सीएसआर संचार नीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों को उत्तरदायी रुप में महत्व देना चाहिए	सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिन्हित किए गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। तथापि टीएचडीसीआईएल का मानना है कि सिद्धांत–9 के संबंध में पृथक नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल, लाभार्थियों (बल्क उपभोक्ताओं) को बिजली की आपूर्ति करती है जिसमें अधिकांश की मालिक संबंधित राज्य सरकारें होती हैं। • कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली का आबंटन किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण सभी हितधारकों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्णय टीएचडीसीआईएल और लाभग्राही राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति से लिया जाता है। • यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंच पर उसके संबंध में विचार कर समाधान किया जाता है जिसके सदस्य ग्राहक संगठन और उत्पादक होते हैं। • ग्राहकों की जरुरतों तथा उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे अलग से प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है।	

खंड गः सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटन

इस खंड का उद्देश्य व्यापार को मदद पहुंचाना, प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूलभूत मान्यताओं को समेकित करने में उनका निष्पादन प्रदर्शित करना है। अपेक्षा की गई सूचना को 'आवश्यक' और नेतृत्व के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। जबकि, आवश्यक स्तर की अपेक्षा उस प्रत्येक व्यापार से की जाती है जिन्होंने इन दिशानिर्देशों को अपनाया है। नेतृत्व स्तर उन व्यापारों से अपेक्षित है जो सामाजिक रूप से, पर्यावरणात्मक रूप से और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की तलाश में उच्चतर स्तर तक प्रगति करने की आशा करते हैं।

सिद्धांत–1

आवश्यक संकेतक

1. **सुशासन संरचना/शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिशानिर्देशों के मूल तत्वों और सभी सिद्धांतों के आधार पर व्यापार निष्पादन की पिछली समीक्षा का माह/वर्ष**

   पिछली समीक्षाः सितम्बर, 2019

   छमाही और वार्षिक आधार पर समीक्षा की गई

2. **व्यापारिक उत्तरदायित्व की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा नेतृत्व टीम की कवरेज का प्रतिशत**

   शून्य

3. **वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों का प्रतिशत (मूल्य द्वारा)**

   क. क्या दिशानिर्देशों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किया गया है।

   टीएचडीसीआईएल द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया

   ख. क्या जिम्मेदार/सतत व्यापारिक नीतियां मौजूद हैं?

   टेंडर देने से पूर्व के स्तरों के दौरान सरकारी मानकों के आधार पर सभी आपूर्तिकर्ताओं/वितरकों का व्यापारिक विश्लेषण किया जाता है और केवल विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं/ वितरकों को निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

4. **वर्ष के दौरान हितधारकों के साथ कितनी बैठकें/संवाद आयोजित किए गए?**

   वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 30 बैठकें/ संवाद आयोजित किए गए।

5. **वर्ष के दौरान निम्नलिखित से एनजीआरबीसी के किसी पहलू पर प्राप्त शिकायतों की संख्या**

   क. शेयरहोल्डर/निवेशक– शून्य

   ख. देनदार– शून्य

6. **वर्ष के अंत में उपरोक्त शिकायतों की संख्या कितनी है जिनका समाधान लंबित है**

   लागू नहीं

7. **वर्ष के दौरान विनियामक और न्यायिक संस्थाओं द्वारा आपके व्यापार पर अधिरोपित अविवादित अर्थदंड/शास्तियों का मूल्य**

   वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान टीएचडीसीआईएल पर कोई अर्थदंड/शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।

8. **वर्ष के दौरान पंजीकृत भ्रष्टाचार के मामलों/शिकायतों और हितों के संघर्ष से जुड़े मामलों की संख्या**

   वर्ष के दौरान कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 32 शिकायतों में से 06 शिकायतें आगे और जांच के लिए पंजीकृत की गई जो कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य के संबंध में चिकित्सीय उपचार के लिए गैर सरकारी डाक्टर से ईलाज करवाने के बारे में गलत हकदारी, टीएचडीसीआईएल के पट्टा नियमों का अनुपालन किए बिना पट्टा सुविधा प्राप्त करने, रिश्वत की मांग और मासिक बिल के भुगतान में देरी, टेंडर में सबसे कम बोली उद्धृत करने वाली फर्म को अस्वीकार कर दूसरी फर्म का पक्ष लेने, सरकारी धन का दुरुपयोग/ व्यक्तिगत प्रयोग करने और टिहरी परियोजना में वाहनों को किराए पर लेने में अनियमितताओं से जुड़ी थीं। सीवीसी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए शेष शिकायतें फाइल/बंद कर दी गई थीं क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपना नाम नहीं लिखा था, छद्म नाम लिखा था।

सिद्धांत 2

1. **अपनी तीन वस्तुओं/सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं (वर्ष के दौरान राजस्व) जिनके कारण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोखिम और/या जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है।**

   टीएचडीसीआईएल सभी विद्युत संयंत्रों के विकास और प्रचालन में संलग्न है। जल विद्युत क्षेत्र और पवन

विद्युत क्षेत्र में होने कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं। कंपनी अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। टीएचडीसीआईएल का उद्देश्य वातावरण के उत्सर्जन में कमी लाना (विशेषकर ग्रीनहाऊस गैसें), मृदा और जल का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, सुविधाओं को उनके माहौल में समेकित करना, स्रोत पर ही कटौती करना, पुनः प्रयास और पुनः चक्रण करना है।

ऐसी निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किए जाते हैं जिनसे जैव–भौतिक और मानव के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। उपशमन, प्रतिपूर्ति और अनुवर्तन के उपाय भी विकसित किए जाते हैं। अपने कार्यों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसीआईएल ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन पर निर्भर करती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) भी प्राप्त कर लिया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए कारगर कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष निगरानी भी की जाती है। 444 मेगावाट के वीपीएचईपी में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का प्रयोग कर 12 किमी लंबी हेड रेस टनल का निर्माण किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुरुप है।

1320 मेगावाट का खुर्जा एसटीपीपी बुलदशहर, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए टीएचडीसीएल द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

2. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावी (मूल्य द्वारा शीर्षस्थ तीन) में सुधार लाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में निवेश का ब्यौराः

टीएचडीसीआईएल आस–पास के वातावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालकर सतत विद्युत प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के प्रति वचनबद्ध है। नियोजित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार विभिन्न परियोजना स्थलों पर विभिन्न उन्नत्त तकनीकें और प्रक्रियायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियों की सूची नीचे दी जा रही हैः

क. पर्यावरण प्रभावः

- **खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना (केएसटीपीपी)में ईएसपी इकाईः** उड़ती राख के कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किए जाएंगे। (221.3 करोड़ रू. का निवेश)
- **केएसटीपीपी में एससीआर और एफजीडी इकाईः** लो नोक्स बर्नर सहित बॉयलर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और चुनिंदा उत्प्रेरक नोक्स कमी (एससीआर) और फ्लू गैस डिसलकराइजेशन (एफजीडी) के माध्यम से फ्लू गैसें प्रवाहित की जाएंगी ताकि नोक्स और एसओ$_2$ संकेन्द्रण 100 एमजी/एनएम3 से नीचे रखे जा सकें (990 करोड़ रू.का निवेश)
- वीपीएचईपी में अंडज उत्पत्तिशालाः अलकनंदा नदी में स्नो ट्राउट फिश (परियोजना से प्रभावित प्रजाति) की सततता बनाए रखने के लिए आईसीएआर–डीसीएफआरआई से परामर्श पर अलग से मछली प्रबंधन की एक योजना बनायी गई है। अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगभग 77 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा किया जा चुका है। (1.14 करोड़ रू. का निवेश)

ख. सामाजिक प्रभावः

- **टेलीमेडीसिन स्कीमः** दूर से नैदानिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए यह दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। दूरी की समस्या से निपटने और ऐसी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार उपलब्ध नहीं होती, इसका उपयोग किया गया है। इसका उपयोग नाजुक देखभाल और आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। टीएचडीसीआईएल द्वारा 1.0 करोड़ की सहायता और प्रशिक्षण से टिहरी गढ़वाल जिले में 40 टेलीमेडीसिन सेंटर है।

3- वर्ष के दौरान अंशदान सामग्री और सेवाओं (मूल्य द्वारा) का प्रतिशत जिन्हें आंतरिक या बाहरी सततता मानकों/संहिताओं/ नीतियों/लेबलों का पालन करने वाले आपूतिकर्ताओं से प्राप्त किया गया था।

सभी सामानों/कार्यों/सेवाओं को प्राप्त ई–टेंडरिंग

प्रक्रिया से किया जा रहा है। केवल जीईएम के साथ पंजीकृत आपूर्तिकर्ता और/या सरकारी मानकों/प्रथाओं का पालन करने वाले अन्य आपूर्तिकर्ताओं से ही सामान/वस्तुएं खरीदने पर विचार किया जाता है। सततता मानकों/संहिताओं/नीतियों का सख्ती से पालन किया जाता है।

4. **वर्ष के दौरान उपभुक्त (मूल्य द्वारा) कुल कच्ची सामग्री का प्रतिशत जिसमें ऐसी सामग्री शामिल थी जिसका पुनः चक्रण प्रयोग किया गया था (50 शब्दों में विवरण दें)**

क. < 5 प्रतिशत

ख. 5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच

ग. > 25 प्रतिशत

टीएचडीसीआईएल जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं जल का उपयोग न कर बिजली का उत्पादन करती हैं और यह जल पीने तथा सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है। पवन विद्युत का उत्पादन केवल हवा की गति का प्रयोग कर किया जाता है और इसमें किसी प्रकार भी संसाधन का उपयोग नहीं होता/संसाधन में कमी नहीं आती।

5. **कृपया आपके यहां मौजूद उस प्रणाली का वर्णन कीजिए जो जीवनावधि समाप्त होने पर आपके पदार्थों को सुरक्षापूर्वक एकत्र करती है, दोबारा इस्तेमाल करती है, पुनःचक्रण करती है और उनका निपटान करती है। (100 शब्द)**

टीएचडीसीआईएल, जल और पवन ऊर्जा द्वारा सीधे बिजली का उत्पादन कर रही है और राज्य डिस्कामों को आपूर्ति कर रही है। इसलिए यह प्रश्न टीएचडीसीआईएल से संबंधित नहीं है।

सिद्धांत 3

1. **भेदभाव से उत्पन्न मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतें:**

क. वर्ष के दौरान प्राप्त– शून्य

2. **वर्ष के अंत में उपरोक्त में से कितनी शिकायतों का समाधान लंबित था ?**

शून्य

3. **प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ/संघों के सदस्य स्थायी कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है।**

दिनांक 31.03.2020 तक 1501 (अर्थात स्थायी कर्मचारियों का 81.76 प्रतिशत) कर्मचारी मान्यताप्राप्त टीएचडीसीआईएल संघों और एसोसिएशन के सदस्य थे।

4. **आपके प्रतिष्ठान/मूल्य श्रृंखला के कितने प्रतिशत की लेखा परीक्षा निम्नलिखित के लिए की गई है।**

क. बाल श्रम

ख. बेगार/अस्वैच्छिक श्रम

सभी कार्यालयों/परियोजना इकाइयों में समर्पित मानव संसाधन विभाग है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि टीएचडीसीआईएल के निर्माण कार्यों में किसी प्रकार का बाल श्रम/बेगार नहीं लिया जा रहा है।

5. **आपके प्रतिष्ठानों/मूल्य श्रृंखला में आज की तारीख तक बालाश्रम के मामलों की संख्याः–**

क. पहचान किए गए – शून्य

ख. समाधान किए गए – लागू नहीं

ग. जिनका समाधान लंबित है – लागू नहीं

6. **आज की तारीख तक पहचान किए गए बेगार/अस्वैच्छिक कार्यों से जुड़े मामलों की संख्याः–**

क. पहचान किए गए – शून्य

ख. समाधान किए गए – लागू नहीं

ग. जिनका समाधान लंबित है – लागू नहीं

7. **उन कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत जिन्हें गत वर्ष विधिक मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया?**

सभी स्थायी कर्मचारियों को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन दिया जाता है। संविदा पर रखे गए सभी कामगारों को उप मुख्य श्रम आयुक्त (ग) देहरादून के कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया गया था।

8. **आपके स्थायी कर्मचारियों के दिए जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात?**

10.8 : 1

9. **वर्ष के दौरान मजदूरी को भुगतान में देरी वाले मामलों की संख्याः**

मजदूरी के भुगतान में देरी का कोई मामला नहीं

क. समाधान किए गए– लागू नहीं

ख. जिनका समाधान लंबित है– लागू नहीं

10. आज की तारीख तक उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्याः

आलोच्य अवधि के दौरान उत्पीड़न से जुड़ा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

11. वर्ष के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं की संख्याः

क. कार्य स्थल पर घटित दुर्घटनाएं—शून्य

ख. कार्यस्थल पर घटित प्राणघातक घटनाएं—शून्य

ग. कार्यस्थल पर घटित विकलांगता – शून्य

12. उन कर्मचारियों की संख्या (सभी श्रेणियां) जिन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों और उपायों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष के दौरान – 19.12 प्रतिशत (1835 में से 351) कर्मचारी (31.03.2020 की कुल जनशक्ति)

क. आज की तारीख तक कुल (2017–18 से 1835 में से 891)

13. उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें प्रशिक्षण और स्तरोन्नयन दिया गया है:

आलोच्य वर्ष के दौरान 54.55 प्रतिशत (1835 में से 1001) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सिद्धांत 4

अनिवार्य संकेत

1. उन हितधारक समूहों की सूची जिनकी पहचान आपके व्यापार के प्रमुख कार्मिकों के रूप में की गई है?

टीएचडीसीआईएल के चिन्हित हितधारकों की सूची में शामिल हैं:

- सरकारी तथा सांविधिक निकाय
- कर्मचारी
- ग्राहक/लाभग्राही
- आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार
- बैंकर/वित्तीय संस्थाएं/वित्तीय संस्था/देनदार
- शेयर होल्डर
- मीडिया
- परियोजना प्रभावित लोग/स्थानीय और देशी समुदाय
- गैर सरकारी संगठन
- स्थानीय समुदायों में कमजोर वर्ग
- कुल मिलाकर पर्यावरण और सोसाइटी

2. उरोक्त चिन्हित प्रत्येक हितधारक श्रेणी के साथ नियोजन के लिए उत्तरदायी पद/विभाग/प्रकार्य

हितधारक	नियोजन की तारीख	उत्तरदायी पद/विभाग/प्रकार्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सरकारी और सांविधिक निकाय	• एमओयू पर हस्ताक्षर • पत्राचार • वार्षिक रिपोर्ट • बैठकें • प्रस्तुतीकरण • परियोजना स्थल दौरे	प्रकार्यात्मक निदेशक और (सीएमडी) के मार्गदर्शन में कारपोरेट नियोजन और एमपीएस विभाग
कर्मचारी	• पत्रिकाओं का प्रकाशन • शिकायत निवारण तंत्र • परिपत्र और कार्यालय आदेश • सांप्रदायिक कार्यक्रम • प्रतिपुष्टि (फीडबैक) सुझाव मेला	कारपोरेट कार्मिक विभाग
ग्राहक	• पीपीए पर हस्ताक्षर • फीडबैक सर्वेक्षण • बैठकें • पत्राचार	वाणिज्यिक विभाग

हितधारक	नियोजन की तारीख	उत्तरदायी पद/विभाग/प्रकार्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	• टेंडर • खुली निविदा विचार–विमर्श • नीति और प्रक्रिया विधि • बैठकें • संयुक्त विचार–विमर्श	परियोजना प्रमुख, संविदा और सेवा विभाग
परियोजना प्रभावित व्यक्ति/ स्थानीय और देशी समुदाय	• सीएसआर कार्यक्रम • बैठकें • शिकायत निवारण • पत्रिकाएं • पैपलेट/वेबसाइट प्रकटन • लोक सूचना केन्द्र	सामाजिक एवं पर्यावरण विभाग
मीडिया	• प्रेस ब्रीफिंग • कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण	कारपोरेट संचार विभाग/उ.म.प्र. (जनसंपर्क)
समग्र समाज	• प्रेस न्यूज • नोटिस • प्रचार • सीएसआर कार्यक्रम • वेबसाइट पर डिस्पले • फेसबुक और ट्विटर पेज	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/ कारपोरेट संचार विभाग/एस एंड ई विभाग और कुल मिलाकर सभी कर्मचारी

3. पिछले वर्ष पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर कितने हितधारक समूह नियोजित किए गए?

पर्यावरणीय मुद्दे:

- वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वाप्कोस): वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा विभिन्न गतिविधियों की मानीटीरिंग के लिए।
- डायरेक्टरेट आफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च (डीएफसीआर) भीमतालः वीपीएचईपी में मस्त्य प्रबंधन योजना
- इंडियन काउंसिल आफ फारेस्टरी रिसर्च एंड एजूकेशन (आईसीएफआई) देहरादूनः
- तृतीय पक्ष कैट (जल प्रवाह क्षेत्र उपचार) योजना की निगरानी
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) रूड़कीः वीपीएचईपी में कंट्रोल ब्लास्टिंग दौरान शोर और कंपन की निगरानी
- हरियाणा टेस्ट हाउस, एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाः निर्माणधीन पीएसपी परियोजना के लिए वायु जल और शोर की निगरानी
- हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) लिमिटेडः परियोजना के कार्य स्थल पर ईएमपी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी
- परियोजना प्रभावित परिवार और समग्र रूप से प्रभावित समाज

सामाजिक मुद्देः

- जनप्रतिनिधि (उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून जिलों के सांसद/विधायक और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सांसद/विधायक): परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों की जरूरत और पहचान के लिए
- जिला प्रशासन (उत्तराखंड में जिला टिहरी, हरिद्वार और चमोली और मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला)
- आवश्यकता के मूल्यांकन और क्षमता के निर्माण के लिए समुदाय आधारित संगठन जैसे किसान समूह और स्व–सहायता समूह

- परियोजना प्रभावित परिवार और समग्र रूप से प्रभावित समाज

4. वर्ष के दौरान स्थानीय और लघु वेंडरों/उत्पादकों से खरीदी गई इनपुट सामग्री और सेवाएं (मूल्य द्वारा)

वर्ष 2019–20 के दौरान टीएचडीसीआईएल में वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीदारी (बीमा सेवाओं का प्रापण छोड़कर) 37.1753 करोड़

एमएसई से प्रापण खरीददारी (अ.जा./अ.ज.जा. सहित) 13.4412 करोड़

एमएसई से प्रापण (खरीदारी): 36.15 प्रतिशत

सिद्धांत 5

उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें मानव अधिकार मुद्दे पर प्रशिक्षण दिया गया है:

क	आलोच्य वर्ष के दौरान (2019–20)	183 कर्मचारी (दिनांक 31.03.2020 को कुल जनशक्ति 1835 थी	10 प्रतिशत कर्मचारी
ख	आज की तारीख तक कुल (2017–18 से आगे)	461 कर्मचारी	

2. कर्मचारियों की श्रेणियां जो व्यापार की मानव अधिकार नीतियों के अंतर्गत शामिल हैं–स्थायी/संविदा/अनियत

टीएचडीसीआईएल की सभी मानव संसाधन नीतियां मानव अधिकारों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती हैं और ये विभिन्न स्टेशनों, परियोजनाओं, कार्यालयों में तैनात इसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं। मानव अधिकार से जुड़े प्रावधान, विशेषकर श्रम संविधियों से संबंधित प्रावधान आपूर्ति और निष्पादन संविदा से जुड़े हमारे निविदा दस्तावेजों में भी शामिल किए जाते हैं जिनके अंतर्गत सभी आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार आते हैं।

3. उन हितधारकों की संख्या जिन्होंने मानव अधिकार से जुड़े परिवाद/शिकायतों की रिपोर्ट की:

क. वर्ष के दौरान : शून्य

ख. जिनका समाधान लंबित था : लागू नहीं

सिद्धांत 6

1. व्यापार द्वारा पर्यावरण और समुदायों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव या उल्लेखनीय संभाव्य जोखिम:

क. वर्ष के दौरान चिन्हित : शून्य

ख. क्या उपरोक्त पर्यावरणीय जोखिमों के लिए उपशमन और अनुकूलन उपाय किए गए हैं?– लागू नहीं

2. उपशमन, पुनःचक्रण और पुनःप्रयोग पहलों में अच्छी प्रणालियां (अधिकतम तीन) जिन्होंने आपकी व्यापरिक गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया।

परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, उपशमन करने, जो परियोजना की प्रकृति के अनुसार अलग–अलग हो सकता है, के लिए एक व्यापक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) कार्यान्वित की जाती है।

- **पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमपी):** विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली, विश्व बैंक से परामर्श कर तैयार की गई थी। वीपीएचईपी के ईएमपी में पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी संभव सर्वोत्तम पद्धतियां शामिल करने के लिए प्रयास किए गए थे। जैव विविधता प्रबंधन, जलप्रवाह क्षेत्र उपचार, गंदगी निपटान प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जन स्वास्थ्य प्रबंधन, श्रमिक शिविर प्रबंधन और पर्यावरणीय निगरानी योजना आदि जैसी गतिविधियों के लिए ईएमपी में अनुशंसित उपशमन उपाय कार्य स्थल पर अपनाए जाते हैं।
- **केएसटीपीपी में उड़नेवाली राख का पुनः** प्रयोग: एक राख प्रबंधन स्कीम कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है जिसमें उड़ने वाली राख का शुष्क संग्रहण उपयोग में लाए जाने के लिए पहले ही चिन्हित किए गए उद्यमियों के राख की आपूर्ति तथा राख के अधिकतम उपयोग की सीमा तक बढ़ावा देना तथा अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल है। संयत्र में राख के निपटान के लिए दो भिन्न–भिन्न प्रणालियां होंगी– पेंदे में बैठी राख के लिए राख जल पुनः परिचालन के साथ परंपरागत

आर्द्र गीली मिट्टी का निपटान और उड़ती राख के लिए उच्च संक्रेद्रण आर्द्र गीली मिट्टी का निपटान।

- जल और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उत्पादन किए जाने से न केवल प्राकृतिक संसाधन की बचत हुई बल्कि इससे संगठन को जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध कार्य करने में एक सक्रिय सदस्य बनने में मदद मिलती है। जल विद्युत परियोजनाओं और पवन विद्युत परियेाजनाओं के परिचालन द्वारा टीएचडीसीआईएल ने क्रमशः 4,75,62,888 टन कार्बन डाई आक्साइड और 8,19,170 टन कार्बन डाई आक्साइड गैस का उत्पादन होने से बचाया है जो 2006–07 से 2019–20 तक 53138.863[2] मि.यू. बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयले को जलाने से उत्पन्न हुई होती

संदर्भः

1: सीओ$_2$ बेसलाइन डाटा: *http://www.cea.nic.in/reports/others/thermal/tpece/cdm_co2/user_guide_ver14.pdf*

2: टीएचडीसीआईएल प्रोजेक्ट स्टेट्स रिपोर्ट: *https://www.thdc.co.in project-list*

3- आपके व्यापार द्वारा अन्य व्यापारों/गैर सरकारी संगठनों/सरकारी एजेंसियों/अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों/ विकास से जुड़ी संस्थाओं के साथ शुरू की गई सामूहिक कार्रवाई ताकि उपरोक्त चिन्हित पर्यावरणात्मक जोखिम अवसरों का समाधान किया जा सके।

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं/गैर–सरकारी संगठनों ने पर्यावरणात्मक जोखिम अवसरों का समाधान करने के लिए टीएचडीसीआईएल के साथ कार्रवाई कीः

- हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी): विभिन्न ईएमपी गतिविधियों को करने के लिए जिम्मेदार
- हर्बल रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एचआरडीआई) मंडल (गोपेश्वर), चमोलीः औषधीय उद्यान के विकास में परामर्श
- डायरक्टेरेट आफ कोल्डवाटर फिशरीज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमतालः वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन योजना
- विश्व बैंकः वित्त पोषण एजेंसी

4. वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एनजीटी/एसपीसीवी से प्राप्त किन्हीं कारण बताओ/विधिक नोटिसों के संबंध में प्रतिकूल आदेशों का ब्यौरा

शून्य

सिद्धांत 7

1. इन दिशानिर्देशों के साथ समनुरूपता के लिए सुशासन ढांचे द्वारा समीक्षा जन नीति समर्थन नीति

क. आवृत्ति– छमाही

ख. पिछली समीक्षा का माह/वर्ष– 19 सितम्बर

2. आपके व्यापार द्वारा गैर–प्रतिस्पर्धी आचरण के लिए विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त किसी प्रतिकूल आदेश का ब्यौरा

शून्य

3. राजनीतिक दलों को किया गया मौद्रिक अंशदान (यदि कोई हो)

सरकारी कंपनी होने के नाते, टीएचडीसीआईएल किसी भी राजनीतिक दल को कोई अंशदान/चंदा नहीं देती।

सिद्धांत 8

अनिवार्य संकेतक

1. आपके व्यापारिक प्रचालनों के लिए किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनः

क. वर्ष में पूरी की गई संख्या

कुल 02 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए गए थे जिनमें वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई कुल 12 सीएसआर परियोजनाएं शामिल थीं।

ख. किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकनों की संख्या

एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी अर्थात (क) टीआईएसएस, मुंबई और (ख) एसआर एशिया, गाजियाबाद द्वारा 02 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए गए थे।

2. समाज के कमजोर और हाशिए पर रह रहे वर्गों के लाभ में योगदान करने वाले उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं या कार्यक्रमों के उदाहरण

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते टीएचडीसीआईएल समाज के कमजोर और हाशिए पर रह रहे वर्ग को लाभ पहुंचाने और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अनेक समाधान और नवाचारी सीएसआर परियोजनाएं लाने का प्रयास करता है। कुछ प्रमुख हस्तक्षेप इस प्रकार हैंः

- **दीन गांव टिहरी में एलोपैथिक औषधालयः**

यह टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरुरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, पैरा–मेडिकल स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, छोटे मोटे आपरेशन थिएटर और निःशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लेंस है।

- **टेली मेडिसन स्कीमः** यह परियोजना जिला प्रशासन, टिहरी के साथ संपर्क कर दिसम्बर, 2017 में 20 केन्द्रों के साथ शुरु की गई। वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 40 हो गई। ये केन्द्र 200 ग्राम सभाओं और लगभग एक लाख लोगों की जरुरतें पूरी कर रहे हैं। सभी टेलीमेडिसिन केन्द्रों में एक मेडिकल किट (ब्रीफ केस) होती है जिसमें पल्स आक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, वाई फाई ईसीजी रिकार्डर एक्सरे न्यू वाक्स ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथोलाजिकल किट होती है। इसके साथ ही एक एन्ड्रायड टैबलेट होता है जिसमें 500 जरूरी दवाइयों की सूची और उठाकर ले जाने योग्य हॉट स्पाट होता है ताकि जिला अस्पतलों के साथ निदान, आंकड़ा हस्तांतरण और संप्रेषण किया जा सके।

- **प्रगतिपुरम, ऋषिकेश और भागीरथीपुरम, टिहरी में स्कूलः** दो स्कूल जिनमें से एक भागीरथीपुरम, टिहरी में स्थित है, कक्षा 6 से 12 तक और प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में स्थित दूसरा स्कूल टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी टीईएस के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति सहित समाज के कमजोर वर्गों को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों को निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा तथा ''नैवेद्यम'' स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा है। इन स्कूलों को चलाने का वार्षिक बजट 4.65 करोड़ था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अतिरिक्त छात्र विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भी संलग्न थे ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

- **जूनियर हाई स्कूल कोटेश्वरपुरमः** उपरोक्त के अतिरिक्त केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोटेश्वर जिला टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का एक जूनियर हाई स्कूल भी चलाया जा रहा है जिसके लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा ओंकारानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल एजूकेशन सोसाइटी नामक एक गैर सरकारी संगठन को अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्कूल को चलाने का वार्षिक बजट 50 लाख रू. था।

- महिला कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीः एक नवाचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी प्रायोगिक पहल के रूप में टीएचडीसी ने 10 लाख रू. की आरंभिक राशि से वर्ष 2016 में टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में महिला क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी स्थापित की ताकि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं अपनी पसंद के आजीविका विकल्पों के लिए छोटी मोटी उधार जरुरतों को पूरा कर सकें। सोसाइटी का प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में टीएचडीसी के मार्गदर्शन, विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण आधारित आजीविका प्रशिक्षणों तथा साजो–समान की सहायता से सोसाइटी सफलतापूर्वक चल रही है। वित्त वर्ष के दौरान सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 91 हो गई। इनमें से 35 सदस्यों ने पशुपालन के लिए 5 सदस्यों ने सामान्य किराना स्टोर के लिए 7 सदस्यों ने सिलाई की दुकान के लिए और 10 सदस्यों ने सब्जी की खेती करने के लिए उधार लिया है।

3- वर्ष के दौरान कौन–कौन सी परियोजनाओं के बारे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) लागू हैः

(क) इन परियोजनाओं से कितने लोग प्रभावित और विस्थापित हुए?

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआइएल की निर्माणाधीन तीन परियोजनाएं हैं नामतः विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी, खुर्जा एचटीपीपी, अमेलिया कोयला खदान। इन परियोजनाओं में आर एंड आर नीति लागू है। वर्ष 2019–20 के दौरान इन परियोजनाओं में कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ।

(ख) परियोजना को भुगतान की गई कुल राशि–प्रभावित और विस्थापित लोग?

शून्य

4. स्थानीय समुदाय से प्राप्त परिवाद/शिकायतें

क. वर्ष के दौरान प्राप्तः शून्य

ख. लंबित समाधानों की संख्याः लागू नहीं

5. विकासमान क्षेत्रों में निवेश का ब्यौरा (मूल्य द्वारा शीर्षस्थ तीन)

पर्यावरण क्षेत्र			
क्र. सं.	योजना	सीईएस 2009 द्वारा दी गई समेकित ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अनुसार बजट (राशि करोड़ रू. में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रू. में)
1	वीपीएचईपी में जैव विविधता प्रबंधन योजना (जिसमें केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं)	6.81	1.438
2	वीपीएचईपी में पर्यावरण निगरानी योजना	2.231	0.9642
3	वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन योजना	1.14	1.6389

सामाजिक क्षेत्र		
क्र. सं.	गतिविधि	खर्च की गई राशि (करोड़ रू. में)
1	टेली मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं	1.0
2	टिहरी गढ़वाल जिले में खेती का मशीनीकरण	0.75

6. अधिकतम तीन वस्तुओं और सेवाओं के संरक्षण के लिए कारपोरेट स्थानीय पारंपरिक ज्ञान

स्थानीय ज्ञान और संस्कृति को संरक्षण देने और प्रोत्साहित करने के लिए टीएचडीसीआईएल ने समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत कुछ हस्तक्षेपों की परिकल्पना की है। मुख्य हस्तक्षेप हैं:

i) स्थानीय रूप से उपलब्ध 'रिंगल' (स्थानीय बांस) हस्तशिल्प बनाने में कौशल वृद्धि के माध्यम से टिहरी गढ़वाल के अनुसूचित जाति के परिवारों का आजीविका संवर्धन

ii) स्थानीय समुदाय की सहभागिता के माध्यम से प्रमुख घटकों का आधुनिकीकरण कर धराट (पनचक्की)का पुनद्धार

iii) समुदाय और पशुओं को बनाए रखने के लिए कारगर वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत चल खल जैसे पूर्व रूप देने वाले निर्माण कर जल संरक्षण के बारे में स्थानीय ज्ञान को बढ़ाना।

7. वर्ष के दौरान परंपरागत ज्ञान से जुड़े बौद्धिक अधिकार संबंधी विवादों में प्रतिकूल आदेशों या निर्णयों के ब्यौरे (100 शब्द)

शून्य

8. सीएसआर पहलों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार) द्वारा आच्छादित या व्यापार की नीति से जुड़े मुख्य विषयों का सारांश (100 शब्द

सीएसआर कार्यक्रम का चयन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनूसूची–VIII में यथानिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है टीएचडीसीआईएल, सीएसआर पहलों का शीर्षक टीएचडीसी सहृदय (मानव हृदय के साथ कारपोरेट) हैं। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है,उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)–पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पेयजल परियोजनाएं

टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)– शिक्षा पहलें

टीएचडीसी दक्ष (कौशल)– जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें

टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास

टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण करने वाली पहलें

टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की

देखभाल

टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)–पर्यावरण संरक्षण पहलें

डीपीई ने दिशानिर्देशों के अनुसार टीएचडीसीआईएल अपने प्रमुख प्रचालन क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में भारत सरकार द्वारा निर्णीत सीएसआर विषय ''स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और पोषण'' के प्रति वार्षिक सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत सफलतापूर्वक खर्च करने में सफल रही है। टीएचडीसीआईएल अतिरिक्त बजट के जरिए सरकार द्वारा आबंटित दो आकांक्षी जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश और हरिद्वार, उत्तराखंड में सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित कर रही है।

सिद्धांत 9

अनिवार्य संकेतक

1. उदाहरण (अधिकतम तीन) जहां आपके व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उठाया गया हो

कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं उठाया गया।

2. व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य द्वारा प्रतिशत जो निम्नलिखित के बारे में सूचना देते हैं:

क. उत्पाद के प्रति संगत पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर

ख. सुरक्षित और जिम्मेदार प्रयोग

पर्यावरण अर्थात ''हमारे चारों ओर के जीवित और गैर–जीवित वस्तुओं द्वारा निर्मित''। इसलिए पर्यावरण संभावनाओं की दृष्टि से वस्तुएं और सेवाएं अपने चारों ओर के माहौल को सकारात्मक रूप से बढ़ाती हैं और उसका संरक्षण करती हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

क. विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी): (वीपीएचईपी–ईएमपी की कुल लागत: 76.09 करोड़)

1. नदी के तटवर्ती इको–प्रणाली की पहचान बनाए रखना

नदी के तटवर्ती इको प्रणाली की दृष्टि से सततता, जल के प्रवाह, जीव वैज्ञानिक और रासायनिक पैरामीटर और उसकी संतुलित इको प्रणाली को नियंत्रित करते है। नदियों के समीप स्थित समाज के जल मल से और निर्माण अवधि में वहां लगाए गए कामगार शिविरों से नदियों पर प्रभाव पड़ता है। नदी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जलमल के सुरक्षित निपटान के लिए वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना में सेप्टिक टैंक और सोक पिट का प्रावधान किया गया था (सेप्टिक टैंकों के लिए बजट: 4.25 लाख रू.)

2. हरित पट्टी/औषधीय उद्यान विकास: (बजट 67.53 लाख रू.)

समीप स्थित जैव–विविधता और प्राकृतिक संयंत्रों के संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल, वीपीएचईपी के ईएमपी के भाग के रूप में औषधीय उद्यान और हरित पट्टी विकसित करने और अपनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर रहा है तदनुसार, वीपीएचईपी कालोनी ने लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया जा रहा है।

3. जंगल की लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से बचाव

परियोजना स्थल पर कामगारों के मेस में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किया जा रहा है ताकि आस–पास के जंगल की लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग से बचाया जा सके। यह सेवा जंगल की सततता को संतुलित करती है (बजट: 2 लाख रू.)

4. वन्य जीवन संरक्षण: (बजट 5 लाख रू.)

वाच टावर उपलब्ध करवा कर निर्माण गतिविधियों का उचित प्रबंधन अर्थात वन्य जीवन में नियंत्रित विस्फोट और मानव हस्तक्षेप पर अंकुश अर्थात पशुओं के शिकार पर हस्तक्षेप। टीएचडीसीआईएल पर्यावरण प्रणाली को बनाये रखे हुए हैं तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्य जीवों के सभी अधिकारी को सुनिश्चित करती है।

5. मत्स्य प्रबंधन योजना: (बजट: 1.14 करोड़ रू.)

किसी नदी पर जल विद्युत परियोजना के निर्माण का मछलियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। बांध मछलियों के प्रजनन काल में मछलियों के देशांतरीय संचलन में बाधक का काम करते हैं। इससे उस नदी में मछलियों की संख्या/विकास प्रभावित होता है।

वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना में अलकनंदा नदी में 'स्नो ट्राउट' की संख्या की रक्षा करने की एक उचित मत्स्य प्रबंधन योजना है। इसे कम करने के लिए डीसीएफआरई से परामर्श कर वीपीएचईपी में एक मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला का निर्माण किया जा रहा है।

ख. खुर्जा एसटीपीपी (केएसटीपीपी–ईएमपी की कुल लागतः1783.5 करोड़ रू.):

खुर्जा एसटीपीपी में कुछ उन्नत उपकरणों और तकनीकी का प्रयोग कर (पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का भाग) टीएचडीसीआईएल उन खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जित होने से बचा रहा है जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नीचे दी गई समर्पित इकाईयों के माध्यम से टीएचडीसीआईएल समाज को बहुमूल्य सामान और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना (केएसटीपीपी) में ईएसपी इकाईः उड़ने वाली राख के कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किए जाएंगे। प्रेसिपिटेटर की डिजाइन ऐसी होगी कि पार्टिकुलेट मैटर संकेन्द्रणों को 30 एमजी/एनएम3 से नीचे रखा जा सके (निवेश 221.3 करोड़ रू.)
- केएसटीपीपी में एससीआर और एफजीडी इकाईः कम छवग बर्नरों वाले ब्वायलर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि नोक्स और एसओ2 100 एमजी/एन एम3 से नीचे रखा जा सके।

3. आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्याः

क. वर्ष के दौरान प्राप्त – शून्य

ख. जिनका समाधान लंबित है– लागू नहीं

4. विज्ञापन के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या

क. वर्ष के दौरान प्राप्त – शून्य

ख. जिनका समाधान लंबित है– लागू नहीं

5. अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या

क. वर्ष के दौरान प्राप्त – शून्य

ख. जिनका समाधान लंबित है– लागू नहीं

इस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार नामोद्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ता./–

नामः मनोज कुमार त्यागी **पदनामः** उप महाप्रबंधक

पताः टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाई पास रोड, ऋषिकेश

दूरभाष सं.: 0135-2473447

ई–मेल आईडीः corpplanning@thdc.co.in

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VI

प्रपत्र सं.एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i	सीआईएन	यू45203यूआर1988जीओआई009822
ii	पंजीकरण की तिथि	12 जुलाई,1988
iii	कंपनी का नाम	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता	भगीरथी भवन, टाप टेरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड (249001)
vi	संपर्क ब्यौरे	कंपनी सचिव, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम गंगा भवन, ऋषिकेश–249201 फोन– 0135–2439309
vii	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हां, ऋण सूचीबद्ध
viii	आरटीए का नाम, पता और संपर्क सूत्र	केफिन टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड कार्वे सेलेनियम टावर–बी, प्लाट 31–32 गाछीबॉल, वित्तीय जिला नानक्रामगुडा हैदराबाद–500032 दूरभाषः+91–40–33211000

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	बिजली का उत्पादन	3510	100%

III. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनी के ब्यौरे

क्र. सं.	नाम और पता	सीआईए	धारक / सहायक एसोसिएट	धारण का प्रतिशत	वर्ग
1.	एनटीपीसी लि. नई दिल्ली	L40101DL1975GOI007966	धारक	74.496	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
क. प्रमोटर्स								
1. भारतीय								
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	10	10	0.00	4	6	10	0.00
ख) केन्द्र सरकार	0	27199406	27199406	74.42%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार	0	9349401	9349401	25.58%	शून्य	9349401	9349401	25.504
घ) निकाय निगम	0	शून्य	शून्य	शून्य	27309406	शून्य	27309406	74.496
उप–योग क (1) :-	**0**	**36548817**	**36548817**	**100%**	**27309410**	**9349407**	**36658817**	**100%**
2. विदेशी								
क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (क)(2) :-	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1) + (क)(2)	**0**	**36548817**	**36548817**	**100%**	**27309410**	**9349407**	**36658817**	**100%**

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(1) संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य							
छ) एफआईआईएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेचर कैपिटल फंड	**शून्य**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) अन्य (उल्लेख करें)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
उप–जोड (ख)(1) :-	शून्य	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(2) गैर संस्थाए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रु. तथा कम मात्र शेयरपूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रु. तथा कम मात्र शेयरपूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
c) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड (ख)(2) :-								
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख)(1) + (ख)(2)								
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स	**शून्य**				**शून्य**			
कुल जोड (क+ख+ग)	**0**	**36548817**	**36548817**	**100%**	**27309410**	**9349407**	**36658817**	**100%**

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	27199406	74.419	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	74.42
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.581	शून्य	9349401	25.504	शून्य	0.08
3	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	27309406	74.496	शून्य	74.496
4	भारत के राष्ट्रपति के नामिती	06	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती	शून्य	शून्य	शून्य	06	0.00	शून्य	शून्य
6	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती	04	0.00	शून्य	04	0.00	शून्य	शून्य
	कुल	**36548817**	**100**	**शून्य**	**36658817**	**100**	**शून्य**	**100**

(iii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1)	**भारत के राष्ट्रपति**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	27199406	**74.42**	27199406	**74.42**
ख	08.05.2019 को आबंटन शेयरों की संख्या 30.07.2019 के आबंटन शेयरों की यंख्या शेयरों का अंतरण	40000 70000 (27309406)		शून्य	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर **(क+ख) = ग**	शून्य	0	शून्य	शून्य
2)	**उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349401	25.58	9349401	25.58
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर **(क+ख) = ग**	9349401	25.50	9349401	25.50

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
3)	**एनटीपीसी लिमिटेड**				
क	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का अंतरण	27309406	74.50	27309406	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर (क+ख) = ग	27309406	74.50	27309406	74.50
4)	**भारत के राष्ट्रपति के नामिती**				
क	वर्ष के आरंभ में	06	0.0	06	0.0
ख	शेयरों का अंतरण	(06)	0.0	00	0.0
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5)	**एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती**				
क	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शेयरों का अंतरण	06	0.0	0.0	0.0
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग	06	0.0	06	0.0
6)	**उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती**				
क	वर्ष के आरंभ में	04	0.0	04	0.0
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग	04	0.0	04	0.0

(iv) शीर्ष दस शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग पद्धति (निदेशकगण प्रोमटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
1.	श्री डी.वी.सिंह	1	0.0	0	शून्य
2.	श्री विजय गोयल	1	0.0	0	शून्य
3.	श्री जुधिष्टिर बेहरा	1	0.0	0	शून्य
4.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	1	0.0	0	शून्य
5.	श्री राज पाल	2	0.0	0	शून्य
6.	श्री टी.वेंकटेश	2	0.0	2	0.0
7.	श्री आनंद कुमार गुप्ता	0	शून्य	0	शून्य
8.	श्री अनिल कुमार गौतम	0	शून्य	0	शून्य

VI. ऋणग्रस्तता

दिनांक 31.03.2020 की बकाया/उपर्जित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(राशि ₹ में)

विवरण	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	पट्टा दायित्व	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता					
i) मूलधन*	37596773909	6551038665	0	0	44147812574
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं	0	0	0	0	0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	378002889	88502712	0	0	466505601
कुल(i+ii+iii)	**37974776798**	**6639541377**	**0**	**0**	**44614318175**
वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में बदलाव					
i) मूल धनः					
- वृद्धि	23962416289	3577994175	158776040.48		27699186504.48
- कमी	14771123677	347964875	0		15119088552
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं					
- वृद्धि	0	0	0	0	0
- कमी	0	0	0	0	0
iii) ब्याज उपर्जित परंतु प्रदत्त नहीं					
- वृद्धि	1126302992	88827657	0	0	1215130649
- कमी	378002889	88502712	0	0	466505601
निवल परिवर्तन	**9939592715**	**3230354245**	**158776040.48**	**0**	**13328723000.48**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
i) मूलधन*	46788066521	9781067965	158776040.48	0	56727910526.48
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं	0	0	0	0	0
iii) ब्याज उपर्जित परंतु देय नहीं	1126302992	88827657	0	0	1215130649
कुल (i+ii+iii)	**47914369513**	**9869895622**	**158776040.48**	**0**	**57943041175.48**

नोटः सुरक्षित ऋणों के अंतर्गत मूलधन के अंतर्गत एसएलटी और ओवरड्राफ्ट तथा बांड शामिल है

VII निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक (राशि लाख रू. में)

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि					
		श्री डी.वी.सिंह	श्री एच.एल. अरोड़ा	श्री विजय गोयल	श्री जे.बेहरा	श्री आर के विश्नोई	कुल
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	42.30	23.61	63.56	62.76	52.57	**244.8**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	27.40	3.01	24.46	15.83	19.76	**90.46**
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
4.	कमीशन						
	- लाभ के प्रतिशत के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	- अन्य, उल्लेख करें....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	कुल (क)	**69.70**	**26.62**	**88.02**	**78.59**	**72.33**	**335.26**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं

ख: अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			
		श्री बच्ची सिंह रावत	श्री मोहन सिंह रावत	प्रो.महाराज के.पंडित	कुल
1.	स्वतंत्र निदेशक				
	• बोर्ड एवं समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	260000	220000	240000	720000
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	0
	• अन्य कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	0
	कुल (1)	**260000**	**220000**	**240000**	**720000**
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण				
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	-
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	-
	• अन्य कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	-
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**-**
	कुल (B)= (1+2)	**260000**	**220000**	**240000**	**720000**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	100000	100000	100000	

टिप्पणी : टीएचडीसीआईएल में सिटिंग फीस का भुगतान रू. 20,000 प्रति सिटिंग की दर से किया जाता है।

गः प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनिय,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	 15.02 - 4.02	 15.02 - 4.02
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के अनुसार - अन्य उल्लेख...	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	कुल	**19.04**	**19.04**

VIII. शास्तियो/दंड/दोषों में वृद्धिः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दंड आरोपित वर्धित शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी/एएनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य अधिकारी डिफॉल्ट में					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

पी.एस.आर. मूर्ति
पेशेवर कंपनी सचिव
सीपी 13090

फार्म नं. एमआर–3
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रामिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001_

मैंने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'')** सीआईएननं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड 26 मार्च, 2020 तक भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है । भारत सरकार द्वारा कंपनी में अपने शेयरों को एनटीपीसी लिमिटेड को बेचने के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 25 मार्च, 2020 के शेयर खरीद करार निष्पादित किया था और करार के अनुसरण में कुल 74.496 प्रतिशत सहित भारत सरकार की साम्या 27 मार्च, 2020 को मैसर्स एनटीपीसी लि. को अंतरित की गई। इस प्रकार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम, एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कारपोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

मैंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) डिपोजटरीज अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लेन–देन का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग तथा यथाधिसूचित एमसीए के साथ रिटर्न फाइल करना;

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम,1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैं।

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) 2008

(v) प्रतिभूति और एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया निर्गम और (शेयर स्थानन्तरण एजेंटो के रजिस्ट्रार) विनियम 1993

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और मांगों का प्रकटीकरण), विनियम 2015

(vii) कंपनी तथा डिबेंचर न्यासी मैसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित डिबेंचर न्यास विलेख दिनांक 30 नवम्बर, 2016 और दिनांक 11 जून, 2019

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी जांच की है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और आश्वासनों के आधार पर कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयो का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी। इसके अतिरिक्त,जिन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो गया था वे निदेशक नहीं रहे, उसके बाद रिपोर्ट की तारीख तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित है। कंपनी ने बताया है कि संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशक की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है और तदनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया था और प्रस्ताव लंबित हैं।

2. भारत सरकार अपनी सारी साम्या एनटीपीसी लिमिटेड को बेचने के बाद 26 मार्च, 2020 को साम्या अंशदान के रूप में 1400 लाख रू. की राशि जमा करवाई। चूंकि सरकार ने अपनी सारी साम्या को डाईवेस्ट कर दिया था इसलिए कंपनी ने इक्विटी (साम्या) अंशदान के लिए शेयरों के आबंटन के संबंध में मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण न मिलने पर कंपनी ने साम्या अंशदान को जमा माना है और चालू देयताओं में बुक किया है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड की महिला निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों, जिनके लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव की शुरूआत की है, सहित कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कुछ बैठकों को छोड़ कर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे। बैठकों से पहले एजेंडे की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड की कार्यसूची में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में विशेष संकल्प पारित कर 2000 करोड़ रू. तक के सुरक्षित अपरिवर्तनीय, गैर संचयी बांडों के प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर अनुमोदित किया। इसमें से कंपनी ने 06 सितम्बर, 2019 को बांड (श्रृंखला–II) जारी कर 1500 करोड़ रू. कमाए ताकि चल रही परियोजनाओं आदि की जरुरतें पूरी की जा सकें। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां नहीं थी जिनका कंपनी के कार्यों पर प्रभाव पड़ा।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090
यूडीआईएनः ए005880बी000564570

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 09 अगस्त, 2020

यह रिपोर्ट हमारी इसी तिथि के पत्र साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

पी.एस.आर. मूर्ति

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

अनुलग्नक क

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल–249001_

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए ।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, मैने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है ।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090
यूडीआईएनः ए005880बी000564570

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 09 अगस्त, 2020

वित्तीय विवरण 2019–20

- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां							
गैर–चालू परिसंपत्तियां							
(क) परिसंपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,59,199		6,83,014		7,32,756
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		4,96,880		4,54,434		3,95,640
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		20		85		33
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		38,071				
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3		0		0		33
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) ऋण	4	3,889		4,079		4,483	
(ii) अन्य	5	1	3,890	0	4,079	0	4,483
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6		93,971		89,104		82,532
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	7		2,455		6,785		0
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	8		1,58,289		1,20,942		71,547
चालू परिसंपत्तियां							
(क) माल सूची	9		3,242		3,060		3,000
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) प्राप्य व्यापार	10	1,88,894		1,58,373		76,118	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	11	2,520		4,577		6,102	
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	58		676		37	
(iv) ऋण	13	836		979		1,042	
(v) अन्य	14	50,099		4,313		3,536	
(vi) अन्य	15	25,706	2,66,113	11,755	1,80,673	54,608	1,41,443
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		6,037		2,264		9,047
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17		5,973		4,562		6,162
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	18		18,622		8,781		0
जोड़			**17,54,862**		**15,57,783**		**14,46,676**
इक्विटी एवं देयताएं							
इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	3,66,588		3,65,468		3,62,743	
(ख) अन्य इक्विटी	20	5,86,659	9,53,247	5,11,906	8,77,394	4,44,272	8,07,015
गैर चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारियां							
(i) ऋण	21	3,95,696		2,65,201		2,41,530	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	22	2,538	3,98,234	1,794	2,66,995	2,200	2,43,730
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	23		84,077		91,240		98,191
(ग) प्रावधान	24		34,353		39,483		35,067

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	
चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारियां							
(i) ऋण	25	1,11,506		1,21,840		64,663	
(ii) व्यापार देयताएं							
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		66		21		26	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर लेंडिटर की कुल बकाया देयताएं		2,137		2,026		1,452	
(iii) अन्य	26	89,154	2,02,863	81,143	2,05,030	1,19,997	1,86,138
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	27		7,546		3,857		4,429
(ग) प्रावधान	28		12,679		12,293		21,015
(घ) चालू कर देनदारियां निवल	29		0		4,494		0
विनियामक आस्थगित लेखा लेंडिट शेष	30		61,863		56,997		51,071
कुल			**17,54,862**		**15,57,783**		**14,46,676**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1						
वित्तीय जिखमों और जोखिम प्रबंधन एवं प्रकटन, लेखाओं की अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां	40						
1 से 40 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।	41						

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन 08536589	डीआईएन 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ
यूडीआईएन :- 20014335एएएएडीएम3666

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	31		2,12,310		2,44,926
अन्य आय	32		28,226		39,409
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		6,374		6,915	
घटाए : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	6,374	0	6,915	0
कुल राजस्व			**2,40,536**		**2,84,335**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	33		36,030		41,183
वित्त लागत	34		24,034		19,954
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		57,610		55,500
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	35		23,933		20,978
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	36		0		4,985
कुल व्यय			**1,41,607**		**1,42,600**
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**98,929**		**1,41,735**
कर व्यय	37				
चालू कर					
आयकर			16,312		30,659
आस्थगित कर–परिसंपत्ति			(5,302)		(6,676)
I विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ			**87,919**		**1,17,752**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय (व्यय) निवल कर	38		4,106		1,239
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**92,025**		**1,18,991**
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	39		(1,247)		(299)
परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं– आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता			(435)		(104)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य बृहत् आय			(1,682)		(403)
कुल बृहत् आय (I+II)			90,343		1,18,588
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			251.22		326.35
तनुकृत (₹)			251.14		326.32
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (₹)			240.01		322.96
तनुकृत (₹)			239.94		322.93
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन	40				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां,1 से 40 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।	41				

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन 08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कराधान से पूर्व लाभ		98,929		1,41,735
समायोजनः–				
मूल्यह्रास	57,610		55,500	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	6,374		6,915	
प्रावधान	-		4,985	
वित्तीय लागत	24,034		19,954	
अन्य वृहत आय (ओसीआई)	(1,247)		(299)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(4,106)		(1,239)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(869)		(1,616)	
आपवादिक मदें	-	81,796	-	84,200
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,80,725**		**2,25,935**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(162)		(121)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	(42,472)		(39,402)	
अन्य परिसंपत्तियां	(47,159)		948	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	890		(4,459)	
व्यापार देय और देनदारियां	(4,697)		5,126	
प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू)	(4,744)		(4,326)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	4,106	(94,258)	1,239	(40,995)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**86,467**		**1,84,940**
कारपोरेट कर		(16,312)		(30,659)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**70,155**		**1,54,281**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :-				
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,22,721)		(71,486)	
पूँजी अग्रिम	(37,386)		(49,520)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(1,60,107)**		**(1,21,006)**
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	700		2,800	
उधारियां	1,34,547		(23,175)	
पट्टा संबंधी दायित्व	1,588		-	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(24,034)		(19,954)	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	(15,190)		(51,009)	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**97,611**		**(91,338)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**7,659**		**(58,063)**
ङ. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		**(1,16,587)**		**(58,524)**
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ङ)		**(1,08,928)**		**(1,16,587)**

टिप्पणी

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 58 लाख रु. (गत वर्ष में 676 लाख रु.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहबद्ध /पुन: वर्गीकृत किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष को नोट सं. 41.20 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी समं दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,65,488
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,100
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,66,588**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

			1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल
अथ शेष (I)		**400**	**5,07,116**	**4,500**	**(112)**	**5,11,906**
वर्ष के लिए लाभ			92,025			92,025
अन्य बृहत् आय					(1,682)	(1,682)
कुल बृहत् आय			**92,025**		**(1,682)**	**90,343**
लाभांश			12,600			12,600
लाभांश पर कर			2,590			2,590
प्रतिधारित आय में स्थानान्तरण (II)			**76,835**			**75,153**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित समायोजन (III)			600			600
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि / (घटाव) (V)				(600)		(600)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूंजी आवंटन जमा / आवंटित (VI)		700				700
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी लंबित (आवंटन) (VII)		(1,100)				(1,100)
अंतशेष (I+II+III+IV+V+VI+VII)		**0**	**5,84,553**	**3,900**	**(1,794)**	**5,86,659**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,62,743
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		2,745
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,65,488**

ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

			1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
आरंभ शेष (I)		**345**	**4,40,936**	**3,000**	**291**	**4,44,272**
वर्ष के लिए लाभ			1,18,991			1,18,991
अन्य व्यापक आय					(403)	(403)
कुल व्यापक आय			**1,18,991**		**(403)**	**1,18,588**
लाभांश			42,312			42,312
लाभांश पर कर			8,697			8,697
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**67,982**			**67,579**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित समायोजन (III)			(1,500)			(1,500)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				1,500		1,500
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूंजी आवंटन जमा/आवंटित (V)		55				55
अंतशेष (I+II+III+IV+V)		**400**	**507,118**	**4,500**	**(112)**	**5,11,906**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन 08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

टिप्पणी संख्या–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2019–20

1. सामान्य

1.1 टीएचडीसी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन:यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित है। कंपनी के बाड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

1.2 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए है और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 24.06.2020 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.3 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये(आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

2.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते है और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते है और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखांकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखांकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखांकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियों और प्रणालियों, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण

अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते है, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृष्टद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृष्टद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में है, पीपीई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते है, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते है/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखली के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल है।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अंगीकृत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि को डूब के अंतर्गत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले मे मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हे हिसाब मे शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं मे सीधे निवेशित लागत मे कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण मे प्रयुक्त परिसंपत्ति मे मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती है। ऐसी लागतें चल रही निर्माण परियोजनाए/ पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/ परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र मे दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत मे प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए सॉफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नही है) की लागत मे शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हो, शामिल नही है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य मे उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण मे मान्य किया जाता है जिस वर्ष मे परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए है परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नही है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन

स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आकड़े उपलब्ध है, का प्रयोग करती है।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल है।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 **प्रारंभिक पहचान और माप:** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती है। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते है।

9.6 **तदन्तर माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग

होते है। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि मे शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते है।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र मे दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य मे शामिल होते है– बैंको में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य मे गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण मे प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची मे शामिल होते है और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम मे एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमे से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि मे कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण मे व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य मे कमी के फलस्वरूप एनआरवी मे वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण मे आय के रूप मे मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण मे व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण मे व्यय के रूप मे मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देनदारियां

12.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों मे अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों मे ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल है।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप मे उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमे से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा निर्माण से संबंधित व्यय विवरण मे दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि मे किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनो के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 उत्तरवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारिया तदन्तर परिशोधित लागत के रूप मे ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप मे मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग है। लाभ और हानि विवरण मे ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप मे शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदनंतर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तांतरित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके सम्बन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुरोध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं है, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते है।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अप्रैल को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी

संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते हैं। अन्य बीमा दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई हैं, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थी तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अधिशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु,

परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती हैं।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हों।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हों।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बदटे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/- रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/-रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की

अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी ने अप्रैल, 2019 से लागू इंड एएस "पट्टे" अंगीकार किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर 01 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं पर लागू किया। इसके परिणामस्वरुप कंपनी ने आरंभिक अनुप्रयोग की तारीख को लागू वृद्धिगत उधारी दर पर छूट प्राप्त शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को रिकार्ड किया और पट्टा देयता के बराबर राशि पर परिसंपत्ति के प्रयोग को स्वीकार किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष की तुलनावस्था को समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए इस इंड एएस को रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा। इंड एएस 17 के लेखांकन नीतियों के ब्यौरे का अलग से प्रकटन किया जाता है यदि वे इंड एएस 116 के अंतर्गत आने वाले नीतियों के ब्यौरे से भिन्न कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नहीं इस बात का आकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते हैं जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रूप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के

उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बंधित होती है।

आरंभिक रूप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरूपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत है और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तिया सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं है यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित है जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है

अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू है। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव की इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चितता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तात्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल है। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

24.1 कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो

- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन

का आकलन करने के लिए करता है। इंड एएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आधार हो सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती है। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूंजी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें संदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए है जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती है जिन्हे तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती है और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते है जिन्हे तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंड एएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :– 2

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	3,825	-	-	3,825	-	-	-	-	3,825	3,825
2. जलमग्न भूमि	1,65,132	3,618	-	1,68,750	61,430	5,532	-	66,962	1,01,788	1,03,702
3. भवन	1,00,515	4,423	-	1,04,938	25,290	3,419	-	28,709	76,229	75,225
4. अस्थायी भवन आदि	2,418	21	-	2,439	2,418	21	-	2,439	-	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	16,258	1,107	-	17,365	3,840	599	-	4,439	12,926	12,418
6. जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी तथा जलापूर्ति	2,235	-	-	2,235	759	155	-	914	1,321	1,476
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,245	217	(16)	2,446	1,349	131	(10)	1,470	976	896
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,05,128	12,714	(49)	3,17,793	1,33,502	16,711	(31)	1,50,182	1,67,611	1,71,626
9. ई.डी.पी. मशीन	1,609	346	(138)	1,817	1,005	245	(119)	1,131	686	604
10. विद्युत संस्थापनाएं	4,577	-	-	4,577	914	128	-	1,042	3,535	3,663
11. परीक्षण उपकरण	2,584	82	-	2,666	1,174	438	-	1,612	1,054	1,410
12. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	5,868	256	(7)	6,117	2,903	1,800	(5)	4,698	1,419	2,963
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,669	240	(2)	2,907	1,230	431	-	1,661	1,246	1,439
14. वाहन	2,073	186	(6)	2,253	874	205	(2)	1,077	1,176	1,199
15. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	45	7	-	52	70	77
16. हाइड्रोलिक कार्य - बांध एवं स्पिलवे	5,18,415	647	-	5,19,062	2,78,925	27,404	-	3,06,329	2,12,733	2,39,490
17. हाइड्रोलिक कार्य - टनल, पेनस्टॉक, डीसिल्टिंग इत्यादि	1,39,980	20,640	-	1,60,620	80,316	7,700	-	88,016	72,604	59,664
उपयोग	**12,75,651**	**44,498**	**(218)**	**13,19,932**	**5,95,974**	**64,926**	**(167)**	**6,60,733**	**6,59,199**	**6,79,677**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,61,986**	**13,950**	**(284)**	**12,75,651**	**5,32,752**	**63,467**	**(245)**	**5,95,974**	**6,79,677**	**7,29,233**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां - सॉफ्टवेयर	471	-	-	471	386	65	-	451	20	85
उपयोग	**471**	**-**	**-**	**471**	**386**	**65**	**-**	**451**	**20**	**85**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**397**	**74**	**-**	**471**	**364**	**22**	**-**	**386**	**85**	**33**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	3,905	34,496	-	38,401	568	677	-	1,245	37,156	3,337
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	355	-	355	-	121	-	121	234	-
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	735	-	735	-	84	-	84	651	-
कुल योग	**3,905**	**35,616**	**-**	**39,521**	**568**	**882**	**-**	**1,450**	**38,071**	**3,337**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**3,905**	**-**	**-**	**3,905**	**382**	**186**	**-**	**568**	**3,337**	**3,523**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी. को प्रभारित मूल्यह्रास					1,692		1,592			
पी एंड एल विवरण को प्रभारित मूल्यह्रास										
पी एंड एल का विवरण आस्थगित पूंजी से मूल्यह्रास समायोजन तथा प्रदेश सरकार से निर्माण अनुदान					57,610		55,500			
वर्ष के दौरान रु. 5000.00 से अधिक परन्तु रु. 5000.00 से कम की प्रत्येक परिसंपत्ति क्रय की गई तथा पूर्ण रूप से उस वर्ष मूल्यह्रास किया गया					27		29			

2.1 [illegible] सरकार द्वारा कंपनी को आवंटित [illegible] एकड़ भूमि [illegible] के अनुमानित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 [illegible] परिसंपत्ति [illegible] अतिरिक्त मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाली [illegible] टिप्पणी संख्या 41.2 में दिए गए हैं।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली [illegible] टिप्पणी संख्या 41.4 में दिए गए हैं।

टिप्पणी :–3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2020 को समाप्ति पर			31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार
			01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		6,913	8,853	(407)	(3,587)	11,772
सड़क– पुल तथा पुलिया		2,139	1,492	-	(1,127)	2,504
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		240	264	-	-	504
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,43,787	35,716	(14)	(12,234)	1,67,255
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग पियर्स, सर्विस ब्रिज तथा अन्य जलीय कार्य		2,45,270	61,459	1,280	(21,370)	2,86,639
उत्खनन क्षेत्र वनीकरण		8,999	762	(112)	(849)	8,800
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		21	748	(4)	(677)	86
कोयला खान का विकास		3,761	0	0	0	3,761
सौर ऊर्जा का विकास		2,583	0	0	(2,583)	0
अन्य		182	233	-	(28)	387
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,816	25	-	(32)	9,809
निर्माण के दौरान व्यय	30.1	2,656	26,239			29,095
घटाएं: पी.एंड एम को आवंटित/प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	30.1		24,896			24,896
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		31,350	4,473	-	(29,076)	6,747
घटाएं : सीडब्ल्यूआईसी के लिए प्रावधान		3,483	0	0	0	3,483
जोड़		**4,54,434**	**1,15,366**	**743**	**(71,563)**	**4,98,980**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**3,95,640**	**72,975**	**(1,845)**	**(12,336)**	**4,54,434**
अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन		0	0	0	0	0
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**65**	**(29)**	**(69)**	**0**

3.1 सीडब्ल्यूआईसी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, डीपीएचईपी और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूंकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अवधि का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी :–4
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		1,650		1,924	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		945		762	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		2,549		2,665	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		189		180	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**5,333**		**5,531**	
घटाए: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1,186		1,238	
घटाए: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		266	3,881	214	4,079
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		8		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		1		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**9**		**0**	
घटाए: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0		0	
घटाए: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1	8	0	0
उपजोड़			**3,889**		**4,079**
घटाए: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
जोड़– अंतिम			**3,889**		**4,079**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूलधन		8		0	
ब्याज		1		0	
जोड़		**9**		**0**	
घटाए: उचित मूल्यांकन समायोजन		1	8	0	0
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूलधन		1		1	
ब्याज		1		1	
जोड़		**2**		**2**	
घटाए : उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	2

टिप्पणी :–5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
कर्मचारियों को		1		0	
अन्य को		0	1	0	0
जमा					
अन्य जमा		0	0	0	0
जोड़			1		0

टिप्पणी :–6

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		96,946	93,971	92,079	89,104
जोड़			**93,971**		**89,104**

टिप्पणी :–7

गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
जमा कर			2,455		6,785
जोड़			**2,455**		**6,785**

टिप्पणी :–8

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
पूर्व भुगतान ब्याज		0		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	0	0	40
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,453		1,452
उप–जोड़			**1,453**		**1,492**
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (101893 लाख रुपए की बैंक गारंटी के लिए)		93,355		59,337	
ii) पुनर्वास/पुन: स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		28,746		26,552	
iii) अन्य		39,388		40,435	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		7,749	1,69,238	5,528	1,31,852
घटाये : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,402		12,402
उप–जोड़– पूँजी अग्रिम			**1,56,836**		**1,19,450**
जोड़			**1,58,289**		**1,20,942**

टिप्पणी :–9

माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
मालसामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		100		104	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,835		2,694	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		301		287	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		9	3,245	25	3,110
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			3		50
जोड़			**3,242**		**3,060**

टिप्पणी :–10

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		1,25,714		41,692	
उधारी में हानि		10,076	1,35,790	14,576	56,268
घटाएं—अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,076		14,576
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		61,180		1,16,681	
उधारी में हानि		0	61,180	0	1,16,681
जोड़			**1,86,894**		**1,58,373**

टिप्पणी :–11

नकदी और नकदी समकक्ष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			2,518		4,576
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			2		1
जोड़			**2,520**		**4,577**

टिप्पणी :–12

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			58		676
जोड़			**58**		**676**

12.1 बैंक में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, वे एनसीएलटी / न्यायालय आदेश के विरुद्ध [illegible] शेष है।

टिप्पणी :–13
चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		616		702	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		271		262	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		174		196	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		9		5	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,070**		**1,165**	
घटाए: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		187		147	
घटाए: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		41	842	31	987
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**2**		**0**	
घटाए: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0		0	
घटाए:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	0
उपजोड़			**844**		**987**
घटाए: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अंकित			**836**		**979**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		2		0	
ब्याज		0		0	
जोड़		**2**		**0**	
घटाए: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	0
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		0		0	
जोड़		**0**		**0**	
घटाए: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	0

टिप्पणी :–14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		478		251	
अन्य को		35	513	35	286
जमा					
प्रतिभूति जमा		1,272		915	
सरकार / न्यायालय के पास जमा		48,312		3,088	
अन्य जमा		2	49,586	24	4,027
जोड़			**50,099**		**4,313**

टिप्पणी :–15

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
अनबिल्ड राजस्व			25,706		11,755
जोड़			**25,706**		**11,755**

15.1 अनबिल्ड राजस्व में 2020 के फिब्री और अप्रैल, 2020 हिसाब में लिया गया। 11138 लाख रु. (गत वर्ष 11755 लाख) और 14648 लाख रु. लंबित प्रशुल्क याचिका (वसूलनीय 16136 लाख रु. और प्रतिदेय 1648 लाख रु. (गतवर्ष शून्य वसूलनीय और भुगतान शून्य के लिए शेष)

टिप्पणी :–16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			6,037		2,264
जोड़			**6,037**		**2,264**

टिप्पणी :–17
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			4,007		2,971
उपार्जित ब्याज			6		16
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			44		16
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			228		178
उप जोड़			**4,285**		**3,181**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			18		35
खरीद के लिए			1,240		1,255
अन्य को			1,871		1,532
			3,129		**2,822**
घटाएं: संदिग्ध वसूलियों के प्रावधान			1,441		1,441
उप जोड़–अन्य अग्रिम			**1,688**		**1,381**
जोड़			**5,973**		**4,562**

टिप्पणी :–18
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
आरंभ शेष			8,781		0
वर्ष के दौरान निवल संचालन			9,841		8,781
अंत शेष			**18,622**		**8,781**
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष के निवल संचालन परिशोध			869		1,616
कुल			**17,753**		**7,165**

18.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 12604 लाख रु. विनिमय दर परिवर्तन के कारण 5870 लाख और कर तथा अन्य 244 लाख रु. है

टिप्पणी :–19
शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	40,00,00.00	4,00,00,000	40,00,00.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,66,58,817	3,66,588	3,65,48,817	3,65,488
कुल		**3,66,58,817**	**3,66,588**	**3,65,48,817**	**3,65,488**

टिप्पणी :–19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं	प्रतिशत	शेयरों की सं	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	0	0
2. भारत सरकार (नामित शेयरों सहित)		0	0	2,71,99,412	74.419
3. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.581
जोड़		**3,66,58,817**	**100**	**3,65,48,817**	**100**

टिप्पणी :–19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
आदि		3,65,48,817	3,65,488	3,62,74,317	3,62,743
जारी		1,10,000	1,100	2,74,500	2,745
अंत		**3,66,58,817**	**3,66,588**	**3,65,48,817**	**3,65,488**

19.2 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रु. सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी :–20

अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0		400
प्रतिधारित आय			5,84,553		5,07,118
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			3,900		4,500
अन्य व्यापक आय			(1,794)		(112)
जोड़			**5,86,659**		**5,11,906**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय स.जी.एस.आर 574(अ) के अनुसार कंपनी के लाभ में से विभिन्न समान आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन की वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी :–21
गैर –चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
क. बॉंड्स					
*बॉंड्स निगम श्रृंखला– I – प्रतिभूत (प्रत्येक रू. 1000000/– के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तनीय बाद 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		60,000
**बाद निर्गत श्रृंखला– II –प्रतिभूत (प्रत्येक 1000000/– जो 8.75 प्रतिशत की दर से गैर परिवर्तनीय बाद 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय मोचन की तारीख 05.09.2029			1,50,000		0
जोड़ (क)			**2,10,000**		**60,000**
ख. प्रतिभूत					
***पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए) (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			22,569		31,597
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) –7830200002 (केएचईपी के लिए) (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			8,775		20,475
#रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए.जीई पीएसयू–033 2010 3754) 30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			8,759		15,767
***रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) 330001 (टिहरी एचपीपी के लिए) (सितम्बर,2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			9,518		19,036
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/ एम सीएलआर प्रतिवर्ष 8.65 प्रतिशत			42,000		56,000
जोड़ (ख)			**91,621**		**1,42,875**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
ग. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/एलआईबीओआर भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 2.61 प्रतिशत			93,049		62,326
जोड़ (ग)			**93,049**		**62,326**
घ. पट्टा दायित्व					
अप्रतिभूत			1,026		0
कुल (क+ख+ग+घ)			**3,95,696**		**2,65,201**

** टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–I सुरक्षित है।*

*** टिहरी एचपीपी चरण–II की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–II सुरक्षित है।*

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्रतिभूतियों के साथ उससे संबद्ध रहती है।*

 # कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

@ टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित आडमान के लिए प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।

$ संबंधित ऋण हैजिंग समरूप के तहत विनिर्दिष्ट उपस्करों पर नकारात्मक लियन सहित

21.1 इसके वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 उधारियों के संबंध में प्राप्त की गई अविस्थापन सुविधा का ब्यौरा 41.8 में प्रकटित किया गया है।

टिप्पणी :–22
गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		2,757		2,042	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		219	2,538	248	1,794
जोड़			**2,538**		**1,794**

टिप्पणी :–23
अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व			20,511		21,271
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		80,771	63,347	74,397	69,721
अन्य देनदारियां			0		0
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			219		248
जोड़			**84,077**		**91,240**

टिप्पणी :–24
गैर चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार**	**वृद्धि**	**समायोजन**	**उपयोग**	**31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार**
1. कर्मचारियों से संबंधित		38,671	2,556	(3,838)	(3,702)	33,687
2. अन्य		812	0	(134)	(12)	666
जोड़		**39,483**	**2,556**	**(3,972)**	**(3,714)**	**34,353**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**35,087**	**4,651**	**3,492**	**(3,747)**	**39,483**

24.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 41.17 में कर दिया गया है।
24.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी :–25
चालू वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
#बैंक आफ इंडिया फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एमसीएलआर 8.30 प्रतिशत– 0.10 प्रतिशत मार्जिन वर्तमान में 8.40 प्रतिशत			0		59,958
+ भारतीय स्टेट बैंक फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एमसीएलआर 0.15 प्रतिशत वर्तमान 7.6 प्रतिशत			16,000		0
@पंजाब नेशनल बैंक फ्लोटिंग आधार पर 06 माह के लिए एमसीएलआर वर्तमान में 7.65 प्रतिशत			23,500		0
***बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)**					
पंजाब नेशनल बैंक (ओडी) फ्लोटिंग दर आधार पर एक वर्ष के लिए एमसीएलआर अर्थात वर्तमान में 8.05 प्रतिशत)			72,006		61,882
जोड़			**1,11,506**		**1,21,840**

बैंक आफ इंडिया से अल्पकालिक ऋण कंपनी के ऋण बही (प्राप्यों) प्रभार द्वारा प्राप्त किया जाता है
+ भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
@ पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–I और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स औजार और अनुषंगियों ईंधन स्टाक स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्राप्त किया जाता है।

25.1 उधार के संबंध में प्राप्त अधिस्थगन सुविधा के ब्यौरे टिप्पणी सं.41.8 में प्रकट किए गए है।

टिप्पणी :–26
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत *			54,753		51,253
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
जोड़ (क)			**54,753**		**51,253**
ख. अप्रतिभूत *			4,762		3,184
जोड़ (ख)			**4,762**		**3,184**
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता– अप्रतिभूत			562		0
जोड़			**60,077**		**54,437**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		5		22	
अन्य के लिए		10,099	10,104	15,615	15,637
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		6,822		6,404	
घटाएं उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	6,822	0	6,404
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		12,151		4,665	
अन्य देनदारियां		0	12,151	0	4,665
जोड़			**29,077**		**26,706**
कुल देनदारियां			**89,154**		**81,143**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–21 में दिए गए हैं।

टिप्पणी :–27
अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
देयताएं					
मुल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			760		0
अन्य देयताएं			6,786		3,857
जोड़			**7,546**		**3,857**

टिप्पणी :–28
चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्टक में दिए गए आंकड़े ऋणी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
1. कार्य		563	1,755	0	(487)	1,831
2. कर्मचारियों से संबंधित		10,384	9,118	(897)	(9,419)	9,186
3. अन्य		1,346	515	(38)	(161)	1,662
जोड़		**12,293**	**11,388**	**(935)**	**(10,067)**	**12,679**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**21,015**	**14,146**	**(4,822)**	**(18,046)**	**12,293**

28.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में इंड एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 41.17 में कर दिया गया है।

28.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी :–29
चालू कर देनदारियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
आय कर					
आदि शेष			4,494		0
अवधि के दौरान वृद्धि			17,255		32,557
अवधि के दौरान समायोजन			0		0
अवधि के दौरान उपयोग			(21,749)		(28,063)
अंत शेष			**0**		**4,494**

टिप्पणी :–30
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
आदि शेष			56,997		51,071
वर्ष के दौरान निवल संचलन			4,866		5,926
अंत शेष			**61,863**		**56,997**

30.1 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है

टिप्पणी :–30.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	31				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		14,720		15,319	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		995		954	
पेंशन निधि		1,341		707	
उपदान		599		494	
कल्याण		410		258	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		2	18,067	10	17,742
अन्य व्यय	33				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		15		63	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		101	116	202	265
दर एवं कर			130		22
विद्युत एवं ईंधन			927		510
बीमा			28		35
संचार			97		127
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0		0	
भवन		397		323	
अन्य		181	580	228	553
यात्रा एवं वाहन			160		226
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			464		543
सुरक्षा			198		305
प्रचार तथा जनसंपर्क			19		93
अन्य सामान्य व्यय			3,506		1,306
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2		3
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			282		13
ब्याज अन्य			156		87
मूल्यह्रास	2		1,889		1,260
कुल व्यय (क)			**26,621**		**23,090**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**32**				
ब्याज					
बैंक जमा से		11		5	
कर्मचारियों से		61		84	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		2		10	
अन्य से		0	74	4	103
मशीन किराया प्रभार			1		1
किराया प्राप्तियां			75		67

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विविध प्राप्तियां			335		146
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			1		41
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			128		88
कुल प्राप्तियां (ख)			**614**		**446**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**26,007**		**22,644**
कराधान के लिए प्रावधान	**37**				
कराधान सहित निवल व्यय			**26,007**		**22,644**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	39		(232)		(45)
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,856		4,023
कुल ईडीसी			**29,095**		**26,712**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यू आईपी/परिसम्पत्ति आबंटित		24,184		23,368	
अनुमोदनहीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		712	24,896	488	23,856
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**4,199**		**2,856**

टिप्पणी :–31

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,07,479		1,97,656	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत बिक्री के लाभार्थियों से आय		2,851		44,877	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		379	2,09,951	694	2,41,839
विचलन व्यवस्थापन/संतुलन प्रभार			2,344		3,002
परामर्श से आय			15		85
जोड़			**2,12,310**		**2,44,926**

31.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

कंपनी ने 2014–19 की अवधि के लिए ट्रुअ अप प्रशुल्क के निर्धारण हेतु टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क ट्रुअप अप याचिकाएं भी दायर की है। 2014–19 के लिए उपरोक्त प्रशुल्क निर्धारण लंबित रहने पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को 2014–19 के लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2014–19 की अवधि के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार ट्रुअप याचिका में की गई है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सीईआरसी ने 2011–14 और 2014–19 तक की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी हेतु प्रशुल्क याचिकाओं की समीक्षा का निपटान कर दिया है और क्रमशः 16.04.2019 और 04.06.2019 के आदेश द्वारा संशोधित प्रशुल्क प्रदान किया है। उक्त प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव और पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 2851 लाख रुपये की ट्रुअप अप याचिकाओं को प्रशुल्क समायोजन के रूप में दर्शाया गया है।

प्रशुल्क समायोजन में 112 लाख (पिछले वर्ष 26908 लाख) के प्रशुल्क समायोजन के कारण मिला ब्याज शामिल है।

31.2 भारत के सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा विलंब से किए गए भुगतान के संबंध में राय के अनुसरण में 2868 लाख रु. (पिछले वर्ष 31176 लाख रु.) का विलंबित शुल्क अधिभार के प्रचालन से राजस्व के बजाय अन्य आय के अंतर्गत बुक किया गया है।

टिप्पणी :–32
अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस रू. 255932.00 शामिल है, पिछले वर्ष 117652.00 रू.)		289		59	
कर्मचारियों से		223		316	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		177		246	
अन्य		9	698	5	626
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			1		2
किराया प्राप्तियां			145		144
विविध प्राप्तियां			559		339
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			4,538		7,277
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			30		26
देर से भुगतान पर अधिभार			22,568		31,176
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			301		265
जोड़			**28,840**		**39,855**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		614		446
जोड़			**28,226**		**39,409**

टिप्पणी :–33
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			43,087		49,754
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			3,020		3,264
पेंशन निधि			4,156		2,468
उपदान			1,968		1,930
कल्याण व्यय			1,690		1,243
अरक्षणित कर्मचारी लागत की परिशोधन व्यय			176		246
जोड़			**54,097**		**58,925**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		18,067		17,742
जोड़			**36,030**		**41,183**

टिप्पणी :–34
वित्त लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बॉंडों पर ब्याज			12,013		4,554
घरेलू ऋणों पर ब्याज			19,078		24,881
विदेशी ऋणों पर ब्याज			2,467		2,215
कैश क्रेडिट पर व्यय			4,560		719
एफईआरवी			7,117		3,931
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			195		282
ब्याज अन्य			453		265
जोड़			**45,883**		**36,647**
घटाएं					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			21,693		16,606
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			156		87
जोड़			**24,034**		**19,954**

टिप्पणी :–35
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		25		176	
कर्मचारी आवास किराया		254	279	417	593
दर एवं कर			311		99
विद्युत एवं ईंधन			1,999		1,775
बीमा			2,122		2,169
संचार			312		318
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		3,348		2,228	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		701		559	
भवन		1,630		1,071	
अन्य		2,070	7,749	1,656	5,514
यात्रा एवं वाहन			638		770
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,185		1,448
सुरक्षा			5,326		4,929
प्रचार तथा जनसंपर्क			132		212
अन्य सामान्य व्यय			6,754		4,628
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			8		23
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			995		501

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
अनुसंधान और विकास			480		259
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			6		6
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			2,148		1,735
जोड़			**30,442**		**24,979**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		6,509		4,001
जोड़			**23,933**		**20,978**

टिप्पणी :–36
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		4,924
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0		61
जोड़			**0**		**4,985**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		0		0
जोड़			**0**		**4,985**

36.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।

टिप्पणी :–37
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			16,312		30,659
उप जोड़			**16,312**		**30,659**
जोड़			**16,312**		**30,659**

टिप्पणी :–38
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			4,975		2,855
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(869)		(1,616)
जोड़			**4,106**		**1,239**

टिप्पणी :–39
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(1,479)		(344)
उपजोड़			(1,479)		(344)
घटाएं :					
डीडीसी को अंतरित	30.1		(232)		(45)
जोड़			(1,247)		(299)

40.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

i) क्रेडिट रिस्क

क्रेडिट रिस्क, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा सपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके। कोविड–19 ने बाजार खंड में अतिरिक्त तरलता जोखिम की स्थिति पैदा कर दी है।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते हैं।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम और
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियां जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते हैं, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क की वसूली जा सकती है और कंपनी की लाभप्रदता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती है और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्कॉम होते हैं।
3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्कॉम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।

5. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

40.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) इंड एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) इंड एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल मॉडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। यदि कलातर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समय से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता देने लगती है।

40.3 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 को नियोजित करने के लिए 22 मार्च को राष्ट्रव्यापी लाकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), पीपीएचईपी (444 मेगावाट, खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं में लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि माग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी। इसलिए वार्षिक आधार पर उत्पादन हानि नहीं होगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के

विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेंगी। इससे निलंबित भुगतानों पर कंपनी का राजस्व प्रभावी होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल ने मामले की छानबीन की है और डिस्कामों को लगभग 3566 लाख रू. की छूट देने का प्रस्ताव किया है।

देश में कोविड–19 बीमारी के फैलने और उसके परिणामस्वरूप लाकडाउन के कारण बिजली के उपभोक्ताओं से राजस्व संकलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे डिस्कामों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है। इससे बिजली की खरीद के लिए उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कामों की क्षमता में कमी आई है। इसके कारण टीएचडीसीआईएल का नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ है।

भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत विद्युत उत्पादक कंपनियों के प्रति डिस्कामों द्वारा देयताओं की जिम्मेदारी पूरी करने के एकमात्र उद्देश्य से राज्यों की गारंटी के लिए प्राप्य धनराशियों और ऋणों के लिए डिस्कामों को 90000 करोड़ रू. के तरलता निवेशन का निर्णय लिया है। इससे आगामी महीने में उत्पादक कंपनियाँ बकाया देयताओं का बड़ा भाग चुका सकेंगी। सरकार के इस कदम से डिस्कामों से लंबे समय से बकाया देनदारियों तथा टीएचडीसीआईएल की तरलता में सुधार लाने और वसूली करने में मदद मिलेगी।

41. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मामे शामिल नहीं है तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 880551 लाख रुपये (गत वर्ष रू.199727 लाख) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	को	
		31.03.2020	31.03.2019
क	पूंजीगत कार्य	50,472	19,392
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	6,458	6,362
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	71,348	59,869
घ	अन्य	2,82,011	2,64,892
ङ	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	NIL	NIL
च	विवादित कर संबंधी मामले	824	757
छ	**जोड़**	**4,11,113**	**3,51,272**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न मध्यस्थम/अदालती मुकदमे/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	45,550	550

3. ईएमडी/एसडी के विरुद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही है। कंपनी ने 141 लाख रुपये एवं 332 लाख रुपये (गत वर्ष 145 लाख रुपये तथा 508 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 22 एवं 26 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार

ठेकेदारों से 9579 लाख रुपये (गत वर्ष 8445 लाख रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अशिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 46 लाख रु./(गत वर्ष 58 लाख रु) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 34 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 21693 लाख रु. और 156 लाख रु. है। इसके अतिरिक्त इंड एएस 21 के प्रावधानों के अनुसार विनिमय दर भिन्नता के कारण अस्थगित लेखा शेष डेबिट शेष के रूप में 4591 लाख (पिछले वर्ष 1926 लाख रु.) को मान्य किया गया है।

5. (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थी क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अभिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3135.26 हेक्टेयर (गत वर्ष 3033.79 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.84 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 991.42 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लेक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/86–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रूप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रूप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iii) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मलबे के पाटन के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार पर घोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि के हक विलेख का नामांतरण करने की कारवाई चल रही है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 5 लाख रु. (पिछले वर्ष 6 लाख रु.) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सीटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परियोजना के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिंग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 140.95 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर मे बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2021 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेबिट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असैना खदान के लिए अनुमति मे देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र मे मलबा डालने मे अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिंग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) 1320 मेगावाट के उ.प्र. के बुलदशहर जिले में खुर्जा एसटीटीपी और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमश: 1108942 लाख रू और 158716 लाख रू (दिसंबर 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश मंजूरी 07.03.2019 प्रदान की गई है। परियोजना वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कमीशन किए जाने की संभावना है।

(iv) दुकवां लघु जल विद्युत परियोजना की 24 मेगावाट (8 मेगावाट x 3) की तीन इकाईयां पूरी हो गई है। क्रमश: 05.01.2020, 09.01.2020 और 12.01.2020 को ट्रायल रन किया गया है। तदनुसार परियोजना का पूंजीकरण किया गया है। परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख अर्थात दिनांक 13.01.2020 तक उत्पादित 26,48,760 यूनिट अस्थिर ऊर्जा को बिल मे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसईआरसी/यूपीपीसीएल द्वारा अस्थिर ऊर्जा की दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

8. (i) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 27.03.2020 के परिपत्र संख्या आरबीआई 2019/180 डीओआर सं.बीपीबीसी/21.04.048/2019/20 द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को 01 मार्च से 31 मार्च, 2020 के बीच तीन माह तक सभी भुगतानों, किस्तों और उन पर अर्जित ब्याज पर अधिस्थगन देने की अनुमति दी है। टीएचडीसी ने पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए अल्पावधि ऋण और मध्यावधि ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी के लिए अधिस्थगन सुविधा प्राप्त की है। तदनुसार, किस्तों के लिए देय 3500 लाख रू. और ब्याज के लिए देय 506 लाख रू. की राशि को चालू वित्तीय देयताएं–अन्य मे दर्शाया गया है जैसा कि टिप्पणी संख्या 26 से विदित होता है।

(ii) भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 25.03.2020 को शेयर खरीद करार (एसपीए) निष्पादित किया गया है। भारत सरकार की इक्विटी, जिसमें एनटीपीसी के नामितियों के शेयर भी शामिल हैं की रणनीतिक बिक्री के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तदनुसार भारत सरकार की 273094 लाख की इक्विटी जो कुल इक्विटी के 74.496 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। दिनांक 27.03.2020 को मैसर्स एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दी गई है। इसको देखते हुए टीएचडीसीआईएल मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के साम्या (इक्विटी) निवेशन के रूप मे दिनांक 26.03.2020 को टीएचडीसी के 1400 लाख रू. प्राप्त हुए है। तथापि, उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर निर्णय किए जाने के लिए दिनांक 4.5.2020 के पत्र सं.टीएचडीसी/आरकेएसएच/वित्त/बजट/एफ–डी–3/62 द्वारा मामले को भारत सरकार को भेजा गया है और भारत सरकार से प्राप्त इस राशि को भारत सरकार से प्राप्त जमा माना गया है और टिप्पणी संख्या 27 के अनुसार अन्य चालू देयताओं मे दर्शाया गया है।

9. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) संरक्षक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम: शून्य

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री डी. पी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पद पर बने हुए है
2	श्री एच. एल. अरोड़ा	निदेशक (तकनीकी)	31.08.2019 तक
3	श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए है
4	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)	16.08.2019 से
5	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	01.09.2019 से
6	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई है

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाए

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

सबद्ध पक्षकारों के साथ सव्यवहार का सारांश (सिवाय दायित्वों को छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 2148 लाख रू. वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाए

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंड एएस–24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से सबद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(i) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
एनटीपीसी	परामर्शी सेवा	1,371	285
भेल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	8,099	335
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	232	280
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	58	62
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	32	1,996
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	163	11
युटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	52	37
बीईएमएल	स्पेयरों की खरीद	0.00	73
अन्य	परामर्शिता, साफ्टवेयर आदि	90	26

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 429 लाख रु. (पिछले वर्ष 365 लाख रु.) है।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.02.2019 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	372	330
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	57	35.00
3	सेवात लाभ		0
4	शेयर आधारित भुगतान		0
	जोड़	**429**	**365**

(iii) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
	एनटीपीसी से	शून्य	शून्य
	जोड़	**0**	**0**

(iv) सबद्ध पक्षकारों के साथ सव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ सव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुजों सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

10) प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार है

	2019-20	2018-19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (लाख ₹)	87,919	1,17,752
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (लाख ₹)	92,025	1,18,991
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 3,66,31,822.46 तनुकृत: 3,66,42,751.43	बेसिक : 3,64,60,777.55 तनुकृत: 3,64,64,058.37
प्रति शेयर आय रुपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं है। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 240.01 239.94	 322.96 322.93
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 251.22 251.14	 326.35 326.32
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1,000	₹ 1,000

11. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	17,181	32,275
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(869)	(1,616)
कुल चालू का व्यय (ख)	16,312	30,659

(ख) विनिवेश विभाग और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिनांक 13.03.2020 के पत्र संख्या एफ सं. 3/16/2019 डीआईपीएम के अनुसरण में निदेशकों ने 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च, 2019 12600 लाख रु.) लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस लाभांश पर लाभांश वितरण कर शून्य लाख (31 मार्च, 2019: 2590 लाख) को मान्य नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी आम सभा की बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के अधीन है।

(ग) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2020 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 71291 लाख रू. (31 मार्च, 2019–71291 लाख रू.) है।

ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में 4867 लाख रू. की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 6572 लाख रू.) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.		31.03.2020	31.03.2019
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	76,302	68,374
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487
iii)	ओसीआई को वर्गीकृत बीमांकित लाभ/हानि	-202	234
iv)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को हर गणना में आय के रूप में माना जाए	6,837	6,837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	8,418	10,007
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	5,104	6,140
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**96,946**	**92,079**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3,572	3,572.00
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472.00
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1.00
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124.00
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	**2,975**	**2,975**
	निवल आस्थगित कर (देयता) (परिसंपत्तियां) (क)–(ख)	**93,971**	**89,104**

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

(राशि लाख ₹ में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	राशि
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	457
02	(i) शिक्षा एवं कौशल विकास	647
	(ii) आजीविका कार्यक्रम	322
03	सामाजिक कल्याण	32
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	39
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	206
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	119
07	खेलकूद को बढ़ावा	8
08	आपदा प्रबंधन	225
09	अन्य	107
	जोड़	**2,162**

"टीएचडीसीआईएल के रू 2148 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू 14 लाख से सेवा द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 2148 लाख रू (गत वर्ष 1735 लाख रुपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू 2148 लाख (गत वर्ष 1735 लाख रू) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौरा:

(राशि लाख ₹ में)

		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	2,148		2,148

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 612 लाख (पूँजी– 132 लाख रु और राजस्व 480 लाख रु.) (गत वर्ष 433 लाख रु.) (पूँजी–174 लाख रु. राजस्व 259 लाख रु.) व्यय किए हैं

13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमइसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि लाख ₹ में)

	2019-2020	2018-2019
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	71	43
ii) उस पर ब्याज	0	0
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0	0
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0	0
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0	0
ङ. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	0	0

14. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष एवं 01 अप्रैल, 2018 के अनुसार पुनर्अभिकथन

31 मार्च, 2019 को वर्ष के लिए 01 अप्रैल, 2019 को पुन: कथन इंड एएस 8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन नीतियों और त्रुटियों में परिवर्तन" और इंड एएस 01" वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण" के अनुसार टीएचडीसी ने नीचे दिये गए कारण से 31 मार्च, 2019 और 01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत) तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभाव से पुन: कथित किया है। पूर्वव्यापी प्रभाव से पुन: कथित वित्तीय विवरणों का समाधान नीचे दिया है

31 मार्च 2019 और 01 अप्रैल, 2018 को समेकित तुलन–पत्र की पुनर्कथित मदों का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019			01 अप्रैल, 2018		
		जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा कहा गया है	जैसा पहले रिपोर्ट किया है	समाधान	जैसा पुनः कहा गया है
विनियामक आस्थगित लेखा–क्रेडिट शेष	30	6,313	50,684	56,997	6,313	44,757	51,070
अन्य इक्विटी	20	5,62,590	-50,684	5,11,906	4,88,384	-44,111	4,44,272
सीडब्ल्यूआईपी	3	4,55,714	-1,280	4,54,434	3,94,994	646	3,95,640
विनियामक आस्थगित लेखा–डेबिट शेष	18	7,501	1,280	8,781			

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः कथित मदों का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
कुल व्यापक आय		1,25,160	-6,572	1,18,588
वित्तीय लागत*	34	17,568	1,926	19,495
कारपोरेट कर		32,275	-1,616	30,659
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में नियत संचलन (निवल करकर)	38	7,501	6,262	1,239

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
प्रचालक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		1,51,162	-9,427	1,41,735
वित्तीय लागत*		17,568	1,926	19,495
(विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन निवल कर)		7,501	-6,262	1,239
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन पर कर		0	1,616	(1,616)
पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी		73,416	-1,930	7,1486
कारपोरेट कर		32,275	-1,616	30,659

(*) ₹ 459 लाख रु. के पुन: समूहन को छोड़कर

प्रति शेयर आय का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है	1,18,062	-310	1,17,752
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है।	1,25,563	-6,572	1,18,991
इक्विटी शेयरों की औसत भारित सं. जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है			
बेसिक	3,64,60,777.55		3,64,60,777.55
तनुकृत	3,64,64,058.37		3,64,64,058.37
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं है			
₹ बेसिक	323.81		322.96
₹ तनुकृत	323.78		322.93
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है			
₹ बेसिक	344.38		326.35
₹ तनुकृत	344.35		326.32
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1,000		₹ 1,000

टिप्पणियां

विनियामक अस्थगित लेखा शेष:

कंपनी ने हमारी पैतृक कंपनी एनटीपीसी द्वारा किए गए व्यवहार से संलग्न होने के लिए आस्थगित कर लेखांकन और वर्गीकरण से जुड़ी लेखांकन नीति में परिवर्तन कर दिया है। तदनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शेष 2014–15 से सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि में उस सीमा तक जमा किया जाता है जिस सीमा तक यह भावी वर्षों के कर का भाग बनता है और आरओई की संगणना को प्रभावित करता है जो सीईआरसी विनियम के अनुसार प्रशुल्क संगणना का एक तत्व है।

एफईआरवी (विदेशी विनियम दर भिन्नता) व्यवहार–सीडब्ल्यूआईपी से विनियामक परिसंपत्तियों में पुनः वर्गीकरण

कंपनी ने पैतृक कंपनी द्वारा किए गए व्यवहार से संलग्न होने के लिए एफईआरवी के व्यवहार से जुड़ी लेखांकन में परिवर्तन कर दिया है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय मदों के समाधान/रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय दर, जिस सीमा तक यह सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार उत्तरवर्ती अवधियों में लाभग्राहियों से वसूलनीय या उन्हें प्रतिदेय हो को निर्माण अवधि के दौरान विनियामक आस्थगित लेखा शेष में क्रेडिट/डेबिट द्वारा विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में बिना किसी छूट आधार पर अब मान्य किया जाता है, जिसका समाधान उस वर्ष से किया जाता है जिसमें यह लाभग्राहियों से वसूलनीय या उन्हें प्रतिदेय हो जाती है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप

– विनियामक आस्थगित लेखा–क्रेडिट शेष अन्य इक्विटी में समनुरूपी ह्रास के साथ निम्नानुसार बढ़ा है।

01 अप्रैल, 2018 को– 44757 लाख

31 मार्च, 2019 को– 50683 लाख

इसके अतिरिक्त, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन लाभ में समनुरूपी ह्रास के साथ लाभ और हानि खाता विवरण में 4868 लाख रु. की वृद्धि हुई है सीडब्ल्यूआईपी में समनुरूपी ह्रास (वृद्धि) के साथ विनियामक आस्थगित खाता

डेबिट शेष बढ़ा है/(घटा है)।

01 अप्रैल, 2018 को– (646 लाख रू.)

31 मार्च, 2019 को– (1280 लाख रू.)

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एफईआरवी के कारण विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन, वित्तीय लागत में समनुरूपी वृद्धि में 4591 लाख रू. की वृद्धि हुई है।

15. इंड एएस 116 पट्टे के अनुसार प्रकटन

(क) इंड एएस 116 को संक्रमण

(क) 01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116 पट्टे, को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनाओं को पुन: नहीं कहा गया है। आरंभिक आवेदन के दिन कंपनी ने शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के पट्टा दायित्व को रिकार्ड किया जिस पर आरंभिक आवेदन की तारीख को वृद्धि मान उधारी दर पर छूट दी गई थी तथा पट्टे पर पूर्व भुगतान या उपार्जित भुगतानों की राशि के लिए समनुरूपी संपत्ति के अधिकार के प्रयोग को समायोजित किया गया था।

(ख) कंपनी ने इंड एएस 116 पर निम्नलिखित व्यावहारिक औचित्य का अनुप्रयोग किया है।

(i) समान समाप्ति की तारीख को समान आर्थिक माहौल में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू किया।

(ii) आवेदन की आरंभिक तारीख को कम मूल्य के पट्टों और 12 माह से कम पट्टा अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार को मान्य न करने हेतु छूट के लिए आवेदन किया।

(iii) आवेदन की आरंभिक तारीख को परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के मापन से आरंभिक लागतों, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया।

(iv) व्यावहारिक औचित्य का प्रयोग करने के लिए चुना गया था, जिस मानक का अनुप्रयोग उन संविदाओं पर नहीं किया जाना था जिन्हें ऐसे पट्टे के रुप में पहचान की गई थी जिसमें इंड एएस 17 शामिल था। तदनुसार इंड एएस 116 केवल उन्हीं संविदाओं पर लागू किया जाता है जिनकी पहचान इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टा के रूप में की गई थी।

(v) यदि संविदा में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प हो तो पट्टा अवधि का निर्धारण करने के लिए हिंड साइट का प्रयोग किया।

(ग) इंड एएस 116 में संक्रमण पर कंपनी ने पट्टा देयताओं और 4314 लाख की परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की समकक्ष राशि को मान्य किया है। इसके अतिरिक्त के 4182 लाख के मूल्य को भूमि, भवन, संयंत्र और उपस्कर तथा वाहनों को वर्गीकृत/पुन: वर्गीकृत किया गया है और तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रस्तुत किया है।

(घ) एएस 116 में संक्रमण होने पर भारित औसत वृद्धिमान उधार दर जिसे इन पट्टा देयताओं पर लागू किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत किया गया था 8.75 प्रतिशत है।

(ङ) दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताए 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रचालन पट्टों में समायोजित की जा सकती है।

विवरण	राशि
31 मार्च, 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताए (गैर–निरस्तणीय पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान)	शून्य
घटाए: उपरोक्त पर छूट का प्रभाव	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को छूट प्राप्त मान्यता पट्टा देयताए	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को छूट प्राप्त मान्य पट्टा देयताए (31 मार्च, 2019 को निरस्तणीय पट्टा प्रतिबद्धताओं के संबंध में	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को मान्य कुल पट्टा देयताए	शून्य

** पट्टा देयता, 31 मार्च, 2019 को निरस्तरणीय पट्टा प्रतिबद्धताओं से संबंधित है जिन्हें पूर्ववर्ती इंड एएस 17 के अंतर्गत प्रकटन नहीं किया जाना था।

(ख) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं हैं) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रेंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंड एएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां है

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	0.00
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	4,314
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	152
–पट्टा देयताओं का भुगतान	2,878
–अंत शेष	1,588
–चालू	562
–गैर–चालू	1,026

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(राशि लाख ₹ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2020 को
3 माह या कम	170
3–12 माह	506
1–2 वर्ष	602
2–5 वर्ष	213
5 वर्ष से अधिक	789
31 मार्च, 2020 को पट्टा देयताएं	2,280

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	882
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	152
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	279

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
पट्टों के लिए बाह्य नकदी प्रवाह	2,878

16. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में परिवर्तनों का प्रभाव

क्र. सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/अभ्युक्ति
1.	लेखांकन नीति 7.1 को पैतृक कंपनी से संलग्न किया गया है और निम्नानुसार संशोधन किया गया है कंपनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लेखांकन की नीति को जारी रखने के लिए पहली बार इंड एएस को अपनाने को जारी रखा। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया गया है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुई हों। परंतु अपवाद यह है कि 31 मार्च, 2016 तक मान्य संपत्ति संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से जुड़ी दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को पीपीई के उठाव लागत में मान्य किया गया है।	1280 लाख रू. की निर्माण योजनाओं की एफईआरवी के कारण वित्त लागत लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीडब्लूआईपी से विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तित किया गया है
2.	लेखांकन नीति स. 19.8 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के परिशोधन के संबंध में शब्द 'पांच वर्षों' के स्थान पर तीन वर्ष रखा गया है ताकि नीति को पैतृक कंपनी एनटीपीसी के साथ संलग्न किया जा सके।	मूल्यह्रास अमूर्त परिसंपत्ति सॉफ्टवेयर के डब्ल्यूडीवी में ह्रास के समनुरूपी 43 लाख रू. का मूल्यह्रास बढ़ाया गया है।
3.	पट्टे से संबंधित लेखांकन नीति 21 में पट्टा लेखांकन से जुड़ा इंड एएस 116 अनुपालनार्थ शुरु किया गया है।	➢ लीज होल्ड भूमि को प्रयोग के अधिकार से प्रतिस्थापित किया गया है और 35176 लाख रू. की प्रयोग के अधिकार के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति समनुरूपी देयताओं के बही खाते में शामिल की गई है। ➢ इन अतिरिक्त परिसंपत्तियों की परिशोधित राशि 614 लाख रू. है जबकि वार्षिक रेंटल 2881 लाख रू. था जिसे पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार व्यय में बुक किया गया होता।
4.	आस्थगित कर से जुड़ा लेखांकन नीति 22.2.3 का दूसरा पैरा निम्नानुसार संशोधित किया गया है चालू अवधि के लिए आस्थगित कर, जिस सीमा तक यह भावी वर्ष में चालू वर्ष का भाग बनता है और इक्विटी पर प्रतिफल की संगणना (आरओई) को प्रभावित करता है, जो सीईआरसी के अनुसार प्रशुल्क गणना का तल है, को विनियामक आस्थगित लेखा, शेष में जोड़ा/घटाया जाता है।	विनियामक आस्थगित खाते में 50884 लाख रू. की वृद्धि और अन्य इक्विटी में समनुरूपी कमी (आरक्षिती और अधिशेष)
5.	नई लेखांकन नीति/मौजूदा लेखांकन नीति की नीति सं. 1.1,1.2,1.3, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.7, 5.1, 10, 13.1, 15.8, 15.11, 17.2, 18.1, 18.2, 19.2, 19.7, 22.1, 22.2.4, 26, 27.1 और 28.1 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और 2018–19 की नीति संख्या 4.2 को हटा दिया गया है ताकि नीतियों को पैतृक कंपनी से संलग्न किया जा सके और प्रकटन में सुधार किया जा सके।	इन परिवर्तनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ के संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना–पेंशन

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्ग्रहन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकित मूल्यांकन 373 लाख रु (गत वर्ष शून्य) के आधार पर चूंकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य 4969 लाख रु. से 373 लाख रु (गत वर्ष शून्य) अधिक हो जाता है इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग सेवा के रूप में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है।

(v) अन्य प्रतिलाभ (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

31.03.2020 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते है। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन मे वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन मे वृद्धि से भावी मूल्यांकनो मे दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से कम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनो मे छूट मे कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन मे पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर मे परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) मे परिवर्तन

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आकड़े कोष्ठक मे दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ मे पीवीओ	17,893 (17,486)	4,304 (2,771)	9,883 (8,881)	7,002 (6,270)	1,243 (892)
ब्याज लागत	1,387 (1,329)	333 (210)	766 (675)	543 (477)	96 (68)
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	581 (606)	1,278 (1,236)	451 (427)	236 (217)	118 (448)
लाभ का भुगतान	(1,635) {(1,516)}	1,469 {(1,052)}	(278) {(277)}	(285) {(347)}	(151) {(135)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	874 {(12)}	1160 (1,138)	83 (178)	276 (385)	44 (29)
वर्ष के अंत मे पी वी ओ	19,101 (17,893)	5,607 (4,304)	10,906 (9,883)	7,985 (7,002)	1,263 (1,243)

सारणी–3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	19,101 (17,893)	5,607 (4,304)	10,906 (9,883)	7,985 (7,002)	1,263 (1,243)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7402	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	(3320)	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	19,101 (17,893)	5,607 (4,304)	10,906 (9,883)	583 (3,682)	1,263 (1,243)
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	19,101 (17,893)	5,607 (4,304)	10,906 (9,883)	583 (3,682)	1,263 (1,243)

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	581 (606)	1278 (1,236)	451 (427)	236 (217)	118 (448)
सेवा उपरांत लागत					
ब्याज लागत	1387 (1,329)	333 (210)	766 (675)	543 (477)	96 (68)
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	874 ((12))	1,160 (1,138)	83 (178)	276 (385)	44 (29)
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	1,968 (1,835)	2,771 (2,585)	1,300 ((1,279))	307 (694)	214 (517)

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि लाख ₹ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अर्धवेतन अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(542)	(531)	(182)	(151)	(323)	(315)	(930)	(826)	(35)	(34)
0.50% की कमी	571	559	193	161	340	332	946	877	36	34
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	146	132	193	160	339	315	लागू नहीं	लागू नहीं	18	17
0.50% की कमी	(156)	(144)	(183)	(151)	(333)	(332)	लागू नहीं	लागू नहीं	(17)	(17)
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	949	906	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(933)	(847)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटन

(राशि लाख ₹ में)

उपदान	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	19,101	17,893	17,486	17,003	14,637
बीमांकिक (लाभ / हानि)					
बीमांकिक (लाभ / हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	874	(12)	(785)	(137)	(205)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,968	1,935	1,959	3,076	1,597

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,607	4,304	27,712	5,398	3,714
बीमांकिक (लाभ / हानि)	1,160	1,138	452	1,668	835
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2,771	2,585	1,003	2,263	1,521

अर्द्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,906	9,883	8,881	12,388	10,330
बीमांकिक (लाभ / हानि)	83	178	(4,616)	861	(1)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,300	1,279	(3,284)	2,234	1,242

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,985	7,002	6,270	5,639	4,598
बीमांकिक (लाभ/हानि)	276	385	122	643	616
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	276	385	122	643	616
बीमांकिक (लाभ/हानि)	307	694	644	525	1,047
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईबीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,263	1,243	892	862	805
बीमांकिक (लाभ/हानि)	44	(29)	(28)	38	12
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	44	(29)	(28)	38	12
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईबीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	214	516	138	112	149

18. क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऋणों की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आशय सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 (संशोधित) बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंधन वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

ख) प्रबंधन वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(राशि लाख ₹ में)

		2019-20	2018-19
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	13*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	—	—
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	—	—
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	10	4
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	2

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020	31.03.2019
नकदी तथा नकदी समतुल्य	11	2,520	4,577
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	12	58	676
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	25	1,11,506	1,21,840
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		-1,08,928	-1,16,587

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप है।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और ये अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2019-20	आदि	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लाभित आबंटन सहित)	3,65,888		3,66,588	700	प्राप्त इक्विटी
दीर्घकालिक उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	3,19,639		4,55,774	1,36,135	आहरित ऋण जिसमें विनियम दर रु. 185780 लाख ऋण चुकौती रु. 51213 लाख और निवल परिवर्तन 134537 लाख रु. घटते (निवल 1588 लाख रु.)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी		47,163 (23,129)		(24,034)	लाभ और हानि में प्रभारित
भुगतान किया गया लाभांश और भुगतान वितरण कर		(15,190)		(15,190)	लाभांश को भुगतान किया गया
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				97,611	

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुन: समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	(जे. बेहरा)	(डी.वी. सिंह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी इस दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर ऐंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

राय

हमने 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखाकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारी व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस संदर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट में संसूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती है।	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभार शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है:–

	सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, को जटिल और निर्णयाधीन होता है, की मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31 देखें)	–ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। –सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखांकरण का सत्यापन किया है। –उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते हैं।
2	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरुद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित है और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई है –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:—

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 का पैरा(i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचसीसी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 991.42 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टिप्पणी संख्या 41 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यों के लिए किया जा रहा है।

(ग) कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 40.1 (ii) टिप्पणी 40.3 और टिप्पणी 41.8।

(घ) दिनांक 26.03.2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41.8 (ii)। भारत सरकार की साम्या की रणनीतिक बिक्री मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को करने के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तदनुसार, भारत सरकार की कुल इक्विटी दिनांक 27.03.2020 को मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए टीएचडीसीआईएल मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल को भारत सरकार के साथ इक्विटी निवेश(इनफ्यूजन) के रूप में 26.3.2020 को 1400 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है। तथापि, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसे भारत सरकार को संदर्भित किया गया है और भारत सरकार द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि चालू देयताओं में दर्शाई गई है। टिप्पणी–27 देखें ।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा किसी दूसरे लेखापरीक्षक द्वारा करवाई गई थी जिसने उन विवरणों के संबंध में 12.09.2019 को असंशोधित राय व्यक्त की।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल हैं। परन्तु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं देते हैं तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौंपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो

कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते है, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हो, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखांकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एसए के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमने

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते है और उनका मूल्यांकन करते है, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते है और उनका निष्पादन करते है तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगाठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान

हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिह्नित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते है।

हम उन्हें, जिन्हे सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हे संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले है। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते है यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) में यथापेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका **अनुलग्नक "ख"** में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते है कि–

   (क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई है जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप है

   (घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक एंड एस) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ङ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक "ग"** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करे और

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है — स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 24.06.2020
यूडीआईएन: 20014335एएएएडीएम3666

अनुलग्नक "क"

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते है कि–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए है।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन उनकी अचल प्रकृति (टिहरी / कोटेश्वर / पाटन / देवभूमि दुकवां) के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गई। विभिन्न परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुल 3135.26 हेक्टेयर (गत वर्ष 3033.79 हेक्टेयर) में से 2143.84 हेक्टेयर के लिए पुराने नाम से नए नाम में स्वामित्व परिवर्तित कर दिया गया है। टिप्पणी सं.41.5(i) से विदित होता है कि शेष 991.42 हेक्टे. और भूमि के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया जारी है। टिप्पणी 41.5(ii) से विदित होता है कि 44.429 हेक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 41.5(iii) से विदित होता है कि 0.757 हेक्टे. फ्री–होल्ड भूमि एवं स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1128.41 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर ऊपर संदर्भित भूमि का मूल्य अभी अभिनिश्चित किया जाना है।

ii. वर्ष के दौरान प्रबंधन वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ –3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा– 73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधानिक देय, जो कंपनी पर लागू है, शामिल है। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2020 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और उप कर, यदि कोई हो, का ब्यौरा 31 मार्च, 2020 के अनुसार निम्नानुसार है:–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित है	विरोध सहित जमा (₹ लाख में)	मंच जहां मामला लंबित है
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	47,686	2015-16 से 2019-20	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	16,125	2015-16 से 2019-20	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	651.44	2004-05 से 2014-15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत छूट	172.11	2006-07	172.11	एसीआईटी, देहरादून

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की। तथापि, कंपनी ने मध्यावधि ऋण और अल्पकालिक ऋण के लिए प्रेषण पंजाब नेशनल बैंक से ऋण स्थगन सुविधा और भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है जो 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2019/186डीओआर.बीपीबीसी/21.04.048/2019–20 के अनुसार है।

ix. कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से इक्विटी, पहले से किए जा चुके व्यय को पूरा करने, निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अर्थात कारपोरेट बांड (श्रृंखला–2) इक्विटी ऋण लिखित के माध्यम से जुटाए गए धन का वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची–V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी

पर लागू नही है।

xii. हमारी राय मे कंपनी, निधि कंपनी नही है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियो के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणो की टिप्पणियो मे खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नही किया। अतएव आदेश के खंड 3(XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया। अतएव आदेश के खंड–3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय मे कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नही है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण स.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम न.014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 24.06.2020

अनुलग्नक "ख"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखाकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखाकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखाकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एकएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। तथापि, 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआईडीओआर सं. बीपीबीसी/21.04.048/2019/20 के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 के पैरा 8(i) द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को सभी किश्तों और उन पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान पर 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक तीन माह के लिए ऋण स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी है। टीएचडीसी इंडिया लि. ने पीएनबी से कार्यशील ऋण और अल्पावधि ऋण के लिए उपरोक्त ऋण स्थगन सुविधा प्राप्त की है तथा एसबीआई से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है। तदनुसार, किश्तों के लिए देय 3500 लाख रु. और ब्याज के लिए देय 506 लाख रु. चालू वित्तीय देयताओं अन्य में दर्शाया है जैसाकि टिप्पणी संख्या 28 से विदित होता है।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया।	की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का हिसाब किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 24.06.2020

अनुलग्नक "ग"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(एफ) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** की 31 मार्च, 2020 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिससे कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू है और ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दृष्टाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल है जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और सव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की

परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2020 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40.1 (ii) टिप्पणी 40.3 और टिप्पणी 41.8 (i) की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के मामले पर बस पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण स.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम न.014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 24.06.2020

गोपनीय

संख्या: DGA (Energy)/Rep/Acs/THDC/2020-21/131

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
महानिदेशक लेखा (ऊर्जा)

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक / Dated: 20.08.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध–निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
लखनऊ

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,
ह./–
(डी.के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10 Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। यह कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 24 जून, 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(डी.के. शेखर)
महानिदेशक लेखा (ऊर्जा)
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2020

CERTIFICATE
OF AWARDS
Sliver Award in
Main Stream CSR Health Projects (PSU)
Category to
THDC India Ltd.
CSR
HEALTH
IMPACT
AWARDS

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Schedule- A Mini Ratna PSU
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालयः गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by CURRENT